

● वर्ष 26 ● अंक 2
● जनवरी-मार्च 2014



बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन

बैंकिंग पर व्यावसायिक जर्नल





बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन

विषय सूची

● संपादक मंडल		1
● संपादकीय		2
● अनुचिंतन		4
● भारतीय अर्थव्यवस्था और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश	अभिषेक पटेल	6
● इतिहास के पन्नों से	सावित्री सिंह	13
● संवृद्धि बनाम मुद्रास्फीति - भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में	अरविंद कुमार चतुर्वेदी	17
● दुर्विक्रय	डॉ. रमाकांत गुप्ता	24
● नए बैंक लाइसेंस - एक विहंगावलोकन	आर. सुमा	28
● ऋण सूचना ब्यूरो - चुनौतियां एवं समाधान	राजेंद्र सिंह	31
● वित्तीय स्थिरता और आर्थिक संवृद्धि	कुमार परिमलेन्दु सिन्हा	36
● लेनदेन का अनुवर्तन और संदेहास्पद लेनदेन रिपोर्ट	विनय कुमार पाठक	39
● वित्तीय शिक्षण - वर्तमान परिदृश्य	सर्वज्ञ शेखर गुप्ता	42
● बीमा विपणन एवं बैंक	ए.के. गुप्त	47
● पीपीआई : नया भुगतान माध्यम	अभिनव श्रीवास्तव	51
● एटीएम एवं एटीएम उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा - चुनौती एवं सुझाव	संतोष श्रीवास्तव	53
● घूमता आईना	के.सी. मालपानी	56
● लेखकों से/पाठकों से		60

संपादक-मंडल



प्रबंध संपादक

डॉ. रमाकांत गुप्ता
महाप्रबंधक (राजभाषा)
भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

सदस्य सचिव

के. सी. मालपानी
प्रबंधक (राजभाषा)
भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

कार्यकारी संपादक

सावित्री सिंह
उप महाप्रबंधक (राजभाषा)
भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

संपादकीय कार्यालय

भारतीय रिज़र्व बैंक
राजभाषा विभाग, केंद्रीय कार्यालय
गारमेट हाउस, वरली, मुंबई - 400 018

सदस्य

एस. एन. मिश्रा
मुख्य महाप्रबंधक
इंडियन ओवरसीज़ बैंक, चेन्नै

डॉ. प्रमोद कुमार
महाप्रबंधक, बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग
भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

एम. वी. अशोकन
उप महाप्रबंधक (राजभाषा)
भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

ब्रिजराज
संकाय सदस्य एवं उप महाप्रबंधक
रिज़र्व बैंक स्टाफ महाविद्यालय, चेन्नै

डॉ. हरियश राय
उप महाप्रबंधक (राजभाषा)
बैंक ऑफ बड़ौदा, मुंबई

डॉ. अजित कुमार
संकाय सदस्य एवं सहायक महाप्रबंधक
कृषि बैंकिंग महाविद्यालय
भारतीय रिज़र्व बैंक, पुणे

इस पत्रिका में प्रकाशित लेखों में दिए गए विचार संबंधित लेखकों के हैं। यह आवश्यक नहीं है कि भारतीय रिज़र्व बैंक उन विचारों से सहमत हो।
इसमें प्रकाशित सामग्री को उद्धृत करने पर भारतीय रिज़र्व बैंक को कोई आपत्ति नहीं है बशर्ते स्रोत का उल्लेख किया गया हो।

डॉ. रमाकांत गुप्ता द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, राजभाषा विभाग, गारमेट हाउस, वरली, मुंबई-400 018 के लिए संपादित और प्रकाशित तथा
इंडिया प्रिंटिंग वर्क्स, मुंबई में मुद्रित।

इंटरनेट <http://www.rbi.org.in/hindi> पर भी उपलब्ध। E-mail : rajbhashaco@rbi.org.in फोन 2494 8263 फैक्स 2498 2077

संपादकीय....

प्रिय पाठको,

आये दुःखं व्यये दुःखं

धिगर्थाः कष्टसंश्रयाः।

चिंतन



तात्पर्य यह है कि जिस पैसे के आने और व्यय होने दोनों ही स्थितियों में दुःख निहित हो, ऐसे पैसे को, ऐसे अर्थ को, ऐसी मुद्रा को धिक्कार है। आज मुद्रा को भौतिक रूप में रखना और उसे व्यय के लिए भौतिक रूप में साथ में ले जाना दोनों ही दुःखदायी बन गए हैं। पहले लोग पैसे घर पर रखते थे पर बैंकों का विस्तार होने के बाद उसे बैंकों में जमा करने लगे और खर्च के लिए सीमित मात्रा में बैंकों से पैसे निकाला करते थे। हालांकि उसमें भी काफी जोखिम निहित था और खास तौर पर बहुमूल्य वस्तुएं खरीदने के लिए भारी मात्रा में नकदी ले जाना बहुत ही कष्टप्रद था। पर प्लास्टिक मनी के आविष्कार ने आज पूरे परिदृश्य को बदल दिया है और आज मुद्रा ने जो रूप धारण कर लिया है, उसे न तो रखने में कोई परेशानी है और न ही व्यय करने में।

श्री अभिनव श्रीवास्तव ने अपने लेख “पीपीआई : नया भुगतान माध्यम” में ऐसे ही कैश-लेस समाज की परिकल्पना की है। प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट अथवा प्रीपेड कार्ड ने सचमुच एक क्रांति ला दी है और इसने मुद्रा से उसकी कष्टप्रदता छीन ली है और अब लाखों की खरीद-बिक्री आसानी से की जा सकती है। उनका यह लेख न सिर्फ बैंकों के लिए अपितु आम आदमी के लिए भी काफी उपयोगी साबित होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आज की बैंकिंग प्रौद्योगिकी पर आधारित हो गई है और बैंकिंग प्रौद्योगिकी के नए-नए पहलुओं से पाठकों को रू-ब-रू कराना संपादक मंडल का प्रयास रहा है। अतः इस अंक में भी उक्त लेख के अलावा एटीएम और ऋण सूचना ब्यूरो (सिबिल) संबंधी लेख भी शामिल किए गए हैं। श्री राजेंद्र सिंह ने अपने लेख “ऋण सूचना ब्यूरो - चुनौतियां एवं समाधान” में सिबिल संबंधी हर पहलू पर विस्तार से प्रकाश डाला है और आशा है कि पाठक इसे अवश्य पसंद करेंगे।

बैंकिंग अर्थव्यवस्था के सेवा क्षेत्र का एक प्रमुख अंग है, अतः अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं से भी समय-समय पर पाठकों को रू-ब-रू कराया जाता रहा है। इस अंक में इस प्रकार के दो लेख शामिल किए गए हैं - एक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से संबंधित है तो दूसरा संवृद्धि बनाम मुद्रास्फीति से। श्री अभिषेक पटेल ने अपने लेख “भारतीय अर्थव्यवस्था और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश” में देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी हर पहलू को उजागर करने का प्रयास किया है। बीमा उत्पादों की बिक्री से न सिर्फ बैंकों की आय बढ़ती है अपितु भारत के कोने-कोने में व्याप्त नेटवर्क वाले बैंक जन-जन तक बीमा जैसे सुरक्षोपाय को पहुंचाने के लिए सर्वथा उपयुक्त माध्यम भी हैं। श्री ए.के. गुप्त ने अपने लेख “बीमा विपणन और बैंक” में बैंकिंग व्यवसाय के इस पहलू के बारे में ब्यौरेवार ढंग से चर्चा की है।

धनशोधन की समस्या न सिर्फ देश के लिए अपितु समाज के लिए भी अत्यंत गंभीर है और इसीलिए 2002 में धनशोधन निवारण अधिनियम बना जिसे पहली जुलाई 2005 से प्रभावी बनाया गया है। ऐसी परिस्थिति में यह आवश्यक हो जाता है कि बैंककर्मी गंभीरतापूर्वक अपने ग्राहकों के लेनदेन का अनुवर्तन करें और यदि धनशोधन की आशंका हो तो उसकी रिपोर्टिंग करें। ऐसे महत्वपूर्ण मसले पर प्रकाश डाला है श्री विनय कुमार पाठक ने अपने लेख “लेनदेन का अनुवर्तन और संदेहास्पद लेनदेन रिपोर्ट” में।

साथ ही, पत्रिका की कार्यकारी संपादक श्रीमती सावित्री सिंह ने 'इतिहास के पन्नों से' नामक स्तंभ में आपका परिचय कराया है - आज से 88 साल पहले 1925 में भारत के दक्षिणी छोर में स्थित कर्नाटक राज्य के एक प्रमुख वाणिज्यिक केंद्र उडुपि में जन्म लेने वाले बैंक 'सिंडिकेट बैंक' से तथा देश-दुनिया की नवीनतम आर्थिक-वित्तीय गतिविधियों को संक्षेप में उजागर किया है - श्री के. सी. मालपानी ने अपने लेख 'घूमता आईना' में।

अनुचिंतन

जहां तक हिंदी भाषा का प्रश्न है, हिंदी के एक सेवानिवृत्त लेक्चरर श्री ओम शर्मा ने एक सोशल नेटवर्क पर भारत में हिंदी की स्थिति के बारे में लिखा है "अपने आविर्भाव के समय से ही हिंदी भाषा राजकीय अवहेलना का शिकार रही है लेकिन... जन-हृदय में बसी होने के कारण निरंतर विकास पथ पर अग्रसर है उसी का प्रमाण है कि आज हम हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा पर, अंतर्जाल (इंटरनेट) पर चर्चा कर रहे हैं। हिंदी के राजभाषा बन जाने पर भी अभिजात्य वर्ग के शासन तंत्र में बैठे लोग बाहरी मन से हिंदी भाषा के विकास की बात तो करते रहे लेकिन अपने परिवार में भी वे हिंदी बोलने से परहेज करते दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी हिंदी का निरंतर विकास हो रहा है। आज हिंदी का जो शुद्ध रूप विदेशों में देखने को मिलता है वह आज हमारे देश में नहीं है। जिस प्रकार की शुद्ध हिंदी हम अंतर्जाल पर लिखते और पढ़ते हैं या विद्यालयों में पढ़ाई जाती है वह स्थानीय पत्र-पत्रिकाओं में कहीं भी नहीं दिखाई देती। पहले भाषा को साधन के रूप में देखा जाता था पर आज वह ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है और जहाँ व्यवस्था होती है वहाँ नियम होते हैं लेकिन उन नियमों को जानने की जिज्ञासा हम लोगों में खत्म हो गई है।"

मैं शर्मा जी की बात से काफी हद तक सहमत हूँ। हिंदी भाषा पर, उसके व्याकरण पर, उसकी शैली पर जो काम होना चाहिए था, वह बिल्कुल नहीं हो रहा है। जिन्हें यह काम करना चाहिए था, वे आंकड़े बनाने, भेजने और निरीक्षण करने/कराने के मायाजाल में उलझकर रह गए हैं। आज राजभाषायी आंकड़ों का जाल इतना बढ़ गया है कि राजभाषा के काम से सीधे जुड़े हुए लोग हिंदी के आंकड़ों की बात तो करते हैं पर कार्यालयों में प्रयोग में आ रही हिंदी भाषा के स्वरूप, उसकी सहजता, उसकी संप्रेषणीयता पर सोचने के लिए उनके पास वक्त नहीं है।

मेरा मानना है कि जब तक राजभाषा के काम से सीधे जुड़े हुए लोग लिपिकीय कार्य में संलग्न रहेंगे और भाषा के विशेषज्ञ के रूप में उन्हें अपने दायित्व को निभाने का अवसर नहीं मिलेगा, तब तक हिंदी भाषा का विकास कतई नहीं होगा - पत्रादि द्विभाषी रूप में जारी होते रहेंगे, लोग अंग्रेजी पढ़ते रहेंगे, आंकड़े पूरे होते रहेंगे पर हिंदी भाषा जस-की-तस पड़ी रहेगी। अब समय आ गया है कि आंकड़ेबाजी कम करके हिंदी भाषा को सहज, सरल और बोधगम्य बनाने के लिए गंभीरतापूर्वक कार्य किया जाए ताकि कार्यालय की हिंदी भी विदेशों में प्रयुक्त हिंदी की तरह व्याकरणसम्मत बन सके और साथ ही उसमें इंटरनेट पर प्रयुक्त हिंदी जैसी बोधगम्यता आ सके। महत्त्वपूर्ण यह नहीं है कि पत्र कितने प्रतिशत हिंदी में जारी हुए अपितु महत्त्वपूर्ण यह है कि जो पत्र हिंदी में जारी हुए उनमें से कितने मूल रूप से तैयार किए गए और उनसे कार्यालय और पत्र के प्राप्तकर्ता के बीच संप्रेषणगत अंतराल कहां तक दूर हुआ।

पिछले अंक के बारे में पाठकों ने खुलकर अपनी राय दी और उससे हमारा उत्साह बढ़ा। हम ऐसे सभी उत्साह-वर्धक पाठकों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। पत्रिका के पाठकों से विशेष अनुरोध है कि वे इस अंक के प्रति भी अपनी अनुक्रिया और बहुमूल्य सुझाव ramakantgupta@rbi.org.in अथवा savitrisingh@rbi.org.in नामक ई-मेल पत्तों पर अथवा डाक से अवश्य प्रेषित करें, ताकि हम इस पत्रिका को उनकी ज़रूरतों के अधिक अनुकूल बना सकें।



(डॉ. रमाकांत गुप्ता)

महाप्रबंधक

अ | नु | चि | त | न

वर्ष 26 अंक 1 अक्टूबर-दिसंबर 2013 प्राप्त हुआ। संपादकीय को एक श्लोक से शुरू किया है जो सार्वभौमिक रूप से सत्य है। पृथ्वी पर तीन रत्नों में 'सुभाषित' अर्थात् मीठे बोल का विशेष महत्त्व है। एक पुराना गीत मुझे इस समय याद आता है "एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे यारा तेरे बोल"। ये पंक्तियां आज भी अनमोल हैं और भविष्य में भी रहेंगी। डॉ. के.सी. चक्रवर्ती का लेख 'बीसीएसबीआई, ग्राहक सेवा और उपभोक्ता सुरक्षा' सराहनीय और सूचनापरक है। ऋण वितरण में जिम्मेदारी अर्थात् उत्तरदायित्व की प्रासंगिकता काफी बढ़ गई है क्योंकि बैंक आज अनर्जक आस्तियों के दबाव में हैं और यहां लेखक ने इसकी महत्ता को उजागर किया है। ऐसे विषयों का महत्त्व अब बढ़ गया है।

डॉ. रमाकांत शर्मा ने अपने सुपरिचित अंदाज़ में उत्पाद, ब्रैंड, कीमत और बिक्री बाद सेवा पर प्रकाश डाला है, जिसे बैंकों को गंभीरता से लेना चाहिए। श्रीमती सावित्री सिंह ने तलवार समिति (1975), गोईपोरिया समिति (1990), तारापोर समिति (2003) और दामोदरन समिति (2010) की सिफारिशों पर प्रकाश डाला है जो बैंकों के लिए विशेष लाभदायक है। यह लेख गागर में सागर जैसा लगता है।

श्री काजी मुहम्मद ईसा का लेख 'आउट सोर्सिंग : एक प्रभावी विकल्प और ग्राहक सेवा' तथ्यात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। इसके नकारात्मक पक्ष को भी उजागर कर लेखक ने इसे और दिलचस्प बना दिया है। ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण में श्री सुबह सिंह यादव ने ग्राहक संतुष्टि, ग्राहक आह्लाद और ग्राहक उल्लास में संबंधों को उजागर किया है जो अपने आप में एक रोचक विषय है। आजकल ग्राहकों और बैंकों दोनों के लिए निक्षेप बीमा का विशेष महत्त्व है और इस बारे में श्री एच.पंढरीनाथ का लेख 'निक्षेप बीमा और ग्राहक हित रक्षा' विशेष सराहनीय है।

"घूमता आईना" बैंकों एवं ग्राहकों के लिए बैंकिंग की नवीनतम जानकारियों का झरोखा है। इसमें श्री के. सी. मालपानी का प्रयास सराहनीय है। कुल मिलाकर बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन का मुख्य कवर पृष्ठ बैंकों एवं ग्राहकों को इस बात के लिए प्रेरित

करता है कि वे इसका अध्ययन करें, चिंतन करें और सार्वजनिक जीवन में इसे लागू करें। संपादक मंडल एवं उनकी टीम को मेरी बहुत-बहुत बधाइयां।

● राजेंद्र सिंह

मुख्य प्रबंधक (से. नि.)
इंडियन ओवरसीज़ बैंक
लखनऊ

हमें आपकी पत्रिका "बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन" का अक्टूबर-दिसंबर 2013 अंक प्राप्त हुआ, धन्यवाद। ग्राहक सेवा पर समर्पित यह अंक अनोखापन लिए हुए है। पत्रिका के किसी भी लेख पर क्या टिप्पणी करें। हर एक लेख एक से बढ़कर एक है। बहुत ही सादगी के साथ प्रस्तुत ये लेख ज्ञानोपयोगी और नवजानकारीयुक्त हैं। विशेष तौर पर मुझे "बीसीएसबीआई, ग्राहक सेवा और उपभोक्ता सुरक्षा", "ग्राहक सेवा सिद्धांत", "उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986", "बैंकिंग लोकपाल और ग्राहक शिकायतें", "क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी", "घूमता आईना" काफी पसंद आए और इन्हें पढ़कर मुझे काफी कुछ नई जानकारियां प्राप्त हुईं। पत्रिका में प्रकाशित सभी रचनाओं की विशेषता यह है कि यह काफी सरल शब्दों में विस्तृत जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं। आगामी अंकों के लिए हमारी ओर से बहुत-बहुत शुभकामनाएं।

● डॉ. जी.एन. सोमदेवे

सहायक महाप्रबंधक (राजभाषा)
एवं संपादक "आवास भारती"
राष्ट्रीय आवास बैंक

ग्राहक सेवा पर आधारित बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन का अंक प्राप्त हुआ। आवरण पृष्ठ पर ग्राहक सेवा समग्र दृष्टिकोण का स्केच सूचनाप्रद है। संपादकीय बड़ा ही प्रेरणादायी रहा कि इस संसार में मात्र 3 रत्न हैं, जल, अन्न तथा सुभाषित वाक्य। सुभाषित वाक्य वास्तव में बड़े प्रेरणादायी होते हैं। ग्राहक सेवा सिद्धांत एवं संप्रेषण लेख अत्यंत सूचनाप्रद रहा। इसमें संप्रेषण का महत्त्व दर्शाया गया है।

सुश्री सावित्री सिंह ने ग्राहक सेवा पर गठित विभिन्न समितियों का परिचय कराया। श्री परवेज़ अख्तर के लेख में उपभोक्ता संरक्षण कानून की जानकारी प्राप्त हुई। “क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी - ग्राहक सेवा की सबसे बड़ी चुनौती” में डॉ. नौटियाल ने सावधानियाँ बरतने के लिए जोर डाला है। ग्राहक सेवा प्रबंधन की संकल्पना को श्री राजेंद्र सिंह ने विस्तार से स्पष्ट किया। “आउटसोर्सिंग प्रभावी विकल्प और ग्राहक सेवा” में श्री काजी मुहम्मद ईसा ने बाहरी एजेंसियों द्वारा बैंकिंग के कार्य करने के कारण और जोखिम पर प्रकाश डाला है। निजी बैंक बनाम सरकारी बैंक का तुलनात्मक अध्ययन ग्राहक सेवा की दृष्टि से श्री सुशील कृष्ण गोरे जी ने किया। श्री विनय कुमार पाठक जी ने ग्राहक सेवा में भाषा की भूमिका को सिद्ध किया। ग्राहकों की अपेक्षाओं के विषय में डॉ. नरेंद्र पाल जी ने डॉ. लोकेन्द्र के साथ मिलकर व्याख्या की है।

● डॉ. इन्द्र कुमार शर्मा

मुख्य अधिकारी (राजभाषा)
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
अंचल कार्यालय, नई दिल्ली

बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन का ग्राहक सेवा विशेषांक प्राप्त हुआ। हमेशा से ही प्रामाणिकता, मौलिकता और भाषा की सहजता बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन की विशेषता रही है और इन्हीं विशेषताओं के कारण बैंकिंग जैसे तकनीकी विषय को भी बहुत ही सरस और सहज रूप में प्रस्तुत करने में यह पत्रिका हमेशा सफल रहती है। यही कारण है कि जिज्ञासु पाठकगण इसके हर अंक की बेसब्री से प्रतीक्षा करते हैं। हमेशा की तरह इस बार भी इस विशेषांक ने गागर में सागर की उक्ति को चरितार्थ किया है। इसमें ग्राहक सेवा के समस्त महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है। ग्राहक सेवा से शुरू कर ग्राहक की अपेक्षाओं, सुरक्षा, उसकी समस्याओं, निवारण और उस संबंध में गठित विभिन्न समितियों की जानकारी दी गई है। यहां तक कि ग्राहक सेवा में भाषा की क्या भूमिका है, उससे भी यह विशेषांक अछूता नहीं रहा। इसका हर लेख अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण है जो ज्ञान और जानकारी से लबालब है। निश्चित रूप से यह अंक बहुत उपयोगी होने के साथ-साथ संग्रहणीय भी है।

‘ग्राहक सेवा सिद्धांत और संप्रेषण’, ‘ग्राहक सेवा पर गठित विभिन्न समितियों की सिफारिशें - एक विहंगावलोकन’ और ‘क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी - ग्राहक सेवा की बड़ी चुनौती’ आदि आलेख विशेष रूप से जानकारीपरक हैं। ‘घूमता आईना’ हमेशा की तरह बैंकिंग तथा आर्थिक जगत की अद्यतन जानकारी लेकर प्रस्तुत हुआ है। मैं इतनी सारगर्भित पत्रिका प्रकाशित करने के लिए इसके संपादक मंडल को हार्दिक बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि यह पत्रिका यूं ही सफलता के सोपानों को पार करते हुए लोकप्रियता के शिखर पर आसीन हो।

● आर. के. हंसदा

उप महाप्रबंधक
भारतीय रिज़र्व बैंक, पटना

प्रस्तुत अंक सहर्ष प्राप्त हुआ जो कि बैंकिंग सेवा उद्योग की “प्राणवायु” ग्राहक सेवा विशेषांक के रूप में प्रस्तुत है। प्रत्येक स्तर के ग्राहक की मानसिकता पर गौर करके, सूक्ष्मता व गहनता से अभ्यास कर विविध पहलुओं को परिलक्षित कर हर पहलू से संबंधित आलेखों से ओतप्रोत यह अंक तैयार किया गया है। इसमें खास लेख है पत्रिका की कार्यकारी संपादक श्रीमती सावित्री सिंह का, जिसमें ग्राहक सेवा के उत्कृष्ट संपादनार्थ विचार-विमर्श करने हेतु गठित अनेक समितियों का उल्लेख है। सिडबी के उप महाप्रबंधक (विधि) का लेख भी समसामयिक है। डॉ. जयंती प्रसाद नौटियाल का ग्राहक समस्याओं से संबंधित आलेख पठनीय है। ग्राहक की वैकल्पिक वस्तुस्थिति व सोच का अध्ययन एवं फलस्वरूप प्रतिक्रियाओं का समाधान भी प्रस्तुत पत्रिका के (अंक के) लेखों में उत्कृष्टता से समझाया गया है। अतः यह विशेषांक वर्तमान समय में बैंकिंग उद्योग के ग्राहकों की मानसिकता एवं व्यावसायिक अवधारणार्थ घटित प्रतिक्रियाओं का वास्तविक व सूक्ष्म चित्रण है। संपादक मंडल द्वारा किए गए परिश्रम के लिए वे बधाई के पात्र हैं। प्रशंसनीय कार्य के लिए धन्यवाद सहित अगले अंक की प्रतीक्षा में।

● श्री हरिश्चंद्र सागरमल अग्रवाल

अकोला (विदर्भ)

○○○

भारतीय अर्थव्यवस्था और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

वैश्विक परिदृश्य पर किसी देश की अर्थव्यवस्था उस देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, भौतिक, सामरिक तथा समेकित प्रबलता को परिलक्षित करती है। वर्तमान वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किसी भी अर्थव्यवस्था हेतु महत्त्वपूर्ण कारक है। भारत जैसा प्राचीन, समृद्ध और सांस्कृतिक विरासत वाला राष्ट्र अपनी अर्थव्यवस्था के कारण ही वैश्विक आर्थिक संकट में स्वयं को अप्रभावित रख पाया है। इस अर्थव्यवस्था में वित्तीय स्थिरता तथा संवृद्धि दर को बनाए रखने में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अतः प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भारतीय अर्थव्यवस्था की वैश्विक उपस्थिति हेतु अत्यंत आवश्यक है। फिक्की के अध्यक्ष हर्ष मेरिवाला तथा भारतीय उद्योग महासंघ के अध्यक्ष थॉमस वर्गीस ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को भारत की अर्थव्यवस्था के सार्वभौमिक विकास के लिए और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से भारत जैसी कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में कृषि व खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों हेतु प्रासंगिक आवश्यकता बताया है।

किसी देश की एक कंपनी द्वारा दूसरे देश में उत्पादन (सेवाओं एवं वस्तुओं के उत्पादन) व वितरण में सीधा निवेश करना या उस देश की किसी कंपनी को खरीदना या कंपनी द्वारा उस देश में अपने पहले से स्थित कारोबार का विस्तार करना



अभिषेक पटेल
प्रबंधक, इलाहाबाद बैंक
भरुआ, सुमेरपुर

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहलाता है। ऐसे निवेश से निवेशक को दूसरे देश की कंपनी के प्रबंधन में आंशिक या पूर्ण स्वामित्व हासिल हो जाता है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एक ऐसा निवेश है जो प्राप्तकर्ता देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है। इस प्रकार के निवेश अधिकांशतः बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों और विकसित देशों द्वारा ऊंचे प्रतिफल की लालसा में किए जाते हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में जन (श्रम), धन (पूंजी) और प्रौद्योगिकी (टेक्नोलॉजी) तीनों का समावेश होता है। विदेशी निवेश के कई कारण होते हैं जिनमें सस्ते श्रम का लाभ उठाना, श्रेष्ठ बाजार की उपलब्धता, किसी देश के द्वारा पूरे देश या किसी क्षेत्र विशेष में उपलब्ध कराई जाने वाली विशेष सुविधाओं यथा - करों में छूट, बाजारों तक पहुंच की दिशा में आने वाली बाधाओं में कमी या समाप्ति आदि से लाभ कमाना इत्यादि शामिल हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से निवेशक तथा जिस देश में निवेश किया जाता है, दोनों पक्षों को लाभ प्राप्त होता है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में उन क्षेत्रों की ओर ध्यान दिया जा सका, जो आर्थिक कारणों से उपेक्षित थे। भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार इस बात की कोशिश कर रही है कि कैसे वह निवेशकों से अत्यधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित कर सके। औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के अनुसार वैश्विक संकट और तरलता संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हासिल करने में 11 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की जा सकी। इस दौरान रसायन तथा संचार क्षेत्रों ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में क्रमशः 227 तथा 103 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की भारत के परिप्रेक्ष्य में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

1947 में भारत की आजादी के बाद नीति निर्माताओं ने विदेशी मुद्रा संसाधन जुटाने के उद्देश्य से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

को बढ़ावा देने तथा उन्नत प्रौद्योगिकी प्राप्त करने के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हेतु नीति का निर्माण किया। विकास क्षेत्रों के क्रियाकलापों पर नियंत्रण हेतु देश में विभिन्न कृषि, व्यापारिक एवं औद्योगिक नीतियों की संरचना की गई। देश में प्रथम औद्योगिक नीति 1948 से ही विदेशी पूंजी निवेश को देश के विकास हेतु महत्वपूर्ण माना गया किंतु परतंत्रता की लंबी पीड़ा को देखते हुए विदेशी पूंजी का नियंत्रण भारतीय हाथों में रखे जाने की दृष्टि से प्रबंधन एवं स्वामित्व में पचास प्रतिशत से कम की हिस्सेदारी को स्वीकार किया गया। सन् 1991 से पूर्व यह विनिर्माण, खनन और पेट्रोलियम जैसे क्षेत्रों तक ही सीमित था। लेकिन इसके बाद उदारवादी नीतियों के फलस्वरूप प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में तेजी से वृद्धि हुई है। भारत में उदारीकरण के बाद 1991 से 2006 तक की अवधि में कुल 38,906 करोड़ डॉलर का निवेश हुआ है। यह आंकड़ा उदारीकरण के डेढ़ दशकों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्शाता है लेकिन अन्य विकासशील देश जैसे चीन, वियतनाम, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया की तुलना में हमारे देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

अत्यंत कम है। विश्व की दूसरी बड़ी जनसंख्या वाले देश के लिए यह शुभ लक्षण नहीं है।

भारत सरकार द्वारा उदारीकरण के पश्चात् प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के प्रमुख उद्देश्य अपेक्षाकृत कम समय में भारत को विश्व के शीर्ष औद्योगिक देशों में शामिल करना, औद्योगिक क्रियाकलापों में निवेश हेतु अधिकाधिक अवसरों का सृजन करना, आम जनता के जीवन स्तर को ऊपर उठाना, विदेशी पूंजी के आगम मार्ग को सुगम बनाना, घरेलू स्तर पर प्रतियोगी वातावरण सृजित करना तथा निर्यात घाटे को कम करना आदि थे।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव तथा वर्तमान दशा व दिशा

भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वित्तीय स्थिरता प्रदान करने तथा ऊंची संवृद्धि दर को बनाए रखने में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। वर्ष 2011-12 के दौरान भारत

क्रम सं.	वर्ष (अप्रैल-मार्च)	भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (मिलियन डॉलर)
1	2000-01	2,463
2	2001-02	4,065
3	2002-03	2,705
4	2003-04	2,188
5	2004-05	3,219
6	2005-06	5,540
7	2006-07	12,492
8	2007-08	24,575
9	2008-09	31,396
10	2009-10	25,834
11	2010-11	21,383
12	2011-12	35,121
13	2012-13	22,423

स्रोत-औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार। प्रस्तुत आंकड़ों को इस लिंक पर भी देखा जा सकता है- [http://mofpi.nic.in/writereaddata/2003Statement%207\(1\).xls](http://mofpi.nic.in/writereaddata/2003Statement%207(1).xls)

में कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 35,121 मिलियन अमरीकी डॉलर हुआ जिसने भारत के विदेशी मुद्रा भंडार तथा समेकित आर्थिक संतुलन में सकारात्मक योगदान किया है। इससे भारत उन समस्याओं की ओर ध्यान देने में सक्षम हो सका जो अभी तक धन की कमी के कारण उपेक्षित थीं। औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के अनुसार वैश्विक मंदी और तरलता संकट के बावजूद भारत ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 11 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। इस दौरान भारत ने रसायन तथा संचार के क्षेत्र में क्रमशः 227 प्रतिशत तथा 103 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की जो भारत की आर्थिक सुदृढ़ता को दर्शाता है। परमाणु ऊर्जा, रेलवे, कोयला व लिग्नाइट खान जैसे कुछ क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रतिबंधित है। भारत में शीर्ष प्रत्यक्ष विदेशी निवेश विद्युत उपकरण, दूरसंचार, परिवहन उद्योग, सेवा क्षेत्र, ईंधन (ऊर्जा और तेल शोधक) आदि में हुआ है। जिन क्षेत्रों में भारत ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित किया है उनमें सकारात्मक परिणाम भी परिलक्षित हुए हैं।

की प्राथमिक अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। निवेशक को केवल बाहरी धन प्राप्त के 30 दिनों के अंदर आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालय को सूचित करना होगा तथा विदेशी निवेशक को जारी शेयरों की तारीख से 30 दिनों के भीतर भारतीय रिज़र्व बैंक के उसी कार्यालय में आवश्यक दस्तावेज दाखिल करने होंगे। सरकारी मार्ग के अंतर्गत अनिवासी भारतीय और सिंगल ब्रैंड उत्पाद की खुदरा बिक्री में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अतिरिक्त सभी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के आवेदन वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग में प्राप्त किए जाते हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह के स्रोत केंद्रों के संबंध में विचार करने पर ज्ञात होता है कि अब प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वाले देशों की संख्या सैंकड़ों पार कर चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भारत में बड़े प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वाले देशों की संख्या दस के अंदर है जो भारतीय अर्थव्यवस्था के अवरोधों का विश्लेषण करने को बाध्य करती है।

भारत में स्रोतवार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (मिलियन डॉलर)

(1 अप्रैल 2000 से 31 मार्च 2012 तक)

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (स्रोत देश)	प्रत्यक्ष विदेशी निवेश राशि (मिलियन डॉलर)	प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (स्रोत प्रदेश)	प्रत्यक्ष विदेशी निवेश राशि (मिलियन डॉलर)
मॉरिशस	64,169	मुंबई	60,722
सिंगापुर	17,153	नई दिल्ली	35,256
ब्रिटेन	15,896	बंगलुरु	10,199
जापान	12,313	चेन्नै	9,341
अमेरिका	10,564	अहमदाबाद	8,521
हॉलैंड	7,109	कोलकाता	7,244

स्रोत : वित्त मंत्रालय रिपोर्ट 2012-13

जिन क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है उनमें निवेश के दो मार्ग हैं - एक स्वतः मार्ग और दूसरा सरकारी मार्ग। स्वतः मार्ग के अंतर्गत अधिकतर क्षेत्रों में शत-प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है। इस मार्ग के अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक और सरकार

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सेवा क्षेत्र पर प्रभाव

देश के आर्थिक विकास के साथ सेवा क्षेत्र का विकास अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्र की आर्थिक क्रियाएं जैसे - कृषि, मछली पालन, वानिकी आदि देश के प्रारंभिक विकास के साथ जुड़ी हुई हैं। इनकी प्रगति

के साथ ही इनसे संबंधित सेवाओं का जब विस्तार होने लगता है तो तृतीयक क्षेत्र 'सेवा क्षेत्र' का निर्माण होता है। आर्थिक विकास की दृष्टि से 'आधार' जैसी नकद परियोजनाओं के कारण बैंकिंग जैसे तृतीयक क्षेत्र प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों हेतु प्राण वायु का काम कर रहे हैं। सेवा क्षेत्र के अंतर्गत वित्त, बैंकिंग सेवाएं, बीमा, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि जनहित हेतु प्रत्यक्ष लाभकारी क्षेत्र हैं जिनमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की नितांत आवश्यकता है।

नब्बे के दशक में विदेशी ऋण भार बढ़ने, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तकनीकी अंतर को कम करने, पूंजी की मात्रा को बढ़ाने तथा मानवीय व प्राकृतिक संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करने के उद्देश्य से सेवा क्षेत्र सहित अन्य क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हेतु खुली एवं उदारवादी औद्योगिक नीति 1991 की घोषणा की गई। इस नीति में विदेशी फर्मों को विशेषकर प्रौद्योगिकी अंतरण, दूरसंचार उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक मदों, बीमा क्षेत्र, स्वास्थ्य, पर्यटन, परिवहन आदि जैसे अविकसित क्षेत्रों में निवेश की सीमा 51 प्रतिशत कर दी गई। वर्तमान में उल्लिखित नीति के क्रम में निर्यात के लक्ष्य को प्राप्त करना प्रमुख चुनौती है। इसके

अतिरिक्त भारतीय उद्योगों के उत्पाद की कीमत विदेशी उत्पाद के मुकाबले 16 से 20 प्रतिशत अधिक बैठती है। इस अंतर का प्रमुख कारण बुनियादी सुविधाओं जैसे बिजली, परिवहन आदि की ऊंची लागत है। अतः इस सेवा क्षेत्र के विकास हेतु इस प्रकार की मूलभूत सुविधाओं को प्रदान करने के लिए ठोस व सुदृढ़ नीति के निर्माण व क्रियान्वयन की आवश्यकता है।

सेवा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अर्थव्यवस्था के विकास के साथ घनिष्ठ संबंध को स्पष्ट करते हुए कॉलिन क्लर्क ने अपनी पुस्तक "कंडिशन ऑफ़ इकॉनॉमी प्रोग्रेस" में लिखा है, "प्रति व्यक्ति वास्तविक आय का उच्च स्तर, सदैव कार्यकारी जनसंख्या के अनुपात से संबंधित तृतीयक क्षेत्र से जुड़ा होता है।" अर्थात् किसी देश की अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से यदि प्रति व्यक्ति आय व राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी तो कृषि आधारित जनसंख्या के अनुपात में गिरावट होती है और उद्योग एवं सेवाओं का अनुपात बढ़ जाता है।

विश्व व्यापार संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सेवा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के कारण ही भारत सेवाओं के मामले में 11वां बड़ा निर्यातक व 13वां बड़ा आयातक देश

भारत में क्षेत्रवार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (मिलियन डॉलर)

क्रम सं.	क्षेत्र	प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	कुल संचयी प्रतिशत
1	सेवाक्षेत्र (वित्तीय/गैर-वित्तीय)	32,351	19
2	दूरसंचार	12,552	7
3	निर्माण क्रियाएं	11,433	7
4	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	11,205	7
5	आवास एवं स्थायी संपदा	11,113	7
6	रासायनिक संपदा	9,844	6
7	ओषधियां एवं फार्मा	9,195	5
8	विद्युत	7,299	4
9	ऑटोमेशन एवं ऑटोमोबाइल	6,758	4
10	मेटालर्जिकल उद्योग	6,041	4

स्रोत : वित्त मंत्रालय रिपोर्ट, 2012-13

हो गया है। विश्व के सकल देशी उत्पाद में सेवा क्षेत्र का योगदान 60 प्रतिशत है वहीं भारत में सेवा क्षेत्र का योगदान 52.4 प्रतिशत है। वर्तमान में सेवा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के जन (श्रम), धन (पूंजी) और प्रौद्योगिकी (टेक्नोलॉजी) के सहयोग के कारण ही भारत अंतरिक्ष, सुपर कंप्यूटर और डेटा प्रसंस्करण क्षेत्रों में विश्व के गिने-चुने देशों में शामिल है। सेवा क्षेत्र के अंतर्गत तकनीकी शिक्षा और भारतीय प्रतिभा के मेल ने सूचना प्रौद्योगिकी को भारतीय अर्थव्यवस्था हेतु कामधेनु का दर्जा दिला दिया है।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का भारत के परिप्रेक्ष्य में लाभ

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एक ऐसा निवेश है जो देश की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देता है। यह निवेश बहुराष्ट्रीय निगमों और विकसित देशों द्वारा ऊंचे प्रतिफल प्राप्त हेतु किया जाता है।

1. पुरानी तकनीक, अपर्याप्त आधारभूत ढांचा, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था जैसी स्थितियों के कारण विकासशील देशों के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संवृद्धि की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्राणवायु के समान है।

2. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से निवेश करने वाली कंपनी को नए बाज़ार में प्रवेश करने का मौका प्राप्त होता है वहीं घरेलू अर्थव्यवस्था में पूंजी और नवीनतम तकनीक का समावेश होता है।

3. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से भारत की 40 करोड़ असंगठित क्षेत्र से जुड़ी जनता को काफी हद तक संगठित क्षेत्र जैसा रोजगार प्राप्त हो सकेगा। नीलसन ऑर्गेनाइज़ेशन सर्वे-2011 के अनुसार भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से 1.48 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

4. दलाल संस्कृति पर नियंत्रण प्राप्त करने में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश रामबाण सिद्ध हो सकता है जिससे खुदरा कारोबार, जन वितरण निकाय, कृषि आदि क्षेत्रों में भ्रष्टाचार को कम किया जा सकेगा।

5. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के आने से संबंधित क्षेत्र में प्रतिस्पर्द्धात्मक वातावरण सृजित होगा जो भारतीय मिश्रित

अर्थव्यवस्था में संवृद्धि व विषमता के मध्य संतुलन स्थापित करेगा।

6. प्रतिस्पर्द्धात्मक वातावरण आने से अंततः भारतीय उपभोक्ताओं को फायदा होगा तथा महंगाई पर नियंत्रण स्थापित होगा। इसके अतिरिक्त, उपभोक्ताओं को वैश्विक स्तर की वस्तुएं कम दाम पर प्राप्त हो सकेंगी।

7. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तथा लघु व मध्यम उद्योगों के क्षेत्र में भी विकास देखने को मिलेगा।

8. भारत के हित में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भूमंडलीकरण का उत्तम उदाहरण बनेगा तथा देश को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने में सहायक सिद्ध होगा।

9. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के तहत विदेशी कंपनियां भारत को “समर्थन कर” देंगी जिससे राष्ट्रीय आय तथा सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि होगी जो भारतीय अर्थव्यवस्था को संबल प्रदान करेगी।

10. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से उत्पादकों को मिलने वाले मूल्य (फार्म गेट प्राइस) व उपभोक्ताओं द्वारा सामान हेतु चुकाए जाने वाले खुदरा मूल्य में अंतर घटेगा जिससे भारत के लोगों को अपनी वास्तविक आय का स्तर सुधारने का अवसर प्राप्त होगा।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की भारत के परिप्रेक्ष्य में हानि

1. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से राजनीतिक क्षेत्र में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है जिससे राजनीति में दलाली प्रथा तथा लॉबिंग को प्रोत्साहन प्राप्त होता है। 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला, शस्त्र खरीद घोटाला आदि इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं जिससे भारत की आर्थिक, सामरिक तथा वैश्विक छवि धूमिल हुई है।

2. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वाली कंपनियां मात्र उन्हीं क्षेत्रों में निवेश करती हैं जहां उन्हें आर्थिक लाभ हासिल हो। वे जनहित में शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना जैसे क्षेत्रों में पर्याप्त प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नहीं कर रही हैं।

3. जो राज्य विकसित हैं वहीं विदेशी कंपनियां प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने के लिए आतुर रहती हैं जो पिछड़े राज्यों के समेकित व समावेशित विकास की अवधारणा के विपरीत है।

4. वैश्विक आपूर्ति शृंखला व संगठित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के कारण लोक क्रय शक्ति का हनन होगा जिसका समेकित प्रभाव भारत की मध्यमवर्गीय जनता पर पड़ेगा।

5. भारत में चीन के बने उत्पाद भारतीय लघु व मध्यम वर्गीय उद्योगों को नष्ट कर सकते हैं जिसका आभास वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक व कुटीर उद्योगों पर परिलक्षित हो रहा है।

6. भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अंतर्गत विदेशी कंपनियों को प्राप्त लाभ में 300 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। जबकि भारतीय उद्योग ने मामूली वृद्धि दर्ज की है। लाबिस्ट फील्ड रिपोर्टिंग-2011 के अनुसार भारतीय हितों की अनदेखी करने के लिए विदेशी कॉरपोरेट लाबिस्टों द्वारा करोड़ों रुपये का घोटाला किया गया है।

7. निश्चित ही प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से बिचौलियों तथा सक्षम आपूर्ति शृंखला नष्ट होगी, लेकिन भारतीय किसानों का मानवीय व आर्थिक शोषण भी संभावित है।

8. भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तकनीकी सहयोग की जगह वित्तीय सहयोग के रूप में अधिक है। यह वित्तीय क्षेत्र से संबंधित क्षेत्रों से प्रदान किए गए छूटों का परिणाम है। इससे भारत मात्र प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के द्वारा वित्तीय सुदृढ़ता प्राप्त कर रहा है।

9. पेनिसिलिया यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन “वालमार्ट और गरीबी” से स्पष्ट है कि जिन क्षेत्रों में वालमार्ट स्टोर ज़्यादा है वहीं गरीबी ज़्यादा है। अतः भारत के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लाभकारी नहीं है जहां आधी से ज़्यादा आबादी 20 रुपये से कम दैनिक आय पर रोजाना जीवनयापन कर रही है।

10. लघु व मध्यम उद्योगों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से गुणवत्ता नियंत्रक, मानक निर्धारक, प्रमाणपत्र एजेंसी, प्रोसेसर तथा पैकेजिंग सलाहकार के रूप में नए बिचौलिए उत्पन्न हो जाएंगे जो अंततः किसान वर्ग का शोषण करेंगे और किसानों को बाजार मूल्य से भी कम दाम चुकाएंगे। उदाहरणार्थ इंग्लैण्ड में टेस्को किसानों को बाजार मूल्य से चार प्रतिशत कम मूल्य देती है। सुपर मार्केटों के कम मूल्य के कारण ही स्कॉटलैंड के किसान “फेयर फील फूड” नामक अपना एक संगठन बनाने को मजबूर हुए हैं।

भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में सुधार हेतु सुझाव

भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वैश्विक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं परंतु नीतिगत क्रियान्वयन में सुधार हेतु निम्नलिखित उपाय करना अपेक्षित है :

1. वैज्ञानिक-तकनीकी क्षेत्र में आधिकारिक रूप से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह बढ़ाने के लिए हमारे वैज्ञानिक-तकनीकी क्षेत्र से संबंधित प्रावधानों को उदार बनाने की ज़रूरत है।

2. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह के द्वारा निर्यात में वृद्धि के लिए टैरिफ दर को कम किए जाने की ज़रूरत है। यह विश्व में अभी भी अन्य देशों की अपेक्षा अधिक है।

3. मौद्रिक नीति को प्रत्यक्ष निवेश के अनुकूल बनाए जाने की सख्त आवश्यकता है जिससे महंगाई पर नियंत्रण हेतु कीमतों तथा ब्याज दर को घटाना होगा।

4. काले धन की समस्या को समाप्त करने तथा मॉरिशस जैसे देशों के रास्ते आने वाले अत्यधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को तर्कसंगत बनाना होगा।

5. शिक्षा, चिकित्सा, आधारभूत संरचना, कृषि प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में जन कल्याण को ध्यान में रखकर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देने हेतु उपाय करना चाहिए।

6. कॉरपोरेट क्षेत्र की सामाजिक उपादेयता को संवर्धित करना होगा तथा उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ाने हेतु सकारात्मकता परिलक्षित करनी होगी।

7. राज्यवार विद्यमान आर्थिक, सामाजिक, भौतिक विषमता को दूर करने हेतु गरीब व कमजोर आधारभूत संरचना वाले राज्यों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करने के प्रावधान करने होंगे। इन उपायों से इन राज्यों के विकास को मजबूती प्राप्त होगी तथा अन्य आवश्यक क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित किया जा सकेगा।

8. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मात्र वित्तीय लाभ के लिए ही सीमित नहीं रखना चाहिए। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को तकनीकी, मानविकी तथा उन्नत कृषि हेतु अनिवार्य प्रावधानों से निर्मित

करना चाहिए ताकि भारत की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था को नई दिशा प्राप्त हो सके।

9. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश द्वारा निर्यात में वृद्धि हेतु टैरिफ दर में कमी लाने की नितांत आवश्यकता है ताकि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का अर्थव्यवस्था में सकारात्मक वृद्धि हेतु प्रयोग किया जा सके।

10. भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नियम के अंतर्गत आधारभूत संरचना, खाद्यान्न भंडारण तथा परिवहन के विकास हेतु विदेशी कंपनियों को अपने कुल निवेश का 50 प्रतिशत निवेश करना होगा। वास्तविकता में कंपनियों के मुख्यालयों व स्टोरों की स्थापना में होने वाला खर्च भी इसमें जुड़ जाएगा तथा इन क्षेत्रों में होने वाला निवेश शून्य ही रहेगा। देश हित में ऐसी भ्रामक नीति में भी संशोधन करने की आवश्यकता है।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हेतु भारत सरकार के प्रयास

भारत सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के निहितार्थ उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कई संस्थानों का गठन किया है, यथा - विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, निवेश आयोग आदि। इसके अतिरिक्त प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर निगरानी के लिए सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी), भारतीय रिज़र्व बैंक तथा वित्त मंत्रालय सहित अन्य मंत्रालय भी क्रियाशील हैं। भारत सरकार अपनी इन संस्थाओं के माध्यम से अपनी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति की समय-समय पर समीक्षा करती है। 10 अप्रैल 2012 से लागू प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के अनुसार निम्नलिखित क्षेत्रों के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा नीचे दर्शाई गई है:

क्षेत्र	प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सीमा (%)
रक्षा, बीमा, मीडिया तथा पेट्रोलियम	26
बैंकिंग, आधारभूत, टेलीकॉम	49
मल्टी ब्रैंड, पाइपलाइन	51
परमाण्विक खनिज, विज्ञान पत्रिकाएं, पेट्रो विपणन	74
बीपीओ, कोल्ड स्टोरेज, ई-कॉमर्स, फिल्म, होटल आदि	100

भारत का खुदरा कारोबार करीब 23 लाख करोड़ रुपये का है जिसमें देश की कामगार आबादी के करीब 7 फीसदी और कुल आबादी के करीब 4 फीसदी आबादी को रोजगार मिला हुआ है जो कृषि के बाद देश का सर्वाधिक रोजगार प्रदाता क्षेत्र है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के बिना भारत का खुदरा कारोबार सालाना करीब 13 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है और देश की जीडीपी में करीब 14 फीसदी का योगदान दे रहा है। आर्थिक सुधारों को गति प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने 14 सितंबर 2012 को मल्टीब्रैंड रिटेल में 49 प्रतिशत तथा सिंगल ब्रैंड में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी दे दी है।

निर्यातकों को विशेष प्रोत्साहन के लिए व्यापार नीति 2004-09 के अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वाले उद्योगों के निर्यात उत्पादों की लागत कम रखने के उद्देश्य से उन्हें सेवा कर मुक्त कर दिया है। उक्त नीति के अंतर्गत निर्यात को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से “सर्व्ड फ्राम इंडिया स्कीम” नामक योजना का निर्माण किया गया है। इस योजना के अंतर्गत न्यूनतम 10 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा हासिल करने वाले व्यक्तिगत सेवा उत्पादक को 10 प्रतिशत सेवा कर की रियायत दी गई है, जिसके लिए “सेवा निर्यात परिषद” की स्थापना की गई है। इससे सेवा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहन मिलने की पूर्ण संभावना है।

उपसंहार

भारत एक युवा देश है जहाँ 65 प्रतिशत क्रियाशील जनसंख्या निवास करती है। अतः युवा क्रियाशील जनता को ध्यान में रखकर भारत में ऐसी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति को बनाए जाने की आवश्यकता है जिससे यदि किसी क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भारतीय अर्थव्यवस्था को हानि पहुंचा रहा हो तब उसमें तुरंत हस्तक्षेप कर सुधारात्मक उपाय किए जा सकें। इसके अतिरिक्त मानव विकास के अहम बिंदु शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा सहित जीवन स्तर के विकास में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देना चाहिए, तभी सामाजिक न्याय तथा सामाजिक कल्याण की अवधारणा तथा भारत के विकसित देश बनने की संभावना साकार हो सकेगी।

○○○

इतिहास के पन्नों से

सिंडिकेट बैंक - विश्वसनीय, मैत्रीपूर्ण

बैंकों

के गुजरे पलों की यात्रा के दौरान हमने आज तक आपको देश के अलग-अलग हिस्सों में जन्मे अलग-अलग बैंकों की सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक विरासत से रूबरू कराया है। आइए इस अंक में आपको ले चलते हैं एक ऐसे बैंक की ऐतिहासिक धरोहर की यात्रा पर जिसका जन्म कर्नाटक राज्य के उडुपि शहर में हुआ। यह शहर प्राचीनकाल से अपनी व्यावसायिक क्षमताओं के लिए आकर्षण का केंद्रबिंदु रहा है। विगतकाल से यहां पर हथकरघा उद्योग जैसे छोटे-मोटे उद्योग पनपते रहे हैं और समय के झंझावात को सहते हुए प्रगति पथ पर अग्रसर भी होते रहे हैं। इसी उद्योग की आवश्यकता वह जननी बनी जिसने आज के सिंडिकेट बैंक जैसे वटवृक्ष को जन्म दिया। आइए चलते हैं इस बैंक के उद्गम, विकास और वर्तमान की यात्रा पर।

मैं हूँ सिंडिकेट बैंक, आपका विश्वसनीय और मैत्रीपूर्ण साथी जिसने भारत के दक्षिणी छोर में स्थित कर्नाटक राज्य के एक प्रमुख वाणिज्यिक केंद्र उडुपि में आज से ठीक 88 वर्ष पहले आकार ग्रहण किया था। उडुपि शहर की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि



सावित्री सिंह

उप महाप्रबंधक

भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई



सिंडिकेट बैंक का मौजूदा प्रधान कार्यालय

से तो आप परिचित होंगे ही जिसे श्रीकृष्ण की निवासस्थली होने का गौरव भी हासिल है। यहां के लोगों में व्यावसायिक दक्षता कूट-कूटकर भरी रहती है। वे अपने-अपने क्षेत्र में दक्ष एवं अत्यंत ही व्यवहार कुशल माने जाते हैं। वह आजादी से पहले का समय था जब देश के छोटे-मोटे उद्योग धंधे अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे थे। ब्रिटिश साम्राज्य हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले कुटीर उद्योगों को तबाह करने पर लगा हुआ था। ऐसे में देश के अलग-अलग भागों में कई चिंतकों ने अपनी दूरदृष्टि के चलते ऐसे उद्योग धंधों की मदद करने का बीड़ा उठाया और उन्हें आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए छोटी-मोटी पहल शुरू की। कुछ इसी तरह की सोच ने मुझे भी आकार प्रदान किया। मैं 1925 के साल को कभी भुला नहीं सकता क्योंकि यही वह वर्ष था जब मेरे जन्मदाता श्री उपेंद्र अनंत पै, श्री वामन कुडवा और डॉ. टी.एम.ए. पै ने मेरी आधारशिला रखी। पेशे से ये त्रिदेव क्रमशः व्यवसायी, इंजीनियर और डॉक्टर थे। लेकिन व्यावसायिक प्रतिबद्धता के साथ-साथ इनमें समाज कल्याण की भावना भी अपनी बुलंदियों पर थी।

मेरे अंकुरण काल का समय ऐसा था जब स्थानीय लोगों की रोजी-रोटी का प्रमुख जरिया हथकरघा उद्योग अपने अस्तित्व के बेहद नाजुक दौर से गुजर रहा था। फंड की कमी ने छोटे-मोटे बुनकरों को बेरोजगार करना शुरू कर दिया था।

ऐसे में मेरे जन्मदाता त्रिदेव ने मिल बैठकर मंत्रणा की और तीनों इस नतीजे पर पहुंचे कि यदि लोगों से हर रोज एक मामूली रकम एकत्रित की जाए तो वह एक पर्याप्त निधि का आकार ले सकती है जिससे छोटे-छोटे बुनकरों की आर्थिक मदद की जा सकती है। 'बूंद-बूंद से समुद्र बनता है' के सिद्धांत में विश्वास रखनेवाली इस तिकड़ी की सोच ने जन्म दिया 'केनरा इंडस्ट्रियल एंड बैंकिंग सिंडिकेट लिमिटेड' को जिसका कि मैं एक विकसित रूप हूँ। मेरी पैतृक संस्था ने मात्र 8000 रुपए की अल्प राशि के साथ 20 अक्टूबर 1925 को काम करना आरंभ किया। कर्मचारी के नाम पर कुल जमा एक व्यक्ति ही था जिसे यह जिम्मेदारी सौंपी गई कि वह जमाकर्ताओं के घर-घर जाकर प्रतिदिन दो आने की मामूली राशि इकट्ठी करे। मेरे जन्मदाताओं ने इस अनूठी पहल को 'पिग्मी जमा योजना' का नाम दिया जो आज मेरी ब्रांड इक्विटी बन चुकी है। 'पिग्मी' अर्थात् लघु या बौना और अपने शाब्दिक अर्थ के अनुरूप ही इस योजना के तहत वसूली जाने वाली राशि मात्र दो आने प्रतिदिन थी। लेकिन मैं बड़े गर्व के साथ आपको बताना चाहूंगा कि मेरी इस ब्रांड योजना के तहत आज की तारीख में हर रोज लगभग 2 करोड़ रुपए संगृहीत किए जाते हैं। तो देखा आपने बूंद-बूंद से सागर बनने के इस अनूठे प्रयास का नतीजा।

अपनी लघु आमदनी के जरिए छोटे-मोटे बुनकरों की आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने का सफर मैंने आरंभ किया और 1928 में कर्नाटक राज्य के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित ब्रह्मावर जिले में मेरी पहली शाखा अस्तित्व में आई। मैंने समाज कल्याण की भावना को कायम रखते हुए अपने प्रयास जारी रखे और मेरा कारोबार शनैःशनैः फलता-फूलता गया। ब्रिटिश राज्य में देश की आर्थिक गतिविधियों का केंद्रबिंदु बंबई शहर हुआ करता था जिसे आज भी देश की आर्थिक राजधानी होने का गौरव हासिल है। अलग-अलग बैंकों के जरिए होने वाले वित्तीय लेन-देनों के निपटान के लिए यही शहर जरिया हुआ करता था। जब मैंने अपने पंख पसारने शुरू किए तो मुझे भी अपने कारोबारी लेन-देन के निपटान के लिए तत्कालीन बंबई शहर में कार्यरत समाशोधन गृह की शरण में जाना पड़ा और मैंने 1937 में इसकी सदस्यता हासिल कर ली। फिर आया आजादी

से एक साल पहले का दौर जब मैंने आज के वित्तीय समावेशन की तर्ज पर एक ही दिन में 29 ग्रामीण शाखाएं खोलने का गौरव हासिल किया। सुदूर गांवों तक अपनी पहुंच बनाने और लोगों में अपनी पैठ मजबूत करने में अपनी पिग्मी जमा योजना को मैं आज की वित्तीय समावेशन की अवधारणा का जनक मानता हूँ। आज हम सभी आम जनता को बैंकिंग सुविधाओं के दायरे में लाने के लिए जो अलग-अलग तरीके अपना रहे हैं मेरी जन्मदाता तिकड़ी ने तो इसी सोच के साथ ही मुझे आकार दिया था। सो यदि मैं अपने आपको वित्तीय समावेशन का पुरोधा मानता हूँ तो मेरे विचार से यह बिल्कुल सही है।

मेरे आज तक के सफर में 1964 का साल एक टर्निंग पॉइंट रहा है। यही वह वर्ष था जब मुझे अपने मौजूदा नाम की पहचान मिली और मैं 'केनरा इंडस्ट्रियल एंड बैंकिंग सिंडिकेट लिमिटेड' से अलग होकर 'सिंडिकेट बैंक' की संज्ञा को धारण कर पाया। मेरा पूर्व नाम बहुत लंबा था और मेरे प्रिय ग्राहक मुझे 'सिंडिकेट बैंक' के नाम से ही पुकारते थे। अतः 1964 में मेरे तत्कालीन प्रबंध निदेशक श्री टी.ए. पै ने ग्राहकों में मेरी पहचान से ही मेरा नामकरण करते हुए कहा कि जिस नाम से मेरी पहचान ग्राहकों में बन चुकी है उसे ही यदि अपना लिया जाता है तो ग्राहकों का मुझसे जुड़ाव और भी गहरा हो जाएगा। इस तरह से मुझे 1964 में 'सिंडिकेट बैंक लिमिटेड' के रूप में नई पहचान मिली।

अपनी इस नई पहचान को हासिल करने के सफर के दौरान मैंने 'महाराष्ट्र अपेक्स बैंक लि.' 'सदर्न इंडिया अपेक्स बैंक लि.' जैसे अन्य बीस छोटे-मोटे बैंकों को अपने में समाहित कर लिया था। इससे मेरी ताकत व आकार को मजबूती मिलती गई। वर्ष 1964 में मेरा प्रधान कार्यालय उडुपि से हटकर पास ही हरी-भरी पहाड़ियों में स्थित मणिपाल नगर में आ गया। 19 अप्रैल 1964 को मैंने अपने मौजूदा परिसर में प्रवेश किया और तब से लेकर आज तक मैं यहीं से अपनी देश-विदेश की शाखाओं के जरिए लोगों को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने के कार्य में जुटा हुआ हूँ।

एक नए नाम के साथ-साथ मैंने अपनी पहचान, अपने प्रतीक चिह्न में भी बदलाव लाया। मेरे प्रतीक चिह्न या 'लोगो'

के रूप में आप जिस 'श्वान' को देखते हैं वह पशु योनि का होते हुए भी मानव जाति का सबसे वफादार मित्र कहलाता है। उसकी इसी वफादारी को समर्पित है मेरा सूत्रवाक्य जो मेरी पहचान दो शब्दों में प्रकट करता है "विश्वसनीय, मैत्रीपूर्ण"। साथ ही उसकी सतर्क मुद्रा मेरे इस संदेश को लोगों तक पहुंचाने का कार्य भी करती है कि मैं अपने ग्राहकों के हित का एक सजग प्रहरी हूँ और अपने ग्राहकों के विश्वास को कायम रखने के लिए सदैव प्रयासरत रहता हूँ।

घरेलू मोर्चे पर कामयाबी हासिल करने के बाद मैंने विदेशी धरती का रुख किया और 17 अगस्त 1976 को लंदन में अपनी पहली शाखा का श्रीगणेश किया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज की तारीख में मैं दोहा की 'नेशनल एक्सचेंज कं.' और मस्कत की 'मुसंदम एक्सचेंज कं.' का कार्यभार संभाल रहा हूँ। अपने विस्तार की योजनाओं पर अमल करते-करते मैं उस मुकाम पर पहुंच गया जब वर्ष 1978 में दिल्ली के हौज खास क्षेत्र में मेरी 1000वीं शाखा ने बैंकिंग कारोबार आरंभ किया।

इस बीच मेरे जीवन में आए एक अन्य महत्वपूर्ण पड़ाव का उल्लेख मैं ज़रूर करना चाहूंगा जो है वर्ष 1969 का वह घटनाक्रम जब 19 जुलाई 1969 को 13 अन्य वाणिज्यिक बैंकों के साथ ही मेरा भी राष्ट्रीयकरण किया गया और तब से 'भारत सरकार का उपक्रम' के रूप में मेरी एक नई पहचान बन गई। वैसे तो मेरा जन्म ही समाज कल्याण के लिए हुआ था लेकिन भारत सरकार का उपक्रम बन जाने के बाद मैंने सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं को अमली जामा पहनाने में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया है। मेरे इस तरह के प्रयासों को अलग-अलग संस्थाओं द्वारा समय-समय पर सराहा गया है। ऐसी कुछ उपलब्धियों का जिक्र मैं ज़रूर करना चाहूंगा लेकिन थोड़ी देर बाद।

मैंने 1975 में अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूरे किए और इसे यादगार बनाने के लिए मेरा स्वर्ण जयंती भवन एक रिकार्ड समय में तैयार किया गया। इसी वर्ष मैंने एक महत्वपूर्ण बैंकिंग उत्पाद 'ट्रैवलर चेक' की शुरुआत की। यह वर्ष एक और भी मायने में मेरे लिए काफी अहमियत रखता है क्योंकि इसी

वर्ष 2 अक्टूबर को मैंने उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में 'प्रथमा बैंक' के नाम से देश के पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को प्रायोजित किया। यहां मैं इस बात का जिक्र करते हुए अपने आप को अत्यंत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मौजूदा समय में कर्नाटक राज्य में मेरे द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 'कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक' को पूरे देश के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में चौथा स्थान हासिल है जो उसकी सफलता की कहानी खुद बयां करता है। देश के 27 जिलों में मैं अग्रणी बैंक की भूमिका बखूबी निभा रहा हूँ। ग्राहकों की संतुष्टि के लिए मैं हमेशा सतर्क रहता हूँ और बदलते समय की मांग के अनुरूप ग्राहकों को आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए मैं कई सारी योजनाओं को लागू करता रहता हूँ। समाज के अलग-अलग वर्गों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए मैंने अलग-अलग ऋण योजनाएं आरंभ की हैं और मुझे लगता है कि इनसे मेरे ग्राहकों की संतुष्टि का स्तर निश्चित ही ऊपर उठा है।

आज की बैंकिंग का ज्वलंत मुद्दा है वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ मेरे जन्म के साथ ही चलाई जा रही 'पिग्मी जमा योजना' आज के बैंकिंग करेसपॉण्डेंट द्वारा निभाई जा रही भूमिका की जनक रही है सो मैं तो अपने जन्म के साथ ही वित्तीय समावेशन का कार्य करता आ रहा हूँ। जहां तक वित्तीय साक्षरता का सवाल है तो मैं अपने 'ज्ञानज्योति वित्तीय साक्षरता एवं ऋण परामर्श न्यास' की सहायता से अग्रणी जिलों में वित्तीय साक्षरता के केंद्रों और वित्तीय समावेशन संसाधन केंद्रों को खोलकर वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने में जुटा हुआ हूँ।

वर्ष 2000 में एक नई पहल करते हुए मैंने ग्रामीण महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 'सिंडिकेट ग्रामीण विकास न्यास' की स्थापना की। इसके बैनर तले ग्रामीण गरीबों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु अब तक कुल 16 सिंड ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थाएं (सिंड आरसेटी) स्थापित की जा चुकी हैं। इस क्षेत्र में किए जा रहे उल्लेखनीय योगदान के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने मेरे 5 सिंड आरसेटी को 'A+' और 6 सिंड आरसेटी को 'A' रेटिंग प्रदान की है।

मेरा जन्म भले ही 88 वर्ष पहले हुआ हो लेकिन मैं बदलते समय की नब्ज़ को पहचानता हूँ और उसकी मांग के अनुरूप अपने आपको ढालने का प्रयत्न सदा ही करता आया हूँ। शायद मेरी इसी सोच ने मुझे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में ऐसा बैंक होने का गौरव प्रदान किया जिसने सीबीएस प्रणाली को सबसे पहले प्रारंभ किया। देश के अलग-अलग भागों में मौजूद अपने 7 प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से मैं अपने परिवारजनों के आईटी सहित दक्ष बैंकिंग के अन्य गुणों का परिमार्जन करता रहता हूँ। मेरे इस सपोर्ट से मेरे स्टाफ सदस्य बेहतर कार्य-निष्पादन कर पाते हैं जिसके फलस्वरूप मुझे कई पारितोषिक व सम्मान हासिल होते आए हैं। आइए कुछ ऐसे ही सम्मानों से मैं आपको अवगत कराता हूँ-

1. 1972 'इंडियन मर्चेण्ट्स चेंबर पुरस्कार'- समाज कल्याण के क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए।

2. 1975 'फिक्की पुरस्कार'- कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए। 'लघु उद्योग सहकारी पुरस्कार'- लघु उद्योगों के विकास और स्व-नियोजन के लिए युवा उद्यमियों को सहायता प्रदान करने हेतु बैंक द्वारा किए गए महत्वपूर्ण योगदान के लिए युवा उद्यमियों के राष्ट्रीय सहयोगियों द्वारा दिया गया पुरस्कार।

3. 'जेसी इंटरनेशनल' द्वारा स्वरोजगार के लिए दिया गया 'अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार' 'फिक्की पुरस्कार'- औद्योगिक संबंध में नैगम पहल की मान्यता स्वरूप।

4. 1977 'असौचैम पुरस्कार'- बैंक द्वारा प्रायोजित सिंडिकेट कृषि प्रतिष्ठान द्वारा ग्रामीण और कृषि क्रियाकलापों के विकास के क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट योगदान हेतु।

5. 1981 'नेशनल निवेश और वित्तीय पुरस्कार'- प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार के लिए।

6. 1983 राजभाषा कार्यान्वयन में प्रशंसनीय कार्य के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा श्रेष्ठता पुरस्कार।

7. 2001 आईडीआरबीटी, हैदराबाद द्वारा 'इनफिनेट' क्षेत्र में बैंकिंग अनुप्रयोग के नवोन्मेषी उपयोग के लिए बैंकिंग प्रौद्योगिकी पुरस्कार।

8. 2006 एशियन बैंकर, सिंगापुर द्वारा वर्ष 2006 में बड़े बैंकों के लिए सर्वोत्तम कोर बैंकिंग परियोजना पुरस्कार।

9. कारोबार निरंतरता योजना (बीसीपी) तथा आईटी डिजास्टर रिकवरी (डीआर) प्रोजेक्ट के लिए स्कॉच फाउंडेशन डिजिटल इन्क्ल्यूजन अवार्ड 2012 के तहत गोल्ड अवार्ड से सम्मानित।

10. वित्तीय वर्ष 2012 के दौरान वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में प्रशंसनीय निष्पादन के उपलक्ष्य में मेसर्स स्कॉच ग्रुप द्वारा 'सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट' तथा ट्राफी प्रदान।

लघु उद्यमियों के सहायतार्थ अस्तित्व ग्रहण करने के बाद मैंने किसानों एवं अन्य लघु तथा खुदरा कारोबारियों के हितार्थ कई नवोन्मेषी उपाय अपनाए हैं। अपने ग्राहकों की सेवा में देश एवं विदेश में फैली अपनी 3148 शाखाओं के माध्यम से कर रहा हूँ। मैंने 8000 रु. की अल्प राशि से आरंभ किए गए कारोबार को दिसंबर 2013 तक 3,52,498 करोड़ रुपये की नई ऊंचाई तक पहुंचा दिया है। अपने सक्षम मौजूदा प्रबंधन के नेतृत्व में 2016 तक अपने कारोबार को 6 लाख करोड़ रुपए के मुकाम तक ले जाने का जो मेरा लक्ष्य है उसमें मेरा पूरा सिंडियन परिवार मेरे साथ है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम इस लक्ष्य को हासिल करके रहेंगे क्योंकि सिंडियन परिवार यह मानता है कि -

काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए
हर कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए
यह जिंदगी तो सब काट लेते हैं
जिंदगी जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए।

आपसे फिर मिलने की चाह में...

आपका,



प्रस्तुतीकरण - सावित्री सिंह

उप महाप्रबंधक

भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

○○○

संवृद्धि बनाम मुद्रास्फीति - भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में

वस्तुओं व सेवाओं के मूल्य में परिवर्तन की दर को मुद्रास्फीति कहते हैं। सामान्यतः इसे वर्ष-दर-वर्ष आधार पर मापा जाता है जैसे जनवरी 2009 की तुलना में जनवरी 2010। एक अवधि की तुलना में दूसरी अवधि में वस्तुओं व सेवाओं को पैदा करने की अर्थव्यवस्था की क्षमता में वृद्धि को आर्थिक संवृद्धि/वृद्धि (growth) कहा जाता है। निवेशक को लाभ तब मिलता है जब समय के साथ उसे अपने निवेश पर लाभांश मिलने लगे या उसके निवेश के मूल्य में संवृद्धि हो। यदि इस बीच महंगाई या निर्वाह लागत बढ़ जाती है तो भविष्य में मिलने वाले लाभांश या संवृद्धि की कीमत घट जाती है या ऋणात्मक परिणाम हाथ लगता है। इस प्रकार सामान्य धरातल पर निवेशक के लिए कीमतों में थोड़ी वृद्धि तो फायदेमंद हो सकती है पर इस वृद्धि में अनिश्चितता, अस्थिरता व असामान्य वृद्धि से संभव है कि उसके लाभ का कायम रहना भी अनिश्चित हो जाए, यहां तक कि उसे क्रेता ही न मिलें। यह तो व्यष्टि स्तर की बात हुई। पर इससे जाहिर है कि भारत जैसे विशाल व विभिन्नता वाले देश में समष्टि-आर्थिक स्तर पर संवृद्धि बनाम मुद्रास्फीति की खींचतान काफी जटिल होगी व इस पर मतैक्य उतना ही मुश्किल।



अरविंद कुमार चतुर्वेदी

सहायक महाप्रबंधक

भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

अर्थव्यवस्था कुछ उद्देश्यों या लक्ष्यों को लेकर चलती है। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नीतियां बनाई जाती हैं। मौद्रिक नीति केंद्रीय बैंक की वह नीति है जिसका सरोकार इस बात से है कि कितना पैसा/ऋण (मुद्रा) और किस भाव (ब्याज दर) पर मिले जिससे कि अर्थव्यवस्था अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। मौद्रिक नीति के प्रमुख उद्देश्य हैं कीमतों में स्थिरता बनाए रखना, संवृद्धि को बढ़ावा देना और वित्तीय स्थिरता। कीमतों में स्थिरता का अर्थ सामान्यतः कम व स्थिर मुद्रास्फीति (इन्फ्लेशन) से लिया जाता है। आम तौर पर विकसित अर्थव्यवस्था में 2-3 प्रतिशत प्रतिवर्ष और उभरती व विकासशील अर्थव्यवस्था में इससे कुछ ज्यादा, यानि 3-5 प्रतिशत की मुद्रास्फीति को कम व स्थिर मुद्रास्फीति के रूप में देखा जाता है। कीमतों में स्थिरता से संवृद्धि को कायम रखने में मदद मिलती है। मुद्रास्फीति के बढ़ने के कई दुष्परिणाम हैं, जैसे कीमतों में बदलाव से आर्थिक क्षमता घट जाती है; लोग लंबे समय के लिए कॉन्ट्रैक्ट करने और पैसा लगाने से कतराने लगते हैं तथा संसाधनों का अत्यधिक इस्तेमाल मुद्रास्फीति के खतरों से बचने या हेजिंग के लिए होने लगता है। सबसे गंभीर बात यह कि ऊँची मुद्रास्फीति की सबसे ज्यादा मार गरीब जनता पर पड़ती है और उन लोगों पर भी, जिनकी कमाई मुद्रास्फीति के अनुसार नहीं बदलती। विकास धीमा पड़ जाता है। रोजगार और आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और संवृद्धि के कम होने से ट्रिक्ल डाउन के फायदे भी कम हो जाते हैं। इस प्रकार मुद्रास्फीति को कम रखते हुए संवृद्धि को बनाए रखना दुनिया भर के नीति निर्माताओं के लिए एक चुनौती बनी रहती है। बदलती परिस्थितियों के अनुसार मुद्रास्फीति व संवृद्धि के महत्त्व का क्रम बदलता रहता है और इसके बारे में आम आदमी से लेकर विशेषज्ञों की राय भी। यहाँ हम भारत में संवृद्धि

भारतीय रिज़र्व बैंक के राजभाषा अधिकारियों के लिए आयोजित निबंध प्रतियोगिता वर्ष 2013-14 में प्रथम पुरस्कार प्राप्त निबंध

व मुद्रास्फीति की प्रगति व स्थिति को ट्रेस करने का प्रयास करेंगे और इस क्रम में विषय के विभिन्न आयामों को देखेंगे।

भारत में संवृद्धि की यात्रा – उछाल का दौर

2003-08 के पाँच वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था की औसत संवृद्धि दर 8.7 प्रतिशत थी जो कि योजना युग के प्रथम तीन दशकों के तथाकथित 'हिंदू ग्रोथ रेट' से लगभग 5 प्रतिशत अधिक का उछाल है। 2008 के भीषण वित्तीय संकट से भारतीय अर्थव्यवस्था न सिर्फ संभलकर बाहर निकली, बल्कि इस संकट के बाद के दौर में सबसे तेजी से विकसित होने वाली अर्थव्यवस्थाओं में भी शुमार हुई। 2009-10 में 8.6 प्रतिशत तथा 2010-11 में 9.3 प्रतिशत की संवृद्धि सामने आई। परंतु यह चाल कायम नहीं रह सकी और 2011-12 में लड़खड़ाकर गत नौ वर्षों के सबसे निचले स्तर पर पहुँच गई। कहा जा रहा है कि तबसे संवृद्धि अपनी संभावना के स्तर से पीछे चल रही है। दूसरी तरफ, 2009 के आखिरी महीनों में, अभी जबकि समुत्थान का प्रारंभिक दौर ही था, मुद्रास्फीति दबावों के सर उठाने से नीति निर्माताओं का सर-दर्द बढ़ने लगा। दरअसल 2005-08 के तीन वर्षों में विकास की औसत दर तो 9.5 प्रतिशत दर्ज हुई है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में किसी भी तीन-वर्षीय अवधि में दर्ज औसत दर के मुकाबले यह बीस पाई गई है और विश्व के प्रमुख देशों में केवल चीन के आगे उन्नीस।

उच्च विकास का दौर ऐसे समय में घटित हुआ जब बचत व निवेश में वृद्धि हुई थी, जीडीपी में सर्विसेज़ का हिस्सा बढ़ा था, तथा पहले किए गए संरचनात्मक सुधारों, बढ़ते ग्लोबलाइजेशन व मज़बूत समष्टि-आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों का पूरा फायदा उद्योग व सेवा क्षेत्रों को मिला जबकि नीतिगत उपायों व अनुकूल मौसम के दम पर कृषि भी फल-फूल रही थी। राजकोषीय समेकन को लेकर किए गए प्रयासों के बाद उपलब्ध हुए संसाधनों की उपलब्धता के कारण निजी निवेश बढ़ने लगा। भारत निवेशकों का चहेता बन गया और यहाँ से हाथ बढ़ाकर विदेशी पूँजी पाना भी पहले की तुलना में कहीं अधिक आसान हो गया था। घरेलू उद्योगों ने अपनी संरचना में सुधार के उपाय किए, कंपनियों का प्रॉफिट बढ़ा, टैक्स दरों में कमी आई और मज़बूत वैश्विक मांग व निवेश के अनुकूल माहौल ने घरेलू विकास को सुदृढ़ आधार दिए। इन सबके बीच देश की जनसंख्या में एक ओर जहाँ युवाओं की

बढ़ती संख्या ने श्रमिकों की उपलब्धता व बचत में वृद्धि की, वहीं उपभोग की नई हदें छूने को तैयार एक विशाल मध्यवर्ग तेजी से उभर रहा था जो (निजी उपभोग) ग्रोथ का एक मज़बूत इंजन माना जाता है। इस प्रकार इन मायनों में समूची भारतीय अर्थव्यवस्था एक बड़े कायाकल्प से होकर गुजर रही थी। पूरा कारोबारी चक्र साफ-साफ उठान पर था और 10 प्रतिशत का शिखर (जिसे ओवरहीटिंग का बिंदु भी माना जाता है) दूर नहीं लग रहा था।

इस ग्रोथ स्टोरी का एक सुखद आश्चर्य था घरेलू वित्तीय बचत का इस अवधि में लगातार बढ़ना जिससे अधिक निवेश के लिए पैसा मिला। वित्तीय क्षेत्रों में सुधारों से बैंकिंग तक लोगों की पहुँच में तेजी आने लगी। उच्च विकास के इस दौर में समग्र निवेश दर को 33.6 प्रतिशत तक ले जाने में औसत घरेलू बचत दर का एक बड़ा योगदान था जो इस अवधि में जीडीपी का 33.3 प्रतिशत थी और जिसने बाहर से उधार लेने की कोई खास जरूरत महसूस नहीं होने दी। आँकड़ों की मानें तो इस उच्च निवेश दर को बेहतर पूँजी उत्पाद अनुपात का साथ भी मिला। इस प्रकार इस गरजते ग्रोथ में उच्च घरेलू बचत के साथ बेहतर उत्पादकता का भी हाथ था।

हाल में

परंतु 2008-09 में जब वैश्विक अर्थव्यवस्था उत्तरोत्तर मंद पड़ने लगी तो इसका प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा तथा वैश्विक संकट व विकास चक्र की शिथिलता का संक्रामक असर जीडीपी वृद्धि में कमी के रूप में दिखने लगा। 2003-08 में दर्ज 8.7 प्रतिशत की रिकॉर्ड औसत संवृद्धि की तुलना में 2008-09 में 6.7 प्रतिशत स्पष्टतः कम है, यद्यपि विश्व के प्रमुख देशों की तुलना में भारतीय वृद्धि अभी भी सर्वाधिक में से एक बनी हुई थी।

भारत में विकास की एक उल्लेखनीय विशेषता यह है कि तमाम संरचनात्मक सुधारों व वैश्वीकरण के बावजूद मौसमी व चक्रीय कारकों की भूमिका बनी हुई है और संबंधित अध्ययन बताते हैं कि वैश्विक संकट न भी घटित हुआ होता, तो भी भारत की वृद्धि में कुछ कमी आई होती, अलबत्ता मात्रात्मक तौर पर काफी कम।

हाल में चाल सुस्त क्यों?

वैश्विक संकट से बचकर निकल आने के बावजूद, भारतीय संवृद्धि की गाड़ी के लड़खड़ाने के कुछ कारण हो सकते हैं:

1) यह गिरावट कमजोर व अनिश्चित वैश्विक परिवेश की परिणति थी तथा इसमें घरेलू कारण भी थे जैसे स्थायी निवेश (सकल स्थिर पूंजी निर्माण) में कमी, सुधारों की गति में मंथरता और खनन व बुनियादी क्षेत्रों (विशेषतः बिजली) में एवं प्रोटीन-प्रधान वस्तुओं में संरचनात्मक बाधाएं आदि।

2) गत दशक में, वृद्धि मुख्यतः सेवा (सर्विसेज़) क्षेत्र के माउस से क्लिक हो रही थी, यद्यपि समग्र तौर पर इसमें अन्य दो प्रमुख क्षेत्रों का भी हाथ था। 2005-08 के उच्च विकास के वर्षों व 2009-11 में भी उद्योग व सेवा क्षेत्रों में वृद्धि 9 प्रतिशत या इससे अधिक रही। 2005-11 के बीच तो सेवा क्षेत्र ने लगातार दुहरे अंकों की वृद्धि भी दर्ज की है। परंतु, विगत दो वर्षों को लें तो कमजोर वैश्विक मांग, कमजोर आपूर्ति कड़ियों, महंगे इनपुट और सुस्त निवेश के कारण उद्योग व सेवा क्षेत्र में उल्लेखनीय गिरावट आई। 2012-13 की तीसरी तिमाही में सेवा क्षेत्र ने दशक में अपना सबसे खराब प्रदर्शन किया। इसको बदतर किया कमजोर मॉनसून ने जिसने कृषि और बिजली उत्पादन को पीछे ढकेल दिया।

3) वैश्विक संकट के पश्चात मौद्रिक व राजकोषीय प्रोत्साहन (स्टीमुलस) से घरेलू मांग को अच्छा बल मिला था। 2009-12 में निजी उपभोग/खपत व्यय में 8 प्रतिशत या इससे अधिक की औसत वृद्धि देखी गई जबकि हाल में सकल मांग के इस प्रमुख स्तंभ (निजी उपभोग) में हास आया है और इसका प्रधान कारण है लगातार बनी हुई मुद्रास्फीति और आय वृद्धि में कमी। यकायक अड़ियल बनी हुई इस मुद्रास्फीति ने मौद्रिक नीति का मुद्रास्फीति-रोधी रुख ज़रूरी कर दिया जिससे निवेश व खपत दोनों के डिमांड में गिरावट की संभावना बनती है।

4) मुद्रास्फीति का लगातार दो वर्षों से एक निश्चित सीमा से अधिक बने रहना संवृद्धि के धीमे पड़ने का एक प्रमुख कारण बना क्योंकि इसकी वजह से मौद्रिक सख्ती की नीति ज़रूरी हो गई। जीडीपी वृद्धि केवल ब्याज दरों पर निर्भर नहीं

होती है। वास्तविक भारत औसत उधार दरें (लेंडिंग रेट्स) जब अधिक हों तो निवेश की गतिविधियां कम होनी चाहिए। परंतु भारत के संदर्भ में यह देखा गया है कि 2003-04 और 2007-08 के संकट-पूर्व अवधि (जब निवेश में उछाल आया था) की तुलना में मार्च 2012 में ये दरें कम थीं जो बताता है कि गैर-मौद्रिक कारणों की भूमिका अपेक्षाकृत रूप से अधिक रही जिसने संवृद्धि को उससे कहीं ज्यादा मंद कर दिया जितना मौद्रिक सख्ती करते समय अनुमान था।

5) 2005-08 में और पुनः 2009-11 में जब अर्थव्यवस्था 9 से 9.5 प्रतिशत की दर से बढ़ी तो निवेश वृद्धि लगभग 16 प्रतिशत थी। तथापि जिन वर्षों में निवेश वृद्धि कम हुई, आर्थिक संवृद्धि भी कम रही जैसा कि 2011-13 में देखने को मिला। निवेश में निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र का हिस्सा 2005-08 के उच्च विकास के वर्षों में काफी अधिक और 2008-09 और 2011-12 में काफी कम रहा। निजी निवेश में कमी के कुछ कारण : 1) मुद्रास्फीति को काबू में करने के लिए नीतिगत दरों में की गई वृद्धि। मार्च 2010 से अक्टूबर 2011 के बीच रेपो रेट में 375 आधार अंकों की वृद्धि का उधार की लागत व डिमांड पर असर पड़ा ही होगा। 2) विकसित देशों में भारतीय निर्यात के डिमांड में कमी-सरकारी नीतिगत व अन्य अड़चनों (जमीन, पर्यावरण, पुनर्वास व विवाद आदि) के चलते फाइलों व प्रोजेक्टों का आगे न बढ़ पाना। इस साल की शुरुआत में लगभग 1.5 बिलियन के प्रोजेक्ट अटके पड़े थे। फलतः पहले किया गया निवेश तो फंसा ही रहता है, उसकी लागत भी बढ़ती रहती है और नया निवेश भी हतोत्साहित होता है। ऐसे में संवृद्धि का क्या होगा?

6) संवृद्धि धीमी हुई तो सरकारी राजस्व का वाहन सरकारी व्यय के साथ नहीं बढ़ पाया। नतीजा - राजकोषीय घाटा बढ़ा जिसका असर चालू खाता घाटे पर पड़ा। इन दोनों घाटों ने संवृद्धि को प्रोत्साहित करने लायक नीति - राजकोषीय हो या मौद्रिक - के लिए गुंजाइश न छोड़ी और वैश्विक निवेशक भी ठिठक गए।

7) जो बचत दर 80 के दशक में औसतन 18.6 प्रतिशत थी और 90 में 23 प्रतिशत हुई, उसने 2004-05 में पहली बार 30 प्रतिशत को पार किया और 2007-08 में तो 36.8

प्रतिशत के शिखर पर पहुँची, उसमें 2011-12 में न सिर्फ गिरावट आई बल्कि इसके स्वरूप में भी बदलाव आने लगा। एक तो पब्लिक सेविंग्स की भरपाई प्राइवेट से नहीं हो पाई। दूसरे वित्तीय बचत के स्थान पर स्वर्ण जैसी चीजों के प्रति बढ़ते रुझान से चालू खाता घाटा बढ़ा और पूँजी निर्माण में गिरावट आई। चालू खाता घाटा यदि पूँजी-प्रधान वस्तुओं के आयात के कारण हो तो संवृद्धि के लिए सहायक हो सकता है, परंतु अनुत्पादक स्वर्ण आयात से चालू खाता घाटा बढ़ता है।

मुद्रास्फीति की स्थिति

2011-12 में मुद्रास्फीति दोहरे अंकों में रही, यद्यपि इसकी तुलना में 2012-13 में कुछ कमी आई। विश्लेषण बताता है कि इसमें दोनों कारक हैं; i) संरचनात्मक - जैसे बढ़ती आय से रहन-सहन में बदलाव, जैसे हाल में विशेषतः ग्रामीण इलाकों में प्रोटीन-प्रधान खाद्य की ओर रुझान देखा गया है; तथा ii) चक्रिय - मानसून के चलते (विशेषतः सब्जियों आदि की) कीमतों का बढ़ना।

मुद्रास्फीति को मुकून के दायरे से बाहर जाता देख रिज़र्व बैंक के लिए कार्रवाई करना ज़रूरी हो गया। मार्च 2010 से अक्टूबर 2011 के बीच रेपो रेट 13 बार बढ़ाई गई। ध्यान दिया जाए कि इसके बाद मुद्रास्फीति में नरमी आते देख और संवृद्धि को बढ़ावा देने हेतु रेपो रेट को और नहीं बढ़ाया गया और अप्रैल 2012 में 50 अंक तथा जनवरी व मई 2013 के बीच 75 अंकों की कटौती भी की गई। सीआरआर भी अभी 4 प्रतिशत के ऐतिहासिक न्यून स्तर पर है। इस प्रकार भारत में समस्त परिस्थितियों व अर्थव्यवस्था के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए मुद्रास्फीति को रोकने व संवृद्धि में सहायक नीति अपनाने का सर्वोत्तम प्रयास किया गया है।

अपने मौद्रिक नीति वक्तव्यों में रिज़र्व बैंक समय-समय पर संकेत देता रहा है कि मौद्रिक नीति का संचालन मुद्रास्फीति की अवधारणा को 4.0-4.5 प्रतिशत के दायरे में बनाए रखने व नियंत्रित करने का होगा। यह विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ भारत के व्यापक एकीकरण के अनुरूप 3.0 प्रतिशत मुद्रास्फीति के मध्यावधि लक्ष्य के अनुसार है। उभरती समष्टि-आर्थिक व वित्तीय स्थितियों के अनुसार रिज़र्व बैंक अपने तीन उद्देश्यों -

संवृद्धि, मूल्य स्थिरता व वित्तीय स्थिरता - पर अपेक्षित जोर देता रहता है।

संवृद्धि और मुद्रास्फीति का संबंध

अब यह माना जाने लगा है कि दीर्घावधि में एक निश्चित सीमा के बाद मुद्रास्फीति संवृद्धि के लिए नुकसानदेह है। परंतु अल्पावधि में यह फायदेमंद हो सकता है। इसलिए केंद्रीय बैंकों को संवृद्धि व मुद्रास्फीति के बीच एक समुचित संतुलन बनाए रखना होता है। वास्तव में, संवृद्धि एवं व्यापार के लिए कीमतों में स्थिरता आवश्यक है। तदनुसार, केंद्रीय बैंकों के लिए कीमतों में स्थिरता बनाए रखना मौद्रिक नीति के संचालन का प्रमुख उद्देश्य हो जाता है। यह सिद्ध है कि स्फीतिकारी नीतियों से उत्पादन में क्षमता/संभावना से अधिक बढ़ोतरी करना स्थायी रूप से संभव नहीं है। मौद्रिक नीति द्वारा उत्पादन को अर्थव्यवस्था की क्षमता से अधिक ले जाने का प्रयास आगे चलकर अधिक मुद्रास्फीति के रूप में सामने आएगा। यही कारण है कि संवृद्धि व मुद्रास्फीति को अल्पावधि फ्रेम में देखना पड़ता है, विकल्प बहुत सीमित होते हैं और चूक से अधिक क्षति की संभावनाएं रहती हैं। इस प्रकार मौद्रिक नीति का केंद्रबिंदु बन जाता है-एक मुद्रास्फीति दर का चुनाव जो वृद्धि की दर से संगत हो। हाल के अध्ययनों में भारत के लिए मुद्रास्फीति की सीमा 4.0 से 5.5 प्रतिशत मानी गई है। लगातार बढ़ती मुद्रास्फीति ने मुद्रास्फीति के लिए नये सामान्य दायरे (सीमा) को लेकर विवाद को जन्म दिया है।

विकासशील देशों में मामला और पेचीदा हो जाता है। विशेषतः इस धारणा के कारण कि कुछ हिस्से ऐसे हैं जहाँ संवृद्धि के लिए थोड़ी मुद्रास्फीति अच्छी मानी जाती है। परंतु एक निश्चित बिंदु के बाद मुद्रास्फीति विकास के लिए हानिकारक है। इस प्रकार अर्थव्यवस्था की स्थिति और लक्ष्य के अनुसार संवृद्धि, मुद्रास्फीति आदि संबंधी नीतियों की प्राथमिकताएं तय करनी पड़ती हैं।

प्रायः यह आलोचना सुनने में आती है कि मुद्रास्फीति को रोकने के लिए रिज़र्व बैंक संवृद्धि की बलि चढ़ा रहा है और विकास-संवृद्धि का सही संतुलन नहीं कायम हो पा रहा है। गत दिसंबर में नोबेल विजेता स्टीगलिज जैसे विद्वान ने भी कुछ

ऐसी ही टिप्पणी की थी। संभव है कि रिज़र्व बैंक के मुद्रास्फीति विरोधी रुख में अल्पावधि में ग्रोथ से कुछ समझौता करना पड़ता हो, पर यही रुख मध्यावधि में विकास सुनिश्चित भी करता है। वैसे भी जब मौद्रिक नीतियों का प्रभाव कुछ अंतराल से सामने आता है तो ऐसे में कीमतों में स्थिरता के बदले अल्पावधि विकास को कुछ कम हो जाने दिया जाए तो सौदा बुरा नहीं है विशेषकर इसलिए भी कि मुद्रास्फीति यदि लगातार अधिक बनी रहे तो संवृद्धि निरर्थक हो जाती है।

विकासशील देशों में आम तौर पर राजकोषीय घाटा नासूर की तरह बना रहता है और वहाँ का वित्तीय क्षेत्र गहरा व विकसित नहीं होता। सरकारी घाटे की फाइनेंसिंग करने जाइए तो मुद्रास्फीतीय दबाव तेज हो जाते हैं और इस प्रकार राजकोषीय घाटा, मुद्रा आपूर्ति व मुद्रास्फीति का दुश्चक्र तैयार होता है। उंचा राजकोषीय घाटा मूल्य-वृद्धि का कारक बनता है और आपूर्ति व वितरण पक्ष की समस्याएं इसमें मिलकर मुद्रास्फीति को और पेचीदा कर देती हैं। ऐसे में मुद्रास्फीति को काबू में रखते हुए संवृद्धि को बढ़ावा देने वाली नीतियां बनाना व लागू करना बेहद मुश्किल हो जाता है। आज के भारत का संदर्भ इससे कुछ बहुत भिन्न नहीं है।

इस प्रकार यह समझना महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस नीतिगत प्रयास से हम मुद्रास्फीति या संवृद्धि को कितना प्रभावित कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। मौद्रिक नीति मुद्रास्फीति पर कुछ असर तो डाल सकती है। पर उत्पादन संवृद्धि के लिए धन के अलावा तकनीक, श्रम, राजकोषीय स्थिति, खर्च व निवेश की प्रवृत्ति कानूनी ढांचा व बाजार आदि कई चीजों का समुचित योगदान चाहिए। मुद्रास्फीति के अधिक बने रहने पर वेतन/मजदूरी व वेल्फेयर खर्च बढ़ जाते हैं और संवृद्धि के मंद होने से बेरोजगारी बढ़ती है। आय व खपत/उपभोग में गिरावट आती है। मुद्रास्फीति के बढ़ने से भी कमोबेश हर वर्ग में उपभोग/ खपत में कमी आती है। यह भी न भूलें कि भारत जैसे देश में मौसम व कारोबारी चक्र का भी हाथ रहता है।

मुद्रास्फीति विभिन्न प्रकार से संवृद्धि पर असर डालती है। उच्च मुद्रास्फीति से अनिश्चितता उतनी ही बढ़ती है जिसका निवेश व संवृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव होता है। निवेश के निर्णयों में तो वैसे भी अनिश्चितता के पहलू होते हैं पर मुद्रास्फीति ज़्यादा

हो तो यह अनिश्चितता और बढ़ जाती है। मुद्रास्फीति लोगों को स्वर्ण जैसी चीजों में निवेश और अटकल व सट्टेबाजी की ओर ले जाती है जिससे ठोस वित्तीय बचत व निवेश पर बुरा असर पड़ता है। भारत की स्थिति को इस संदर्भ में समझा जा सकता है। मुद्रास्फीति का लगातार अधिक बने रहना कहीं न कहीं मांग के अत्यधिक दबाव का सूचक भी होता है जिससे मौद्रिक सख्तीकरण की जरूरत पड़ती है जो संवृद्धि को नीचे ले जाने का कारण बनता है। संवृद्धि व मुद्रास्फीति के इन बहुआयामी पारस्परिक संबंधों का प्रभाव भारत में देखने को मिलता है।

बाहरी ताकतें ?

वैश्विक पण्य कीमतों में उतार-चढ़ाव से भारत की मुद्रास्फीति खूब प्रभावित होती है। चीन में संवृद्धि उच्च हुई तो तेल व धातु की कीमतें बढ़ गईं। खाड़ी क्षेत्रों के घटनाक्रम का तेल की कीमतों पर असर जानी हुई बात है। हाल में अटकलिया गतिविधियों का प्रभाव भी पण्य कीमतों पर देखा गया। वैश्विक संकट के बाद विकसित अर्थव्यवस्थाओं द्वारा की गई मात्रात्मक सुलभता (क्यूई) के चलते भी पण्य कीमतें बढ़ी हैं।

आँकड़े बताते हैं कि सीपीआई में खाद्य का बड़ा हिस्सा, सरकारी नीतियां (जैसे सब्सिडी व समर्थन मूल्य आदि), आयात पर निर्भरता (जैसे भारत में तेल आदि), देश में पहले से मौजूद मुद्रास्फीति, मांग-आपूर्ति स्थिति व क्रय क्षमता भी वैश्विक पण्य कीमतों का घरेलू मुद्रास्फीति पर प्रभाव तय करती हैं। इसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था में बढ़ते खुलेपन, ऊर्जा की लगातार बढ़ती खपत और वैश्विक संवृद्धि में सुधार का भारत में मुद्रास्फीति पर और संवृद्धि दोनों पर असर जारी रहेगा।

हाल ही में फेडरल रिज़र्व द्वारा घोषित मात्रात्मक सुलभता (क्यूई) की आँधी व अन्य प्रभावों ने मिलकर दो महीने में रुपए की कीमत लगभग 20 से 25 प्रतिशत गिरा दी है। स्टील, डायमंड व इलेक्ट्रॉनिक्स आदि के आयात पर निर्भर कारोबार की हालत खस्ता हो गई है। करेंसी का मूल्य गिरता है तो चीजों के दाम बढ़ते हैं (जिससे निर्यात से हुआ फायदा भी घट जाता है)। लोगों की क्रय क्षमता घटती है। जिन कंपनियों ने विदेशी उधार लिए हैं उनके लिए चुकाना और जिन बैंकों ने उधार दिए होते हैं, उनके लिए वसूलना मुश्किल हो जाता है। उद्योगों व

कंपनियों की आय घटने व लागत बढ़ने लगती है। रेटिंग एजेंसियों के डाउनग्रेडिंग की छाया पड़ती है और पूँजी का पलायन होने लगता है। नतीजा - संवृद्धि पर ग्रहण। पहली तिमाही में भारत की जीडीपी संवृद्धि 4.4 प्रतिशत पर आ गई है। सैद्धांतिक तौर पर ऐसी स्थिति का मुकाबला करने के लिए मौद्रिक और राजकोषीय प्रोत्साहन (स्टीमुलस) का रास्ता चुना जा सकता है। परंतु मुद्रास्फीति को काबू में करना है तो लिक्विडिटी को टाइट रखना पड़ेगा और दूसरी तरफ सरकार ने राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4.8 प्रतिशत पर सीमित करने की ठानी है, तो राजकोषीय प्रोत्साहन भी मुश्किल है। घरेलू मांग में गिरावट देखकर लोग निवेश से कतरा रहे हैं। सिद्धांततः मुद्रा का मूल्य गिरे तो निर्यात के इंजन से ग्रोथ की गाड़ी आगे बढ़ाई जा सकती है पर जब सभी विकासशील (मुख्यतः एशियाई) देशों की यह घर-घर की कहानी बन जाए तो यकायक सभी एक साथ अपना निर्यात बढ़ाने में कैसे सफल हो सकते हैं और वह भी तब जब पश्चिम के बाज़ार में डिमांड इतनी नहीं है? जाहिर है मुद्रास्फीति और संवृद्धि का संतुलन दुःसाध्य है।

आपूर्ति व वितरण व्यवस्था का क्या करें?

हम जानते हैं कि आपूर्ति व वितरण व्यवस्था का असर मुद्रास्फीति व संवृद्धि पर पड़ता है। भारत जैसे विशाल देश में नीति के साथ-साथ यह पक्ष भी कारगर होना चाहिए। यह बराबर चर्चा का विषय रहा है कि आपूर्ति पक्ष से पैदा होने वाले मुद्रास्फीतीय दबाव का क्या किया जाए। परंतु आपूर्ति की समस्या यदि संरचनागत हो जाए एवं बनी रहे तो इसकी छाया अन्य पक्षों पर भी पड़ती है और तब मुद्रास्फीति कुछ वर्गों में सीमित न रहकर सर्वव्यापी हो जाती है तथा मुद्रास्फीति यदि कायम रहे तो ग्रोथ गड़बड़ाने लगता है। इसलिए भले ही मुद्रास्फीति की शुरुआत आपूर्ति से हुई हो, मुद्रास्फीतीय प्रत्याशाओं को सुस्थिर करना नीतिगत प्राथमिकता रहती है। खाद्य को लें तो आपूर्ति पक्ष में समस्या हुई तो खाद्य कीमतें बढ़ती हैं और इसके चलते बढ़े हुए हुए इनपुट लागत व मजदूरी/वेतन से क्रमशः मुद्रास्फीति के दायरे का विस्तार होता है जो संवृद्धि को ऋणात्मक भी कर सकता है। आपूर्तिजन्य मुद्रास्फीति में केंद्रीय बैंक के लिए उत्पादन को स्थिर करने व मूल्य स्थिरता बनाए रखने की चुनौती होती है। ऐसे में मुद्रास्फीति-रोधी नीति

में संवृद्धि को अनदेखा करना पड़ सकता है जबकि निभावी (एकोमोडेटिव) या सुलभ नीति से कीमतों में स्थिरता पर आँच आती है। इस प्रकार दोनों के बीच संतुलन साधने की डगर कठिन है। दरअसल भारत में खाद्य मुद्रास्फीति को संभालना कभी भी आसान नहीं रहा है। संवृद्धि व विकास के साथ लोगों के रहन-सहन व खान-पान में भी बदलाव होता है। कुछ अध्ययन बताते हैं कि हाल में प्रोटीन-प्रधान वस्तुओं की डिमांड बढ़ी है और इसने खाद्य मुद्रास्फीति की संरचना में विशिष्ट आयाम जोड़ा है। खेत से खुदरा बिक्री तथा एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में खाद्य पदार्थों की कीमतों में अंतर है। मुद्रास्फीति पर अंतर-मंत्रालयी समूह के अनुसार यह अंतर भारत में बहुत बड़ा है और कुछ सब्जियों (जैसे टमाटर) में तो यह पांच गुना या उससे भी अधिक है। खाद्य मुद्रास्फीति के सामान्य मुद्रास्फीति में ढल जाने तथा संवृद्धि पर इसके प्रभाव को देखते हुए भारत में आपूर्ति पक्ष को कारगर बनाए बिना संवृद्धि व मुद्रास्फीति का समुचित संतुलन साधना दुष्कर है।

कुछ और दुविधाएं

भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्था में विकास के बृहत्तर परिप्रेक्ष्य को अनदेखा करके केवल मुद्रास्फीति पर ध्यान देना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं। वैश्विक संकट के बाद यह माना भी जा रहा है कि वित्तीय स्थिरता में केंद्रीय बैंकों की महती भूमिका है। चूँकि भारत में मुद्रास्फीति की लहरें प्रायः आपूर्ति पक्ष से उठती हैं, सो सब कुछ मौद्रिक नीति के बस में नहीं है। विकसित व कई दूसरी उभरती अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में हमारे यहाँ सूचकांकों में खाद्य पदार्थों का भार (वेटेज) भी अधिक है और यह पक्ष नीति-निर्माण को कठिन बनाता है। हमारे यहाँ पिछले छह वर्षों में औसत खाद्य मुद्रास्फीति (8.7 प्रतिशत) खाद्येतर मुद्रास्फीति (4.0 प्रतिशत) की तुलना में काफी अधिक रही है। यही हाल दूसरे कई कम आय वाले देशों का भी है। 1.2 बिलियन का देश, विभिन्न आय वर्ग, भौगोलिक विभिन्नता व कई तरह के बाज़ार व उपभोक्ताओं वाली भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास व मुद्रास्फीति को मापने की कोई एक तुला सूचकांक (डब्ल्यूपीआई/सीपीआई/रूरल/अर्बन... आदि) पर्याप्त नहीं मानी जा रही। संवृद्धि बनाम मुद्रास्फीति के डिस्कोर्स में यह एक अहम पक्ष है।

नीतियों का संचरण और भी कई कारणों से प्रभावित होता है। जैसे बैंक की दरें तो हमने बाज़ार पर छोड़ दी हैं, डाक बचत सरकार के हाथों हैं और एक बड़ा वर्ग बैंकिंग या इस प्रकार के औपचारिक दायरे से अभी भी बाहर ही है।

संवृद्धि - मुद्रास्फीति के रास्ते में चुनौतियां और कुछ समाधान

वर्तमान घरेलू एवं वैश्विक समष्टि-आर्थिक स्थिति में, बारहवीं योजना के अंतिम दो वर्षों में 9 प्रतिशत का लक्ष्य रखा गया है जिससे पूरी योजना अवधि में संवृद्धि का औसत 8 प्रतिशत का हो सके। समष्टि-आर्थिक मोर्चे पर हाल में उल्लिखित चुनौतियां/समस्याएं व कुछ समाधान यहाँ दिए जा रहे हैं। देश में समष्टि-आर्थिक हालात कमज़ोर हैं, बुनियादी क्षेत्र व आपूर्ति पक्ष की बाधाएं हैं तथा मांग व निवेश दोनों पस्त हैं। बाह्य क्षेत्र की हलचलों से रुपये के मूल्यहास, चालू खाता घाटे (सीएडी) व नियंत्रित मूल्यों में हाल में की गई बढ़ोतरी के साथ विशेषतः खाद्य के क्षेत्र में जारी असंतुलन से मुद्रास्फीति के बढ़ने का खतरा बना हुआ है। जैसा कि हाल में देखने को मिला, वैश्विक बाज़ार का मूड बदल जाए तो कई उभरती अर्थव्यवस्थाओं में पूँजी प्रवाहों के अचानक रुकने और उल्टे पांव चल देने का सिलसिला शुरू हो सकता है और इस मायने में भारत कोई अपवाद नहीं है। कुछ समाधान इस प्रकार हैं : वर्तमान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों व कृषि को सक्षम बनाया जाए ताकि उसमें निवेश अधिक हो व संवृद्धि में तेजी आए और इसके लिए इनके बुनियादी ढाँचे की जरूरत को पूरा करना होगा। सरकारी खर्च जैसे सब्सिडी आदि का बोझ कम किया जाए और संसाधनों (जैसे प्रतिवर्ष नष्ट हो रहे हज़ारों करोड़ के खाद्यान्न) का समुचित इस्तेमाल व वितरण व्यवस्था हो। राजकोषीय समेकन, मुद्रास्फीति में कमी, देश व विदेश से निवेश प्राप्त करने लायक बेहतर माहौल, बाह्य देयताओं में कमी, आधारभूत संरचना का विश्वस्तरीय उन्नयन हो।

फिलहाल तो विकसित व विकासशील दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में संवृद्धि के ढलान का ट्रेंड ही दिखाई दे रहा है। बल्कि अध्येताओं के अनुसार कई दूसरे देशों के मुकाबले संवृद्धि में भारत की बेहतर स्थिति के कारण 2012-13 के उत्तरार्ध में पूँजी का प्रवाह भारत की ओर हुआ और हमें अपना चालू खाता

घाटा कम करने में मदद मिली। इस प्रकार भले ही 2003-08 की तुलना में अभी का अल्पावधि परिदृश्य उतना खुशनुमा न हो परंतु वैश्विक संदर्भ में देखें तो हमारी स्थिति उतनी बुरी नहीं। कम मुद्रास्फीति, उच्च संवृद्धि व समष्टि-आर्थिक स्थिरता हमारा लक्ष्य होना चाहिए। खुशी की बात है कि अभी भी अच्छी बचत दर, युवा आबादी, उद्यमशीलता, वित्तीय व्यवस्था में स्थिरता के साथ हमारे पास अपना विशाल घरेलू बाज़ार है।

चलते-चलते

नीति, विशेषतः मौद्रिक नीति संबंधी निर्णय भविष्योन्मुखी होते हैं और नीतियों का संचरण औसतन 12 से 24 महीनों के अंतराल से होता है। जबकि कुछ बातें पलटकर देखने व बाद में आने वाले आँकड़ों के विश्लेषण के बाद ही सामने आती हैं और लिए गए निर्णय के संबंध में लोगों के विचार बनते हैं। हाल में यह कई बार देखने में आया है कि नीतिगत दरों के संबंध में निर्णयों की घोषणा के बाद उस पर प्रतिक्रियाएं आती हैं कि रेट घटाया जाना चाहिए था, यूं होता तो वो होता आदि आदि...। यह सब लोकतंत्र, शिक्षा व जागरूकता का सूचक है और पॉलिटिकल इकॉनॉमी के अस्तित्व का भी। चलते-चलते हाल में खबरों में आई रिज़र्व बैंक के गवर्नर महोदय की कुछ टिप्पणियों का उल्लेख अप्रासंगिक न होगा। डॉ. सुब्बाराव के अनुसार यह कहना अनुचित है कि रिज़र्व बैंक को सिर्फ मुद्रास्फीति से मतलब है और संवृद्धि की फिक्र नहीं। उन्होंने कहा कि संवृद्धि बनाम मुद्रास्फीति की पूरी बहस वास्तव में कुछ अतिसरलीकृत धारणाओं का शिकार है। ऐसी ही एक धारणा है कि सरकार का काम संवृद्धि को देखना है और केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति के लिए हैं। दूसरी एक ऐसी धारणा है कि संवृद्धि और मुद्रास्फीति में कुछ ऐसा तनाव है कि नीति निर्धारण में एक के लिए दूसरे को छोड़ना ही पड़ेगा। गवर्नर महोदय ने ज़ोर देकर कहा कि संवृद्धि के लिए मुद्रास्फीति पर नियंत्रण जरूरी है और इस बात के पर्याप्त साक्ष्य हैं कि संवृद्धि के कायम रहने के लिए कम व स्थिर मुद्रास्फीति एक जरूरी शर्त है। इसका अनुमान लगाना दिलचस्प होगा कि संवृद्धि व मुद्रास्फीति के प्रति रिज़र्व बैंक की संतुलित प्रतिबद्धता का मूल्यांकन इतिहास कैसे करता है।

○○○

दुर्विक्रय

एनपीएस एक ऐसी निवेश योजना है, जिसे काफी धूमधाम से शुरू किया गया था परंतु किसी बैंक की शाखा में जाने पर अथवा किसी निवेश सलाहकार से सलाह लेने पर शायद ही कोई इसकी चर्चा करता हो। इसके बजाय वे किसी पारंपरिक बीमा योजना में निवेश की सलाह देंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि पारंपरिक बीमा योजना में पहले साल में ही 30-35 प्रतिशत या उससे भी अधिक कमीशन मिलता है जबकि एनपीएस में वार्षिक फंड प्रबंधन प्रभार 0.25 प्रतिशत है (पहले और भी कम अर्थात् 0.0009 प्रतिशत था)- (शायद फिर और कम हो सकता है)। कमीशन आदि को ध्यान में रखकर की जाने वाली बिक्री में नुकसान किसका हो रहा है - निवेशक का और फायदे में कौन है - प्रोडक्ट को बेचने वाली संस्था अथवा निवेश सलाहकार। यही है दुर्विक्रय या mis-selling.

‘दुर्विक्रय’ की परिभाषा

‘जानबूझकर, लापरवाही या उपेक्षा से किसी प्रोडक्ट अथवा सेवा की बिक्री ऐसी परिस्थिति में करना, जिसमें संविदा का दुर्व्यपदेशन किया गया हो या वह प्रोडक्ट अथवा सेवा उस ग्राहक की ज़रूरत के मुताबिक न हो, दुर्विक्रय कहा जाएगा।’¹

‘दुर्विक्रय का तात्पर्य है किसी प्रोडक्ट के बारे में अनुपयुक्त सलाह देना, उसमें निहित जोखिम की जानकारी न देना या ऐसी



डॉ. रमाकांत गुप्ता

महाप्रबंधक

भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

अपेक्षित जानकारी न देना जिससे आप ऐसा प्रोडक्ट खरीद लें जो आपके उपयुक्त न हो।’²

दुर्विक्रय का एक अच्छा उदाहरण है जीवन बीमा पॉलिसियों की बिक्री। मान लें कि एक ऐसा व्यक्ति है जिस पर कोई निर्भर नहीं है उसे यदि कोई उल्टा-पुल्टा समझाकर होल लाइफ पॉलिसी बेचे तो वह दुर्विक्रय है क्योंकि उसकी अप्रत्याशित मृत्यु की स्थिति में उसे किसी को संरक्षित करने की ज़रूरत नहीं है।

दुर्विक्रय के प्रकार

दुर्विक्रय दो प्रकार का होता है - वित्तीय और गैर-वित्तीय।

i) गैर-वित्तीय दुर्विक्रय : गैर-वित्तीय प्रोडक्टों का भी दुर्विक्रय हो सकता है। एक उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो जाएगी। अगर आपको कोई कंप्यूटर इसलिए खरीदना है कि उसमें आप डीवीडी लगाकर डीवीडी देख सकें, दुकानदार को आपने अपनी ज़रूरत भी बता दी, फिर भी यदि वह आपको कोई ऐसा कंप्यूटर दे दे जिसमें डीवीडी ड्राइव ही न हो, भले ही वह बहुत अच्छा कंप्यूटर हो। कंप्यूटर खराब नहीं है पर वह आपकी ज़रूरत के अनुकूल नहीं है और आपकी ज़रूरत जानने के बावजूद दुकानदार ने उसकी बिक्री आपको की है, इसलिए यह उस सामान का दुर्विक्रय है। परंतु वही कंप्यूटर यदि किसी ऐसे व्यक्ति को बेचा जाए जिसे डीवीडी ड्राइव की ज़रूरत ही न हो तो उस परिस्थिति में इसे दुर्विक्रय नहीं कहा जाएगा।

1. **Mis-selling** is the deliberate, reckless, or negligent sale of products or services in circumstances where the contract is either misrepresented, or the product or service is unsuitable for the customer's needs. For example, selling life insurance to someone who has no dependents is regarded as misselling.

En.wikipedia.org

2. Mis-selling means that you were given unsuitable advice, the risks were not explained to you or you were not given the information you needed, and ended up with **a product that isn't right for you.**

www.moneyadvice.service.org.uk

ii) वित्तीय दुर्विक्रय : वित्तीय उत्पाद बेचते समय भी इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि खरीददार अथवा निवेशक के लिए कौन सा प्रोडक्ट उपयुक्त होगा। निवेशक को सारी बातें बतानी चाहिए कि उस प्रोडक्ट के क्या फायदे हैं और उसमें क्या जोखिम निहित है। उदाहरण के लिए, यदि कोई सेवानिवृत्त व्यक्ति नियमित आय के लिए म्यूच्युअल फंड में निवेश करना चाहता हो और उसका सारा पैसा आप किसी इक्विटी ग्रोथ फंड में लगा दें सिर्फ इसलिए कि उसमें आपको कमीशन अधिक मिलेगा तो यह उस प्रोडक्ट का दुर्विक्रय होगा। परंतु उसी फंड को किसी ऐसे व्यक्ति को बेचना जिसे सेवानिवृत्त होने में काफी समय बचा हुआ हो और जिसे नियमित आय की नहीं बल्कि ग्रोथ की ज़रूरत हो, दुर्विक्रय नहीं कहा जाएगा।

वित्तीय दुर्विक्रय – प्रमुख विशिष्टताएं

इस लेख का मुख्य प्रयोजन वित्तीय दुर्विक्रय के बारे में पाठकों को परिचित कराना है। वित्तीय दुर्विक्रय के बारे में दो बातें उल्लेखनीय हैं :-

- निवेश में हानि होना अपने आप में दुर्विक्रय नहीं है – यदि निवेश सलाहकार अथवा वित्तीय उत्पाद का विक्रेता आपको स्पष्ट तौर पर यह बताता है कि इक्विटी स्कीम में पैसा लगाने पर उसमें काफी वृद्धि हो सकती है परंतु शेयर बाज़ार के नीचे जाने की स्थिति में उसमें नुकसान भी हो सकता है, इसके बावजूद आप इक्विटी स्कीम में ही पैसा लगाते हैं और अगले कुछ महीनों में आपका पैसा घटकर दो-तिहाई रह जाता है, तो यह उस वित्तीय प्रोडक्ट का दुर्विक्रय नहीं है क्योंकि आपने जानबूझकर वह जोखिम उठाया है।

- निवेश में हानि न होना भी दुर्विक्रय हो सकता है – आपको नियमित आय के लिए निवेश करना था, पर आपका पैसा इक्विटी ग्रोथ फंड में लगा दिया गया और शेयर बाज़ार की मेहरबानी से आपको फायदा हुआ, बावजूद इसके यह उस उत्पाद का दुर्विक्रय है क्योंकि वह प्रोडक्ट नियमित आय के लिए उपयुक्त नहीं था।

दुर्विक्रय (mis-selling) और प्रतिविक्रय (cross-selling)

अब तक यह स्पष्ट हो चुका है कि दुर्विक्रय बुरी बात है। परंतु क्या प्रतिविक्रय भी ऐसी ही कोई संकल्पना है – उत्तर है 'नहीं'। प्रतिविक्रय आजकल विपणन का सबसे आसान और

कारगर तरीका माना जाता है। किसी ग्राहक को उसकी ज़रूरत से मिलता-जुलता अथवा पूरक प्रोडक्ट बेचना प्रतिविक्रय कहलाता है। जहाँ तक वित्तीय क्षेत्र का संबंध है, हम कह सकते हैं कि यदि बैंक विभिन्न प्रकार के निवेश प्रोडक्ट यथा म्यूच्युअल फंड, जीवन बीमा पॉलिसी आदि ग्राहकों को बेचते हैं और उन्हें बेचकर संबंधित संस्था से कमीशन प्राप्त करते हैं तो यह उन उत्पादों का प्रतिविक्रय मात्र है। इससे बैंक के ग्राहक अधिक खुश भी हो सकते हैं और बैंक की लाभप्रदता भी बढ़ सकती है तथा बैंक के स्टाफ की सेवाओं का पूरा उपयोग भी हो सकता है।

पर बात प्रतिविक्रय तक सीमित रहे तो कोई बुराई नहीं है। बुराई उसमें है जब प्रतिविक्रय दुर्विक्रय में तब्दील हो जाता है। प्रायः लोग सुरक्षित नियमित आय के लिए बैंक में सावधि जमा योजना में निवेश करने के लिए जाते हैं परंतु काउंटर पर बैठे लोग उन्हें विभिन्न कारणों से जीवन बीमा संबंधी प्रोडक्ट में फंसा देते हैं। सावधि जमा योजना में निवेश करने के उद्देश्य से आने वाले व्यक्ति को जीवन बीमा संबंधी प्रोडक्ट की सारी विशिष्टताएं समझाकर उसे उस प्रोडक्ट को बेचने में कोई हर्ज नहीं है बशर्ते सचमुच वह प्रोडक्ट उसके लिए उपयुक्त हो। परंतु जीवन बीमा संबंधी प्रोडक्ट के बारे में गलत जानकारी देकर ऐसे व्यक्ति को उस प्रोडक्ट को बेचना प्रतिविक्रय नहीं, अपितु दुर्विक्रय की श्रेणी में आएगा। इस पर रोक लगाने की ज़रूरत है, भले ही इससे उस संस्था के लाभ में बढ़ोतरी हो रही हो।

वित्तीय दुर्विक्रय के प्रकार

ऐसा देखने में आया है कि बीमा अथवा निवेश सलाहकार का पूरा ध्यान अपने कमीशन पर रहता है और वे बीमा कराने वाले अथवा निवेश करने वाले के हितों की पूरी तरह से अनदेखी करते हैं। प्रायः देखा गया है कि बीमा सलाहकार का पूरा ध्यान पहले और दूसरे प्रीमियम पर रहता है और उसके बाद वे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं करते हैं कि बीमा कराने वाला प्रीमियम भर रहा है अथवा नहीं – यहां तक कि पॉलिसी लैप्स हो जाने तक की वे चिंता नहीं करते हैं, कारण स्पष्ट है – पहले और दूसरे प्रीमियम के बाद मिलने वाले कमीशन की राशि नगण्य हो जाती है। यही हाल म्यूच्युअल फंडों का भी है। वहां भी निवेश सलाहकार का पूरा ध्यान अपने कमीशन पर रहता है और वह वयोवृद्ध निवेशक के लिए भी सुरक्षित डेट स्कीम बेचने में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं लेता है। जब से बैंकों में बीमा और म्यूच्युअल फंडों के प्रोडक्ट बिकने लगे हैं वहां भी लगभग यही

हाल है - फर्क इतना है कि यहां प्रोडक्ट बेचने वाले का ध्यान उसे दिए गए टारगेट पर रहता है। वित्तीय प्रोडक्टों के दुर्विक्रय के कुछ नमूने इस प्रकार हैं:-

- सावधि जमा के लिए प्राप्त राशि का उपयोग कर भ्रामक तरीके से जीवन बीमा पॉलिसियों का विक्रय,
- कोई निश्चित प्रतिलाभ न होने के बावजूद निश्चित प्रतिलाभ बताकर जीवन बीमा पॉलिसियों का विक्रय,
- पहले से मौजूद बीमारी को छिपाने की सलाह देते हुए कम प्रीमियम पर जीवन बीमा पॉलिसियों का विक्रय (जिसके कारण अंत में पॉलिसी क्लेम मिलने में दिक्कत हो सकती है अथवा क्लेम रिजेक्ट हो सकता है),
- जीवन बीमा पॉलिसियों में भी यूनिट लिंक्ड पॉलिसी चाहने वाले को अपने कमीशन को ध्यान में रखते हुए होल लाइफ पॉलिसी बेचना,
- नियमित आय चाहने वाले सेवानिवृत्त गैर पेंशनभोगी व्यक्ति को म्यूच्युअल फंड के तहत इक्विटी ग्रोथ फंड बेचना - सिर्फ इसलिए क्योंकि उसमें डेट स्कीम की तुलना में कमीशन बहुत अधिक रहता है,
- अधिक उधार लेने के लिए आय को अधिक दर्शाने की सलाह देना,
- उधार लेने वाले को उधार देने वाले से प्राप्त होने वाले कमीशन की जानकारी न देना,
- वित्तीय प्रोडक्ट में अंतर्निहित जोखिम की जानकारी निवेशक से छिपाना, आदि।

वित्तीय दुर्विक्रय से बचने के उपाय

पॉलिसी खरीदने वाले को और निवेश करने वाले को चाहिए कि -

- जहां तक संभव हो, वह स्वयं जानकारी रखे और अपने ऊपर भरोसा हो तो सीधे निवेश करे अथवा पॉलिसी सीधे ऑनलाइन खरीदे।
- यदि अपने ऊपर भरोसा न हो तो अपने लिए जांच परखकर सही सलाहकार चुनें।
- अक्सर यह होता है कि निवेशक खाली फार्म पर हस्ताक्षर कर देते हैं और उनका सलाहकार अपने कमीशन को ध्यान में

रखकर प्रविष्टियां करता है। यदि निवेशक को फार्म भरना नहीं भी आता हो तो वे पूरा फार्म भरे जाने के बाद ही उसे पढ़कर और समझकर हस्ताक्षर करें।

- कई बार ऐसा देखा गया है कि बीमा सलाहकार प्रीमियम वाली रकम आपके सामने भर देते हैं परंतु बीमा की राशि बाद में काफी बढ़ाकर भरते हैं - यह भी दुर्विक्रय का ही एक नमूना है और ऐसा करने पर जब तक आपका प्रीमियम बीमाकृत राशि के बराबर नहीं हो जाता तब तक मर्त्यता प्रभार (mortality charges) लगते हैं और कुल प्रतिलाभ कम हो जाता है, जो ऐसे लोगों के लिए नुकसानदेह है जिन्हें अधिक बीमा की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार, हम कह सकते हैं कि यदि बीमा अथवा निवेश करने वाले थोड़ी सावधानी बरतें तो वे वित्तीय उत्पादों के दुर्विक्रय का शिकार होने से बच सकते हैं।

वित्तीय दुर्विक्रय का शिकार होने पर उपलब्ध विकल्प

परंतु सभी के बस की बात नहीं है कि वे दुर्विक्रय का शिकार होने से बच सकें। यहां तक कि वित्तीय संस्थाओं में कार्य करने वाले अनुभवी लोग भी वित्तीय प्रोडक्टों के दुर्विक्रय के शिकार होते रहते हैं क्योंकि वित्तीय बाजार में इतने प्रकार के संश्लिष्ट प्रोडक्ट आ रहे हैं कि सभी के बारे में पूरी जानकारी रखना किसी के लिए भी संभव नहीं है।

इसीलिए विश्वभर के देशों में वित्तीय संस्थाओं के विनियामकों ने इस प्रकार के दुर्विक्रयों से बचने के लिए उपाय किए हैं और इसके लिए वित्तीय लोकपाल, बीमा लोकपाल, पेंशन लोकपाल आदि की व्यवस्था की है और शिकायत करने के लिए एक समय-सीमा भी तय की है। उदाहरण के लिए, यूके में फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी ने फरवरी 2014 में अपने ग्राहकों को दुर्विक्रय करने के लिए होमसर्व नामक एक आपातकालीन गृह मरम्मत बीमा कंपनी को 30 मिलियन पाउंड का दंड लगाया क्योंकि उस कंपनी ने अपने वित्तीय प्रोडक्ट की वास्तविक राशि और उसके कवरेज की जानकारी देने में चूक की।³

अपने देश में भी आईआरडीए, सेबी और भारतीय रिज़र्व बैंक की लोकपाल योजना के मंच पर ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं।

यदि बीमा सलाहकार ने गलत तरीके से पॉलिसी बेची हो तो जीवन बीमा पॉलिसी खरीदने पर पॉलिसी मिलने के

³ <http://en.wikipedia.org/wiki/Misselling>

बाद एक निश्चित अवधि के भीतर पॉलिसी वापस कर अपनी राशि वापस लेने का विकल्प मौजूद है। पर दिक्कत यह है कि अधिकतर लोग न तो पॉलिसी खरीदते समय पॉलिसी की शर्तें पढ़ते हैं और न ही पॉलिसी मिलने के बाद।

इसी तरह से सेबी ने भी म्यूच्युअल फंड बेचने वाले निवेश सलाहकारों के लिए सख्त नियम बनाए हैं और प्रत्येक निवेश सलाहकार को इस आशय की घोषणा हर साल देनी पड़ती है कि उन्होंने म्यूच्युअल फंड की स्कीमें बेचने के लिए कोई गलत तरीका नहीं अपनाया है। ऐसी घोषणा न देने या गलत घोषणा देने की स्थिति में उनका कमीशन बंद हो सकता है।

इसी तरह, बैंकों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं में कमी के मामले में मिलने वाली शिकायतों के निपटारे के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35क के तहत बैंकिंग लोकपाल योजना 1995 से शुरू की है और विभिन्न राज्यों की राजधानियों में संप्रति कुल 15 बैंकिंग लोकपाल कार्यरत हैं। इस योजना के तहत सभी अनुसूचित

वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंक कवर किए गए हैं।

निष्कर्ष: ग्राहक सेवा में सुधार लाने के लिए आजकल अनेक प्रकार के उपाय किए जा रहे हैं। कोई भी ग्राहक ऐसी जगह जाना पसंद करता है जहां उसकी ज़रूरत की सारी चीजें एक स्थान पर मिल सकें। ग्राहक की इसी चाह ने गैर-वित्तीय क्षेत्र में मॉल-संस्कृति को और वित्तीय क्षेत्र में यूनिवर्सल बैंकिंग आदि को जन्म दिया है। साथ ही, बैंकिंग संबंधी मूल कार्य में बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा और घटते हुए मार्जिन को देखते हुए बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाएं अपने कार्य का दायरा बढ़ा रही हैं- अन्य संस्थाओं के वित्तीय प्रोडक्टों की बिक्री कर कमीशन कमाना उनमें से एक है। यह उचित भी है, परंतु कमाने की होड़ में वित्तीय प्रोडक्टों का दुर्विक्रय ग्राहकों के हित में नहीं है, अतः इससे बचने के सभी संभव उपाय किए जाने चाहिए।

○○○

बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन

के स्वामित्व और अन्य व्यौरों का विवरण

फॉर्म IV

- | | | |
|---|---|---|
| 1. प्रकाशन का स्थान | : | मुंबई |
| 2. प्रकाशन की अवधि | : | तिमाही |
| 3. संपादक, प्रकाशक का नाम | : | डॉ. रमाकांत गुप्ता |
| राष्ट्रीयता | : | भारतीय |
| पता | : | भारतीय रिज़र्व बैंक, राजभाषा विभाग, केंद्रीय कार्यालय
डॉ. एनी बेसंट रोड, वरली, मुंबई - 400 018 |
| 4. उन व्यक्तियों के नाम और पते जो इस पत्रिका के मालिक हैं | : | भारतीय रिज़र्व बैंक, राजभाषा विभाग, केंद्रीय कार्यालय
डॉ. एनी बेसंट रोड, वरली, मुंबई - 400 018 |
- मैं, डॉ. रमाकांत गुप्ता, एतद्वारा यह घोषणा करता हूँ कि उपर्युक्त विवरण मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है।

दिनांक : 31 मार्च 2014

ह./-

डॉ. रमाकांत गुप्ता
प्रकाशक

नए बैंक लाइसेंस – एक विहंगावलोकन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत में नए बैंकों की स्थापना के लिए हाल में आईडीएफसी लिमिटेड और बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड नामक दो संस्थाओं को सैद्धांतिक मंजूरी दी है। यह मंजूरी 18 माह तक वैध रहेगी, जिसके भीतर इन संस्थाओं को रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित अपेक्षाओं की पूर्ति करनी होगी। इन मानदंडों पर खरा उतरने पर उक्त संस्थाओं को बैंकिंग कारोबार की शुरुआत के लिए नेमी लाइसेंस दिया जाएगा। एक ओर भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक छोटे व कमज़ोर बैंकों को अंतरराष्ट्रीय होड़ में सक्षम बनाने के लिए उनके विलयन की पैरवी कर रहे हैं, वहीं, नए बैंकों की शुरुआत पर ज़ोर दिया जा रहा है। नए बैंक लाइसेंस को लेकर और भी कई प्रश्न उठाए जा रहे हैं, जैसे सहारा विवाद और एनएसईएल संकट के बाद भी निजी कंपनियों को बैंक लाइसेंस देना हमारे लिए कहीं भारी तो नहीं पड़ेगा? क्या ऐसी विकट स्थिति से बचने के लिए देश में फिर से निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण ही इस समस्या का समाधान है? विशाल आकार और सुदृढ़ शाखा नेटवर्क संपन्न भारतीय स्टेट बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, पंजाब नैशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे दिग्गज बैंकों के होते हुए वित्तीय समावेशन कार्य में ये नए बैंक कितना योगदान कर सकते हैं? आदि। प्रस्तुत लेख में



आर. सुमा

सहायक प्रबंधक

भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

भारत में बैंकिंग विकास के घटनाक्रम और नए बैंकों के औचित्य पर प्रकाश डाला गया है।

भारत में निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण

अंग्रेजों के शासन काल में बैंक ऑफ बेंगाल, बैंक ऑफ बाम्बे और बैंक ऑफ मद्रास नामक तीन प्रेसिडेंसी बैंकों का पुनर्गठन व समामेलन कर सन् 1921 में इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस बैंक को समाहित करते हुए सरकार द्वारा एक अधिनियम पारित कर 1 जुलाई 1955 से भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना की गई। वर्ष 1959 में भारतीय स्टेट बैंक (सहायक बैंक) अधिनियम पारित किया गया और आठ अन्य बैंकों को भारतीय स्टेट बैंक के सहायक/समनुषंगी बैंकों का दर्जा मिला। वर्ष 1963 में इनमें से स्टेट बैंक ऑफ जयपुर तथा स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर का स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर के रूप में विलय हो जाने के बाद एसोसिएट बैंकों की संख्या सात हो गई।

तदुपरांत देश में दो चरणों में राष्ट्रीयकरण का कार्य संपन्न हुआ। सन् 1969 में तत्कालीन केंद्र सरकार ने ऐसे 14 भारतीय बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया जिनकी जमाराशि 50 करोड़ रुपये से अधिक थी। इस कदम का मुख्य उद्देश्य बैंकिंग सेवा को जन-जन तक पहुंचाना था। इसके बाद सन् 1980 में 200 करोड़ रुपये से अधिक जमाराशि वाले छह अन्य बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया। इस महत्वपूर्ण कदम से बैंकिंग उद्योग में आमूल-चूल परिवर्तन हुआ। भारतीय बैंक 'क्लास बैंकिंग' से 'मास बैंकिंग' को वरीयता देने लगे। देश के विकास हेतु भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिशा प्रदान किए जाने के बाद राष्ट्रीयकृत बैंकों ने भारतीय अर्थव्यवस्था में सहयोग किया। कालांतर में सभी तबके के लोगों को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय समावेशन की संकल्पना पर ज़ोर दिया जाने लगा।

दुर्भाग्यवश राष्ट्रीयकरण से कई समस्याएं उठ खड़ी हुईं। सामाजिक-आर्थिक और विकासात्मक सेवाएं प्रदान करने के दौरान

इन बैंकों को बढ़ती हुई अनर्जक आस्तियों के साथ-साथ घटती हुई लाभप्रदता और बढ़ती हुई परिचालन लागतों का सामना करना पड़ रहा था जिसके चलते कुछ बैंकों के वित्तीय आधार में कुछ आधारभूत कमजोरियां भी देखने में आईं।

निजी क्षेत्र के नई पीढ़ी के बैंकों का प्रवेश

पहला दौर (1993 से 2003 तक)

बैंकिंग प्रणाली में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और दक्षता लाने की दृष्टि से रिज़र्व बैंक ने उदारीकृत नीति अपनाकर निजी संस्थाओं को बैंकिंग कारोबार में उतरने के लिए अनुमति प्रदान की। बैंकिंग क्षेत्र में नई लाइसेंसिंग का दौर 1993 में प्रारंभ हुआ। दस निजी बैंकों के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा लाइसेंस जारी किए गए। इनमें से छह बैंक अभी परिचालनरत हैं और यूटीआई का नाम बदलकर एक्सिस बैंक हो गया है। उल्लेखनीय है कि एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक जैसे निजी बैंक काफी लोकप्रिय हुए और इन्होंने विदेशों में भी पदार्पण किया। शेष चार बैंकों में से ग्लोबल ट्रस्ट बैंक में बेईमानी से निधि का दुरुपयोग किए जाने से जमाकर्ताओं को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा। आम जनता तो बैंक के क्लिष्ट तुलन-पत्र को जानने में असमर्थ है ही, लेकिन संस्थागत निवेशक भी उसकी गुत्थियों को सुलझाने में नाकामयाब रहे हैं। विंडो ड्रेसिंग से बढ़ा-चढ़ाकर वास्तविकता छुपाई जा सकती है। इससे यह पता चला कि बड़े पैमाने पर पूंजी बाज़ार का एक्सपोज़र होने और प्रावधानीकरण में कमी आने से बैंक के ढहने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। साथ ही, इससे नियामकों को यह महत्वपूर्ण सीख भी मिली कि जब तक किसी बैंक की चलनिधि की स्थिति सही सलामत रहती है तब तक उसे 'बैंक रन' का शिकार बनने से बचाया जा सकता है। इसलिए नियामकों की समाधान प्रक्रिया को शीघ्र संपन्न करना ज़रूरी है। जमाकर्ताओं के हितों का ध्यान रखते हुए बाद में इसका विलय ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स के साथ कर दिया गया। इसी प्रकार, बैंक ऑफ़ पंजाब को अन्य बड़े बैंकों की प्रतिस्पर्धा में न टिक पाने के कारण काफी हानि हुई और उसका विलय सेंचूरियन बैंक के साथ कर दिया गया। कड़ी प्रतिस्पर्धा की होड़ में नाकाम रहने के कारण सेंचूरियन बैंक और टाइम्स बैंक का विलय एचडीएफसी बैंक के साथ किया गया। ऐसे बड़े-बड़े निजी बैंकों के ध्वस्त हो जाने के कारण निजी बैंकों को लाइसेंस देने को लेकर कई आशंकाएं व्यक्त की जाने लगीं।

दूसरा दौर (2004 से 2010 तक)

'दूध का जला छाछ भी फूंक-फूंककर पीता है' वाली कहावत पर अमल करते हुए रिज़र्व बैंक ने नए बैंकों को लाइसेंस देने संबंधी मानकों को और कड़ा कर दिया तथा नियामक ने प्रवर्तकों और आवेदक संस्था के पुराने ट्रैक रिकार्ड की गहराई से छानबीन की। ऐसी परिस्थिति में रिज़र्व बैंक ने केवल दो संस्थाओं को ही बैंक लाइसेंस प्रदान किए, यथा - कोटक महिंद्रा बैंक और येस बैंक।

तीसरा दौर (2010 के बाद)

केंद्रीय वित्त मंत्री ने वर्ष 2010-11 के बजट में नए बैंक लाइसेंस के संबंध में घोषणा की। उसके बाद रिज़र्व बैंक ने 25 ऐसे आकांक्षियों से प्राप्त आवेदन पत्र पर विचार किया, जिनमें एनबीएफसी, कॉरपोरेट कंपनियां, सूक्ष्म वित्त संस्थाएं, भारत सरकार का डाक विभाग, इन्फ्रास्ट्रक्चर वित्तीयन करने वाली एनबीएफसी आदि शामिल हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि शेष दो आवेदकों ने अपना आवेदन पहले ही वापस ले लिया था। भारतीय रिज़र्व बैंक के भूतपूर्व गवर्नर डॉ. बिमल जालान की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय परामर्शदात्री समिति ने 25 फरवरी 2014 को रिज़र्व बैंक को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कीं। रिज़र्व बैंक ने नए बैंकिंग लाइसेंस के संबंध में विनिर्दिष्ट दिशा-निर्देशों पर खरा उतरने वाले आवेदकों की पहचान के लिए कई गुणात्मक व मात्रात्मक पहलुओं का मूल्यांकन कर दो संस्थाओं, नामतः आईडीएफसी लिमिटेड और बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड को 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्रदान किया है।

बंधन माइक्रो फाइनेंस पश्चिम बंगाल राज्य की एक सूक्ष्म वित्त संस्था है, जिसकी 45 प्रतिशत शाखाएं ग्रामीण इलाकों में स्थित हैं। इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड फाइनेंशियल कॉरपोरेशन (आईडीएफसी) एक इन्फ्रास्ट्रक्चर वित्तीयन करने वाली संस्था है, जिसका कॉरपोरेट कार्यालय मुंबई में है। उक्त दो संस्थाओं को अन्य बातों के साथ-साथ कतिपय शर्तों को भी पूरा करना होगा। यथा - 25 प्रतिशत शाखाएं बैंक सुविधा से वंचित ग्रामीण इलाकों में खोलना; बैंक के बोर्ड में अधिकांश निदेशक स्वतंत्र निदेशक हों; अन्य बैंकों की भांति प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना, आदि। ये बैंक लाइसेंस मिलने के बाद बचत/चालू जमा खाते खोल सकते हैं।

बैंकिंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले शेष 23 आवेदकों के संबंध में रिज़र्व बैंक ने बताया है कि वे बाद में विशिष्ट (डिफरेंशिएटेड) बैंक लाइसेंसिंग के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। विशिष्ट बैंकिंग की कोटि में पेमेंट बैंक और होल सेल बैंक की संकल्पना उठाई गई है। जहां तक डाक विभाग को लाइसेंस देने का सवाल है बैंकिंग लाइसेंस संबंधी रिज़र्व बैंक की उच्च स्तरीय परामर्शदात्री समिति ने यह सिफारिश की है कि रिज़र्व बैंक भारत सरकार से परामर्श करके उसके आवेदन पर विचार करे। रिज़र्व बैंक ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है।

भारतीय महिला बैंक

नए बैंकों में भारतीय महिला बैंक का स्थान काफी महत्वपूर्ण है। वर्ष 2013-14 के बजट में तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसरण में महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण हेतु 19 नवंबर 2013 को भारतीय महिला बैंक का उद्घाटन किया गया। इस बैंक के लिए 1000 करोड़ रुपये की प्रारंभिक पूंजी आबंटित की गई है।

भविष्य की यात्रा और चुनौतियां

नए निजी बैंकों के आगमन से बैंकिंग जगत में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। ग्राहकों को बैंकिंग के संदर्भ में लीक से हटकर कई सुविधाएं मिलने लगीं, यथा - त्वरित सेवा, सामान्य कार्य-समय के बाद भी बैंकिंग सेवा, कोर बैंकिंग समाधान तथा एटीएम आदि। नई पीढ़ी के निजी बैंक तीव्र गति से आगे बढ़ने लगे, जिसके कारण सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और पुरानी पीढ़ी के निजी बैंकों को अपने कार्य-संचालन की रीति में बदलाव लाना पड़ा। तथापि, इन सारी सुविधाओं से ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग वंचित रह गए। वित्तीय समावेशन अभियान के जरिए इन लोगों को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए नए बैंकों की शाखाएं निश्चय ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगी। तथापि, अंतरराष्ट्रीय मानकों पर खरा उतरने के लिए भारतीय बैंकों के आकार को बढ़ाना ज़रूरी हो गया है। इसके मद्देनज़र वित्तीय सुधार योजनाओं के अंतर्गत कई बैंकों का विलयन/समामेलन किया जा सकता है।

आज बैंकिंग का दायरा काफी बढ़ चुका है। पहले बैंक केवल परंपरागत बैंकिंग में ही संलिप्त रहते थे, यथा - जमाकर्ताओं से धन-राशि स्वीकार कर उसे ब्याज पर ऋण के रूप में उधारकर्ताओं को देते थे और साथ ही, धन प्रेषण सहित भुगतान सेवाएं प्रदान करते थे। उदारीकरण के बाद उन्हें बीमा जैसे परा-बैंकिंग कार्य

करने पड़े। आगे उन्होंने मर्चेन्ट बैंकिंग, पोर्टफोलियो प्रबंधन की सेवा प्रदान करते हुए एक परामर्शदाता का रूप अपनाया।

संप्रति ग्राहकों की मांग के चलते बैंक अपने परंपरागत कार्यों से इतर कई कार्य करने लगे हैं। साथ ही, पेमेंट बैंकिंग और होलसेल बैंकिंग जैसी नई अवधारणाओं के जन्म लेने से मोबाइल कंपनी और बैंकिंग से इतर अन्य संस्थाएं बैंकिंग कारोबार में शामिल हो सकती हैं। पेमेंट बैंकों के लिए अलग से नीति निर्धारित की जा सकती है। बताया जाता है कि पेमेंट बैंक जमाराशि स्वीकार कर सकते हैं और ऋण नहीं दे सकते। ये बैंक अपनी आय सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश कर जुटा सकते हैं। रिज़र्व बैंक का मानना है कि ये बैंक ग्रामीण जनता को बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर ग्रामीण क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं।

आधुनिक प्रौद्योगिकी और मानव पूंजी दोनों ने नए बैंकों का साथ दिया है तथा वे अपने ग्राहकों को त्वरित रूप से सेवाएं प्रदान करने में कामयाब हुए हैं। भारत के दूर-दराज इलाकों तक पहुंच बनाने हेतु प्रौद्योगिकी ने शाखा-रहित बैंकिंग, तत्काल भुगतान सेवा आदि को साकार किया है। उम्मीद है कि निकट भविष्य में मोबाइल फोन वंचित लोगों को बैंकिंग की परिधि में लाने में महत्वपूर्ण साधन साबित होगा और किफायती होने के कारण यह काफी लोकप्रियता भी हासिल करेगा। सोशल नेटवर्किंग बैंकों के लिए प्रचार-प्रसार का प्रबल जरिया साबित होगी, क्योंकि आगामी वर्षों में भारतीय युवा पीढ़ी पारंपरिक बैंकिंग (ब्रिक एंड मॉर्टर) की जगह मोबाइल बैंकिंग/नेट बैंकिंग को अधिक पसंद करेगी। प्रौद्योगिकी की सहायता से नियामक भी समीक्षाधीन बैंकों की वास्तविक स्थिति का जायजा रियल टाइम आधार पर लेने में समर्थ हुए हैं। गिद्ध के समान परिवर्तनों को अपनाने हेतु सदा तत्पर रहना ज़रूरी है। प्रौद्योगिकी और अन्य परिवर्तनों को आत्मसात करने से विमुख होने/अनिच्छुक रहने से कई बैंक अपना अस्तित्व खो बैठेंगे। वहीं, इसका अधिकाधिक लाभ उठाने वाले बैंक नई ऊंचाइयों को छुएंगे।

वह दिन दूर नहीं जब भौतिक मुद्रा की जगह अमूर्त/डिजिटल मुद्रा ले लेगी और लेनदेन मोबाइल फोन के जरिए होने लगेंगे। इसके कारण मोबाइल सेवाप्रदाता कंपनियां बैंकिंग कारोबार में शामिल हो सकती हैं। ऐसी परिस्थिति में सभी नियामकों के बीच आपसी सहयोग और सूचना का आदान-प्रदान अत्यंत आवश्यक होगा और बैंकों की श्रेणी में अन्य कई संस्थाएं शामिल हो जाएंगी।

○○○

ऋण सूचना ब्यूरो-चुनौतियां एवं समाधान

बैंक/वित्तीय संस्थाएं देश में ऋण देने के पहले उत्पाद और सेवाओं के लिए जोखिम आधारित मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया अपना रही हैं। इस प्रक्रिया में ऋणकर्ताओं की ऋण चुकाने की क्षमता का आकलन करने के बाद ही उनके लिए ब्याज दरों एवं अन्य शर्तों का निर्धारण किया जाता है।

ब्याज दरों का निर्धारण

ऋण सूचना कंपनियों के विकास के साथ ही बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा सिबिल ट्रांसयूनियन स्कोर मॉडल का उपयोग किया जा रहा है। क्रेडिट स्कोर ऋणदाताओं और ऋणकर्ताओं दोनों के लिए लाभदायक होता है।

क्रेडिट स्कोर निम्न बिंदुओं पर आधारित होता है:-

- ऋण का उपयोग : ग्राहक कितने ऋण का उपयोग कर रहा है?
- अतिदेय : कितने खाते ऐसे हैं जहाँ नियत तारीखें निकल चुकी हैं और कितने दिन बीत चुके हैं?
- जुटाने की संख्या : क्या ग्राहक ने ऋण सीमा में वृद्धि के लिए आवेदन किया है?
- व्यापार : ग्राहक कितने दिनों से ऋण की सेवा प्राप्त कर रहा है? किस तरह के ऋण ग्राहक द्वारा लिए



राजेंद्र सिंह

सेवानिवृत्त मुख्य प्रबंधक
इंडियन ओवरसीज़ बैंक

गए हैं? ये ऋण क्रेडिट कार्ड के जरिए हैं या कम्पोजिट ऋण हैं? यहां यह भी महत्वपूर्ण है कि ग्राहक को अपने क्रेडिट स्कोर प्रबंधन के बारे में जानकारी होनी चाहिए।

क्रेडिट स्कोर रेंज

सिबिल ट्रांसयूनियन स्कोर मॉडल अब व्यापक पैमाने पर स्कोर संबंधी सूचनाएं बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को उपलब्ध करा रहा है, जिसके आधार पर ऋणों पर निर्णय लिया जा रहा है। इसमें ऋणकर्ताओं को 300 से 900 के बीच ऋण स्कोर दिए जाते हैं। जब किसी ऋणकर्ता का स्कोर उच्च सीमा अर्थात् 900 के आस-पास रहता है तो उसकी स्वीकृति की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। साथ ही, बैंकों/वित्तीय संस्थाओं का अदायगी को लेकर विश्वास भी बढ़ जाता है।

ऋण सूचना ब्यूरो के अध्ययन के फलस्वरूप इस बात का पता चला है कि आवासीय ऋणों में स्कोर की सीमा 750 और उसके ऊपर रहने पर ऋण स्वीकृति की संभावनाएं प्रबल रूप से बढ़ जाती हैं।

चूक में कमी

सिबिल (क्रेडिट इनफार्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लि.) द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार इस बात की पुष्टि होती है कि वैयक्तिक ऋणों, आवासीय ऋणों और वाहन ऋणों में पिछले तीन वर्षों में चूक में कमी आई है। इसके पीछे कारण यही है कि सिबिल द्वारा उपलब्ध कराए गए स्कोर आंकड़ों के आधार पर ही बैंक/वित्तीय संस्थाओं ने ऋणों पर निर्णय लिया था।

आज ऋणों की मांग बढ़ रही है और नए ऋणकर्ताओं में पिछले कुछ वर्षों से 150 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसी तरह पिछले कुछ वर्षों में 80 प्रतिशत से अधिक ऋणकर्ताओं का सिबिल ट्रांसयूनियन स्कोर 700 से अधिक है।

ऋण ब्यूरो से लाभ

● ऋण ब्यूरो के आने से अनुशासित ऋणकर्ताओं को ऋण के अवसर का लाभ उठाने में सहायता मिलती है। ऋण बाजारों के अध्ययन के फलस्वरूप इस बात की पुष्टि हुई है कि ऋण राशि में वृद्धि होने से सकल देशी उत्पाद में वृद्धि होती है। इस बात का भी पता चला है कि जिन देशों में ऋण सूचना ब्यूरो की स्थापना की गई है वहाँ ऋणराशियों में वृद्धि हुई है और ऋण जोखिम में कमी आई है। इस अध्ययन से यह भी स्पष्ट हुआ है कि उन देशों में जहाँ ऋण सूचना प्रणाली की व्यवस्था पूरी तरह स्थापित है वहाँ ऋण मिलने में कठिनाई नहीं होती।

● एक महत्वपूर्ण अध्ययन से यह भी पता चलता है कि जिन देशों में क्रेडिट सूचना प्रणाली स्थापित है वहाँ ऋणकर्ता बैंक/वित्तीय संस्थाओं से संपर्क तभी करते हैं जब उन्हें वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होती है। इसके विपरीत, उन देशों में जहाँ क्रेडिट सूचना प्रणाली स्थापित होती है, वहाँ बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋणों की अदायगी में ऋणकर्ताओं द्वारा चूक नहीं की जाती। अतः कहा जा सकता है कि ऋण सूचनाओं का आदान-प्रदान करने वाली संस्थाओं को ऋणकर्ताओं के ऋण अदायगी व्यवहार का भी रिकार्ड रखना चाहिए जिससे उनकी ऋण अदायगी पर सकारात्मक प्रभाव पड़े।

● बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को ऋणकर्ताओं से दीर्घकालीन संबंध के चलते उनके पूर्ण व्यवहार के बारे में पता रहता है। जहाँ यह संबंध नहीं रहता, वहाँ बैंक/वित्तीय संस्थाओं को इस बारे में पता नहीं रहता। जहाँ संबंधों में ढिलाई होती है, वहाँ ऋणकर्ताओं से उच्च ब्याज दरें भी वसूल की जाती हैं और साथ ही अन्य शुल्क भी उच्च दरों पर लिए जाते हैं।

यह देखने में आया है कि क्रेडिट सूचनाओं के आदान-प्रदान से बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के एकाधिकार समाप्त हो जाते हैं, जो ऋणकर्ताओं के लिए लाभदायक होते हैं।

सिबिल के सहयोग से बैंक/वित्तीय संस्थाएं अधिक जोखिम वाले ऋणकर्ताओं की पहचान कर सकती हैं और उनके जोखिम पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए ब्याज दरों का निर्धारण कर सकती हैं। अन्य शब्दों में, जहाँ जोखिम की संभावनाएं अधिक हैं, वहाँ उच्च ब्याज दरों का निर्धारण होता है, जबकि

जोखिम कम होने से ब्याज दरों को कम किया जाता है। इस तरह ऋणकर्ताओं पर औसत ब्याज दरों का बोझ कम होता है।

क्रेडिट सूचना प्रणाली उपलब्ध होने पर बैंकों के निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होती है जिससे ऋणों के प्रोसेसिंग शुल्क और इनकी स्वीकृति में लगने वाला समय भी कम हो जाता है।

● बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के क्रेडिट सूचनाओं के आदान-प्रदान से ऋणकर्ताओं के ऊपर ऋण के भार का पता चल जाता है। इससे उच्च ऋणग्रस्तता वाले ऋणकर्ताओं को ऋण कम मिलता है। इससे कुल मिलाकर ऋणग्रस्तता में कमी आती है।

एक अध्ययन से यह भी पता चलता है कि क्रेडिट सूचना प्रणाली के स्थापित होने के बाद बैंकों/वित्तीय संस्थाओं में सावधि ऋणों के आकार और उनकी अदायगी अवधि में कमी आई है। साथ ही, इसमें ली जाने वाली प्रतिभूतियों के बारे में भी सतर्कता बढ़ी है। इन कदमों से अप्रत्यक्ष रूप से इस बात की पुष्टि हो जाती है कि सूचनाओं के आदान-प्रदान से बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को ऋणकर्ताओं की ऋणग्रस्तता के बारे में जानकारी मिलने लगी है।

● ऋण सूचनाओं के अभाव में ऋण निर्धारण प्रक्रिया सही ढंग से सुनिश्चित नहीं की जा सकती। इसका प्रभाव समाज के निर्धन व्यक्तियों पर पड़ता है और उन्हें ऋण मिलने में कठिनाई होती है जिससे आर्थिक असमानता बढ़ती है। अतः क्रेडिट सूचना प्रणाली की स्थापना से गरीबों को ऋण मिलने में आसानी होती है, जो गरीबी उन्मूलन में सहायक होती है।

संयुक्त राज्य अमेरिका में ऋण सूचनाओं के आदान-प्रदान से लघु व्यवसाय ऋणों में वृद्धि देखी गई है। इससे हाशिए पर पड़ी लघु व्यवसाय इकाइयों को भी ऋण आपूर्ति सुनिश्चित हुई है, जो पहले न के बराबर थी।

ऋण सूचना ब्यूरो का उद्देश्य सूचनाओं का संकलन करना और ऋणकर्ताओं के बारे में व्यापक सूचनाओं का आदान-प्रदान करना है। इस आदान-प्रदान में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की सूचनाएं उपलब्ध होनी चाहिए। जिन देशों में सूचनाओं के संरक्षण के कड़े प्रावधान हैं वहाँ ऋणों के निर्धारण पर प्रतिकूल प्रभाव देखा गया है।

क्रेडिट सूचनाओं के अभाव में बैंक/वित्तीय संस्थाओं एवं वित्तीय बाजार के अन्य सहभागियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। साथ ही, वित्तीय बाजार, ऋण बाजार और देश की सामान्य अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होती है।

भारत वर्ष में क्रेडिट सूचना प्रणाली

हमारे देश में बहुविध ऋण प्रणाली के चलते ग्रामीण इलाकों में ऋणग्रस्तता का स्तर काफी बढ़ गया है जिसके फलस्वरूप दोषपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसका ज्वलंत उदाहरण है आंध्र प्रदेश। ऐसी स्थिति को टाला जा सकता था यदि बैंक/वित्तीय संस्थाओं में सूचनाओं का आदान-प्रदान हुआ होता।

भारतीय रिज़र्व बैंक बोर्ड की उप समिति ने माइक्रो वित्त से संबंधित विषयों एवं चिंताओं को ध्यान में रखते हुए इस बात पर बल दिया है कि बहुविध ऋण व्यवस्था एवं अधिक ऋण लेने की प्रवृत्ति को तभी समाप्त किया जा सकता है जब माइक्रो वित्त संस्थाओं में ऋण सूचनाओं के आदान-प्रदान की व्यवस्था हो।

उप समिति ने यह भी सुझाव दिया कि ऋण सूचना ब्यूरो की त्वरित स्थापना की जाए और जहाँ एक से अधिक ब्यूरो कार्य कर रहे हैं वहाँ इनके बीच में समन्वय स्थापित किया जाए।

सिबिल के अतिरिक्त तीन ऐसी क्रेडिट सूचना कंपनियों के स्थापित हो जाने के बाद आशा की जाती है कि माइक्रो वित्त में क्रेडिट सूचनाओं का आदान-प्रदान होने से इसका परिचालन एक ठोस और निरंतर आधार पर बढ़ता रहेगा।

यहाँ एक महत्वपूर्ण बिंदु यह भी है कि राज्य सरकारों की भूमिका वहाँ महत्वपूर्ण है जहाँ निर्धन परिवारों की ऋण वहन की क्षमता के बारे में उन्हें वित्तीय साक्षरता प्रदान करनी है।

रिटेल क्रेडिट में अनर्जक आस्तियों में कमी

सिबिल के अध्यक्ष श्री एम.वी. नायर ने हाल में इस बात पर प्रकाश डाला कि क्रेडिट आंकड़ों की वर्तमान शुद्धता और गुणवत्ता के कारण ही रिटेल क्रेडिट की अनर्जक आस्तियों में कमी आई है। आंकड़ों के अनुसार 2010 में रिटेल क्रेडिट में अनर्जक आस्तियों का अंश 2.5 प्रतिशत था जो अब 1 प्रतिशत पर आ गया है। साथ ही, आस्तियों की गुणवत्ता में वृद्धि भी देखी गई है।

सिबिल ने वर्ष 2012 में व्यावसायिक ऋण ब्यूरो के संदर्भ में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जैसे-आंकड़ों का आधार बढ़ाना, इसका शोधन करना और नई क्रेडिट सूचना का समाधान 'कमर्शियल ट्रिगर्स' स्थापित करना, जिससे व्यावसायिक ऋणों के बारे में सूचना एकत्र की जा सके। इस व्यवस्था से बैंक एवं वित्तीय संस्थाएं क्रेडिट सूचनाओं के बारे में अपने को अद्यतन रखती हैं। जहाँ भी ऋण जोखिम की पृष्ठभूमि में बदलाव होता है, तो इस पर शीघ्र निर्णय लिया जाता है। ग्राहक की पृष्ठभूमि में परिवर्तन के साथ बैंकों को सतर्क भी किया जाता है।

सिबिल को अब चार क्षेत्रों में बाँटा गया है : रिटेल, व्यावसायिक, बंधक और धोखाधड़ी। इन चार क्षेत्रों के आधार पर बैंक/वित्तीय संस्थाओं एवं टेलीकॉम कंपनियों को सतर्क किया जाता है। माइक्रो वित्त के लिए अलग से विभाग बनाने की योजना है जिसके द्वारा माइक्रो वित्त संस्थाओं को ऋण सूचनाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

सिबिल के पास अब तक 32 करोड़ से अधिक के रिकार्ड उपलब्ध हैं जिनमें रिटेल क्रेडिट संबंधी रिकार्ड 30.50 करोड़ हैं। व्यावसायिक ब्यूरो से संबंधित रिकार्ड 1.50 करोड़ है। प्रस्तावित माइक्रो वित्त सूचना विभाग में 7 करोड़ रिकार्ड बनने की संभावना है। इस तरह कुल रिकार्ड 40 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है।

सिबिल की ग्राहक सदस्यता में भी तीव्र वृद्धि हुई है जो 960 के आस-पास है। थोड़े समय बाद इसके 1000 तक पहुंचने की संभावना है।

बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के आंकड़ों से ऋणकर्ताओं की असंतुष्टि

बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा मासिक आधार पर सिबिल को आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं। इस बारे में 10-15 प्रतिशत ऋणकर्ता ऐसे हैं जो इन आंकड़ों से संतुष्ट नहीं हैं।

सिबिल की वेबसाइट में ऋणकर्ताओं को अपना विवाद दर्ज कराने का भी प्रावधान है। सिबिल इन विवादों के निराकरण के लिए त्वरित प्रयास करता है। इस विषय में संबंधित बैंकों से जानकारी मांगी जाती है। जब बैंकों से इस बारे में संशोधन की पुष्टि प्राप्त हो जाती है तब क्रेडिट सूचना कंपनी (विनियमन)

अधिनियम, 2005 के अनुसार इसमें वांछित परिवर्तन कर दिया जाता है।

आंकड़ों की प्रामाणिकता की कमी

इंटरनेट पर अनेक शिकायतें प्राप्त हो रही हैं जिनमें बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा भेजे गए अशुद्ध आंकड़ों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है। उदाहरण के लिए, बंगलुरु के एक 76 वर्षीय व्यक्ति जिसने एक निजी बैंक से लिया हुआ चार वर्ष के पहले का कार लोन बंद कर दिया था। कार लोन बंद होने के फलस्वरूप दृष्टिबंधक को भी निरस्त कर दिया गया था और कार का पंजीकरण प्रमाण-पत्र भी ऋणकर्ता को वापस कर दिया गया था। इन सबके होते हुए भी ऋणकर्ता के खाते से पचास रुपये वसूले गए। यह रकम बढ़कर 1000 रुपये से भी अधिक हो गई जिसको रिकार्ड में बढ़े खाते में डाल दिया गया। ऋणकर्ता ने वर्ष 2009 में जब एक प्रापर्टी लोन के लिए आवेदन पत्र दिया, तब उसका आवेदन इस आधार पर निरस्त कर दिया गया कि उसका पहले से लोन खड़ा हुआ है। इसी बीच, ऋणकर्ता ने अपनी कार भी बदल दी थी। परंतु निजी बैंक के रिकार्ड में संशोधन कराने के लिए कोई पहल नहीं की गई थी। जब ऋणकर्ता के वकील ने क्रेडिट ब्यूरो से इस बारे में जानकारी प्राप्त की तो उनको संबंधित बैंक से संपर्क करने को कहा गया जहाँ से इन आंकड़ों/सूचनाओं को प्रेषित किया गया था। क्रेडिट ब्यूरो के आंकड़ों/सूचनाओं की शुद्धता के बारे में कोई जिम्मेदारी नहीं है। ऐसे अनेक उदाहरण आए हैं जहाँ अशुद्ध आंकड़ों/सूचनाओं को बिना प्रामाणिकता की जांच किए संप्रेषित किया जा रहा है।

भविष्य की चुनौतियां

इस क्षेत्र में कार्यरत सहभागी इकाइयों की प्रतिसूचना के आधार पर यह देखा गया है कि क्रेडिट सूचना कंपनियों के समक्ष अनेक चुनौतियां खड़ी हुई हैं। उदाहरण के तौर पर आंकड़ों की शुद्धता, समय का अनुपालन, पूर्णता आदि। यह भी देखने में आया है कि कॉरपोरेट इकाइयों से संबंधित आंकड़ों/सूचनाओं का उतना उपयोग नहीं किया जा रहा है, जितना कि रिटेल ऋणों के लिए। बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को इसे गंभीरता से लेने की आवश्यकता है।

अतः बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को निम्न बिंदुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है :

बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को ऋण सूचना कंपनियों को आंकड़ों को भेजने के पहले उनकी गुणवत्ता और पूर्णता में सुधार सुनिश्चित कर एक निश्चित अवधि में उन्हें प्रेषित करना चाहिए। साथ ही, इन आंकड़ों का लाभकारी इस्तेमाल सुनिश्चित करना चाहिए। यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि इन आंकड़ों के आधार पर जहाँ ऋणकर्ताओं के प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाते हैं वहाँ ऋणकर्ताओं को सूचित करना आवश्यक है।

सिबिल के अध्यक्ष ने बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से आग्रह किया है कि वे गुणवत्तापरक और शुद्ध आंकड़ों को भेजना सुनिश्चित करें। गुणवत्ताहीन एवं अशुद्ध आंकड़ों के प्रेषण से बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋणों का निर्णय सही नहीं होता, आस्तियों की गुणवत्ता प्रभावित होती है और अनर्जक आस्तियों में वृद्धि होती है। एकत्र किए गए एवं संप्रेषित किए गए क्रेडिट आंकड़ों की गुणवत्ता एवं उनका विस्तार क्रेडिट सूचना वातावरण का एक बुनियादी और कारगर आधार है।

आंकड़ों की शुद्धता का अर्थ यही है कि उनमें कोई त्रुटि नहीं है, वे शुद्ध हैं, पूर्ण हैं और अद्यतन हैं। प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 के अनुसार अब बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को इन सूचनाओं को मासिक आधार पर या जो भी ऋण सूचना कंपनियों द्वारा निर्धारित किया जाता है, अद्यतन कर संप्रेषित करना है।

यहाँ यह बिंदु भी महत्वपूर्ण है कि अशुद्ध आंकड़ों से संभावित ऋणकर्ता अपात्र घोषित कर दिए जाते हैं या उन्हें अधिक ब्याज दर वहन करना पड़ सकता है। विश्व बैंक ने क्रेडिट सूचना संप्रेषण के लिए सामान्य सिद्धांतों के तहत क्रेडिट सूचना तंत्र को सुसंगत, शुद्ध, आधुनिकतम और संपूर्ण आंकड़ों को सभी विश्वसनीय एवं समुचित स्रोतों से एकत्र कर पर्याप्त समय तक रखने के लिए दिशा-निर्देश दिए हैं।

ऋणकर्ताओं की शिकायतों का त्वरित निपटारा

क्रेडिट सूचना कंपनियों पर यह जिम्मेदारी है कि वे ग्राहक से संबंधित शिकायतों का पारदर्शिता के साथ और समयबद्ध रूप में निपटारा करें। इसके लिए उन्हें एक उपयुक्त सार्वजनिक

शिकायत निपटान प्रणाली का गठन करने की संभावनाओं पर विचार करना चाहिए। इस प्रणाली को एक रखवाल की तरह कार्य करना चाहिए जिससे ऋणकर्ताओं में एक स्पष्ट संदेश जाए कि ऋणों की अदायगी में चूक करने से क्रेडिट स्कोर घटता है।

आजकल यह भी देखने में आया है कि क्रेडिट कार्ड के संपूर्ण लिमिट का अधिक इस्तेमाल क्रेडिट स्कोर के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। इसी तरह, बहुत अधिक प्रतिभूति-रहित उधार जैसे व्यक्तिगत ऋण, ट्रेवल ऋण आदि क्रेडिट स्कोर के लिए हानिकारक हो सकते हैं।

जोखिम प्रबंधन

आज क्रेडिट सूचना कंपनियां अनेक संस्थाओं के साथ समन्वय कर रही हैं। ऐसे में परिचालन जोखिम और उससे जुड़ी प्रतिष्ठा जोखिम की संभावना बढ़ जाती है। यहां त्रुटियां भी हो सकती हैं और सूचनाओं का अनधिकृत उपयोग भी। यह अनधिकृत उपयोग क्रेडिट सूचना कंपनियों में कार्यरत लोगों द्वारा हो सकता है और बाहर से भी हो सकता है। अतः इन जोखिमों के प्रबंधन की क्षमता क्रेडिट सूचना कंपनियों में होनी चाहिए।

भारतीय रिज़र्व बैंक की पहल

भारतीय रिज़र्व बैंक ने ऋण सूचना कंपनियों को प्रेरित किया है कि वे ऋणकर्ताओं में चेतना जागृत करें कि वे ऋण व्यवहारों और क्रेडिट स्कोर के बारे में व्यापक सुधार लाएं जिससे वे अपना वित्तीय प्रबंधन बेहतर ढंग से कर सकें।

जहां तक ऋण विस्तार का प्रश्न है, इसमें भारत की उपलब्धि वैश्विक मानकों की दृष्टि से कम है। इसी तरह, देश में एक बड़ी आबादी, जो रोजगार में है, की आमदनी में वृद्धि हुई है। ऋण विस्तार कम होने का सबसे बड़ा कारण बैंकों/वित्तीय संस्थाओं और ऋणकर्ताओं में संबंधित सूचनाओं की विषमता है। अतः अनुसूचित बैंकों/वित्तीय कंपनियों और आवास वित्त कंपनियों को शुद्ध आंकड़ों को नियमित रूप से संप्रेषित करने की व्यवस्था करनी चाहिए।

बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के लिए क्रेडिट सूचना कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों का ऋण मूल्यांकन प्रक्रिया में प्रभाव तभी सुनिश्चित होगा जब ये आंकड़े शुद्ध और अद्यतन होंगे।

क्रेडिट सूचना कंपनियों द्वारा जनचेतना अभियान का आयोजन

इन कंपनियों को ऋण सूचना से होने वाले लाभ के बारे में जनता को शिक्षित करने के लिए चेतना अभियान चलाना चाहिए। ऋण सूचनाओं के आदान-प्रदान से होने वाले लाभ के बारे में समझाया जाना चाहिए जिससे अधिक से अधिक लोग क्रेडिट रिपोर्ट प्राप्त कर सकें। साथ ही, ऋण प्राप्त करने में आसानी हो।

अभियान के मुख्य बिंदु

- ऋण सूचनाओं के आदान-प्रदान से होने वाले लाभ और व्यक्तिगत सूचनाओं के आदान-प्रदान से संबंधित सामान्य महत्त्व के बारे में जानकारी देनी चाहिए। इससे संबंधित जनता की शंकाओं को भी दूर करना चाहिए।
- क्रेडिट सूचना कंपनियों के कार्य-कलापों के बारे में जानकारी देनी चाहिए। साथ ही, व्यक्तिगत सूचनाओं की गोपनीयता बनाए रखने के अपने दायित्वों के बारे में जनता को स्पष्ट बताना चाहिए।
- क्रेडिट सूचना कंपनियों को ग्राहकों के आंकड़ों को सुरक्षित रखने की जानकारी देनी चाहिए।


भारत में क्रेडिट सूचना प्रणाली को वित्तीय परिपक्वता का अग्रणी कहा जाता है। बैंकों की बुनियादी भूमिका मध्यस्थ की है। चूंकि क्रेडिट सूचना प्रणाली वित्तीय मूलभूत सुविधाओं का एक महत्त्वपूर्ण अंग है, अतः इसकी गुणवत्ता से ही वित्तीय संस्थाओं की क्षमता बढ़ती है। सूचना प्रणाली से जहाँ बैंकों की जोखिम आकलन की क्षमता बढ़ती है, वहीं ऋणकर्ताओं को ऋण लेने, अन्य उत्पादों/सेवाओं को प्राप्त करने एवं उनका बीमा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन भी मिलता है।

वित्तीय लेन-देन में सूचनाओं का महत्त्वपूर्ण स्थान है। इन सूचनाओं की वित्तीय तंत्र की कार्य-प्रणाली में सुधार करने, अनर्जक आस्तियों की बढ़ती गति को कम करने, बैंकों/वित्तीय संस्थाओं की बहियों में उच्च गुणवत्ता की आस्तियों में वृद्धि करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका है। वित्तीय समावेशन योजना के कार्यान्वयन में ऋण सूचनाओं का महत्त्व और भी बढ़ जाता है।

○○○

वित्तीय स्थिरता और आर्थिक संवृद्धि

वित्तीय स्थिरता वित्तीय क्षेत्र की वह क्षमता होती है जिसके माध्यम से आर्थिक प्रक्रियाओं को सुकर बनाया जाता है तथा आगे बढ़ाया जाता है, जोखिमों का प्रबंधन किया जाता है तथा आर्थिक आघातों का सामना किया जाता है। मौद्रिक स्थिरता का सीधा संबंध कीमतों के स्तर की स्थिरता तथा मुद्रा के मूल्य की स्थिरता से है। सामान्य तौर पर वित्तीय स्थिरता का तात्पर्य मूल वित्तीय संस्थाओं तथा उन वित्तीय बाजारों, जिनमें वे परिचालन करते हैं, की संयुक्त स्थिरता से है। वित्तीय संस्थाओं के संदर्भ में वित्तीय स्थिरता का अर्थ उनकी वित्तीय मजबूती से है अर्थात् उनके पास सामान्य (कभी-कभी असामान्य) हानियों को आमेलित करने लायक पर्याप्त पूंजी हो, सामान्य काल में परिचालनों और अस्थिरता अथवा उतार-चढ़ावों के प्रबंधन के लिए पर्याप्त चलनिधि हो। वित्तीय बाजार स्थिरता का तात्पर्य अतिरिक्त और विघटनकारी अस्थिरता कम होना है जिसके वास्तविक आर्थिक परिणाम सकारात्मक हों। इसके अलावा, वित्तीय स्थिरता का अर्थ एक प्रभावी विनियामक बुनियादी संरचना, जिसमें वे विधियां, विनियम, मानक और प्रथाएँ शामिल हैं, होने से भी है जिनसे एक सुदृढ़ वित्तीय विनियामक वातावरण का निर्माण होता है। वित्तीय स्थिरता की अवधारणा में जनसाधारण का आत्मविश्वास और समष्टि विवेकपूर्ण निगरानी की एक प्रभावी प्रक्रिया जैसे तत्व भी शामिल होते हैं। इसमें मूलतः वित्तीय संकट



कुमार परिमलेन्दु सिन्हा

प्रबंधक

भारतीय रिज़र्व बैंक, पटना

को टालना अथवा प्रणालीगत वित्तीय जोखिम का प्रबंधन शामिल होता है। यदि प्रणालीगत जोखिम का प्रबंधन अच्छी तरह से होता है जो कि प्रथमतः बाजार के सहभागियों द्वारा उनके निजी जोखिम प्रबंधन के माध्यम से होता है तथा द्वितीयतः प्राधिकारियों द्वारा किए गए बैंकिंग पर्यवेक्षण, बाजार की निगरानी और प्रणालीगत जोखिम प्रबंधन के माध्यम से होता है, तो प्रणालीगत वित्तीय संकट का असर अत्यंत कम हो जाता है अथवा उसका प्रबंधन अपेक्षाकृत आसान हो जाता है।

वित्तीय स्थिरता के लिए अपेक्षित तत्वों की बात की जाए तो इसके लिए सर्वप्रथम आवश्यक है कि एक मजबूत वित्तीय प्रणाली होनी चाहिए, जिसमें सभी प्रकार की घरेलू और अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के अंतर्गत आने वाले आर्थिक आघातों का निवारण करने, उनका पूर्वानुमान करने और उनको रोकने की क्षमता हो। वित्तीय स्थिरता को घरेलू क्षेत्र, कारोबारों तथा वित्तीय सेवा फर्मों के बीच वित्तीय विनिमय प्रणाली में होने वाली बाधाओं की समष्टि आर्थिक लागतों की अनुपस्थिति के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। जब वित्तीय क्षेत्र का कोई एक भाग अथवा संपूर्ण वित्तीय क्षेत्र जोखिम पर रहता है तब उक्त परिस्थिति को वित्तीय रूप से अस्थिर माना जाता है। वित्तीय अस्थिरता अंततः प्रणालीगत जोखिम, बैंकों की विफलता, परिसंपत्ति कीमतों की अत्यधिक अस्थिरता, ब्याज और विनिमय दरों की अस्थिरता तथा बाजार चलनिधि की अचानक समाप्ति के रूप में अभिव्यक्त होती है। ऐसा होने का परिणाम भुगतान एवं निपटान प्रणाली के विघटन के रूप में सामने आता है। इस प्रकार, वित्तीय स्थिरता एक ऐसी स्थिति है जिसमें वित्तीय प्रणाली अर्थात् मूल वित्तीय बाजार तथा वित्तीय संस्थागत प्रणाली, जिसमें वित्तीय मध्यवर्ती संस्थाएं, बाजार तथा बाजार की बुनियादी संरचनाएं शामिल हैं, आर्थिक आघातों की प्रतिरोधी हो, उसमें इन आघातों को सहने की क्षमता हो तथा वह अपने आधारभूत कार्यों अर्थात् वित्तीय निधियों का मध्यस्थीकरण, जोखिम का प्रबंधन

तथा भुगतानों की व्यवस्था को सहजतापूर्वक कर पाने के लिए उपयुक्त हो। इसके द्वारा वित्तीय मध्यस्थीकरण की प्रक्रियाओं में विघटन की संभावनाओं को कम करने में मदद मिलती है, जिससे लाभप्रद निवेश के अवसरों में बचत की राशियों के आबंटन को क्षति पहुंचने से बचा जाता है। वित्तीय प्रणाली यदि निम्नांकित तीन विशेषताओं को अभिव्यक्त करती है तो यह समझा जाता है कि वित्तीय प्रणाली में स्थिरता कायम है :

1) वित्तीय प्रणाली, बचतकर्ताओं से निवेशकर्ताओं तक संसाधनों का प्रभावी तरीके से और सहजतापूर्वक अंतरण करने में सक्षम है।

2) वित्तीय जोखिमों का आकलन तथा यथोचित और सही-सही मूल्यन होना चाहिए एवं उनका अपेक्षाकृत सुप्रबंधन भी होना चाहिए।

3) वित्तीय प्रणाली ऐसी स्थिति में होनी चाहिए कि वह वित्तीय और वास्तविक आर्थिक आकस्मिक परिस्थितियों और आघातों को आराम से सह सके तथा उन्हें आमेलित कर सके।

यदि इन विशेषताओं में से एक, दो अथवा सभी का निर्वहन नहीं हो रहा है तो ऐसा माना जा सकता है कि वित्तीय प्रणाली कम स्थिरता की दिशा में जा रही है तथा कुछ सीमा तक अस्थिरता का संकेत दे रही है। इस प्रकार, वित्तीय स्थिरता की रक्षा के लिए यह अपेक्षित है कि जोखिम और असुरक्षितता जैसे बचतकर्ताओं से निवेशकर्ताओं तक वित्तीय संसाधनों के आबंटन में अक्षमताओं तथा वित्तीय जोखिमों का गलत मूल्यन अथवा कुप्रबंधन आदि के मुख्य स्रोतों की पहचान की जाए। जोखिमों और असुरक्षितताओं की यह पहचान इसलिए भी अनिवार्य है क्योंकि वित्तीय स्थिरता की निगरानी का स्वरूप प्रगामी होना चाहिए। पूँजी के आबंटन में अक्षमताएँ अथवा जोखिम के मूल्यन और प्रबंधन में हुई कमी से यदि उससे वित्तीय प्रणाली में असुरक्षितता की नींव पड़ती है तो वह भविष्य में वित्तीय प्रणाली की स्थिरता पर ऋणात्मक प्रभाव डाल सकती है।

इस प्रकार, वित्तीय स्थिरता को एक ऐसी परिस्थिति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें वित्तीय क्षेत्र बिना किसी विराम अथवा रुकावट के वास्तविक अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण सेवाएँ उपलब्ध कराता रहता हो। वित्तीय विपदा उपभोक्ताओं, निवेशकों, सरकार अथवा वित्तीय मध्यस्थों जैसे आर्थिक एजेंटों

द्वारा लिए जाने वाले अत्यधिक वित्तीय जोखिम के कारण उत्पन्न होती है। इसलिए वित्तीय स्थिरता की प्रबंधन-कला में न केवल वित्तीय प्रणाली (अर्थात् वित्तीय संस्थाएं, बाज़ार और भुगतान, निपटान और समाशोधन प्रणाली) के विभिन्न संवर्गों के जोखिमों के स्रोतों की पहचान और उनकी निगरानी करना तथा एक प्रणालीगत संकट के बढ़ते व्यापक प्रभाव में प्रवेश करने से पहले ही उन्हें नियंत्रित करना शामिल है, बल्कि इसका लक्ष्य सामान्य अवधि में भी एक स्वस्थ वित्तीय वातावरण के लिए परिस्थितियों का सृजन करना भी है। इसके लिए आवश्यक है कि वित्तीय प्रणाली के सभी प्रमुख संवर्गों में किसी भी स्वरूप के तथा कितनी भी मात्रा वाले प्रत्याशित अथवा अप्रत्याशित दोनों प्रकार के आघातों को सहजतापूर्वक सहने की संयुक्त क्षमता होनी चाहिए, जिसके द्वारा जोखिम के पर्याप्त मूल्यन के माध्यम से बचतकर्ताओं से निवेशकर्ताओं तक वित्तीय संसाधनों के प्रभावी पुनराबंटन को आसान बनाया जा सके। इसके लिए यह भी आवश्यक होगा कि वित्तीय संस्थाओं की क्षमता में जनता के इस आत्मविश्वास की रक्षा की जाए कि वे संस्थाएं अपनी संविदागत बाध्यताओं को बिना किसी हस्तक्षेप अथवा बाहरी सहायता के पूरा करेंगी। इस प्रकार, वित्तीय स्थिरता की समस्त प्रक्रिया को गत्यात्मक होना चाहिए तथा उसे व्यक्तिविकेकपूर्ण तथा समष्टि-विकेकपूर्ण दोनों मुद्दों के प्रति सजग होना चाहिए। वित्तीय अस्थिरता का प्रबंधन करने वाली किसी प्रभावी रूपरेखा में वित्तीय प्रणाली का निर्माण करने वाली संस्थाओं, बाज़ारों तथा बुनियादी संरचनाओं की वैयक्तिक और सामूहिक मजबूती का एक आकलन, जोखिम के मुख्य स्रोतों की पहचान और वह दोषपूर्णता जो भविष्य में वित्तीय प्रणाली के लिए चुनौतियाँ खड़ी कर सके तथा वित्तीय प्रणाली के लचीलेपन का इस दृष्टि से एक मूल्यांकन कि उसमें संकट का सामना करने की कितनी क्षमता है, अनिवार्यतः शामिल होने चाहिए। एक समग्र मूल्यांकन से इसका निर्धारण किया जाना चाहिए कि कौन-सी सुधारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता है क्योंकि वित्तीय स्थिरता की रक्षा के लिए प्रणालीगत जोखिम विश्लेषण के एक भाग के रूप में शुरुआती चेतावनियों पर कार्रवाई किया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है।

वित्तीय स्थिरता का आर्थिक संवृद्धि से सीधा संबंध स्थापित करते हुए अनेक विद्वानों ने मौद्रिक प्रणाली और बैंकिंग प्रणाली की मजबूती तथा वित्तीय बाजार की स्थिरता पर भी बल दिया है। फूट (Foot) ने एक स्थिर मौद्रिक प्रणाली, मुख्य वित्तीय संस्थानों

और बाज़ार की स्थिरता तथा रोजगार के स्वतः उत्पन्न अवसरों को वित्तीय स्थिरता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना है। लेकर (Laker) ने वित्तीय स्थिरता को वित्तीय प्रणाली के विघटन से बचाए जाने के रूप में परिभाषित करते हुए इसे वास्तविक उत्पादन (आउटपुट) के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व बताया है। सामान्यतः वित्तीय अस्थिरता को निम्नांकित श्रेणियों में बाँटा जा सकता है -

(क) बैंकिंग संकट अर्थात् एक अथवा एक से अधिक बैंकों द्वारा ऋण अथवा व्यापारिक हानियाँ उठाने के कारण उत्पन्न संकट,

(ख) विनिमय दर (अथवा भुगतान संतुलन) संकट अर्थात् स्थिर विनिमय दर व्यवस्था पर पड़ने वाले दबाव के कारण उत्पन्न संकट, तथा

(ग) वित्तीय बाज़ार संकट अर्थात् अपेक्षाओं की प्रतिकूलता और बाज़ार के रुख में प्रतिकूल बदलाव जिसके कारण तेजी से कीमतों में अस्थिरता उत्पन्न हो।

इन सभी संकटों से किसी भी वित्तीय प्रणाली पर प्रतिकूल और नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अतः इनके पूर्वानुमान तथा वित्तीय अस्थिरता और इनकी सघन निगरानी के लिए लेकर (Laker) ने तीन विशिष्ट क्षेत्रों - (क) घरेलू, कारोबारी और वास्तविक अर्थव्यवस्था, (ख) वित्तीय क्षेत्र और (ग) बाहरी क्षेत्र के संदर्भ में कुछ संकेतकों की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े वित्तीय अस्थिरता के इन संकेतकों की निगरानी करके उपर्युक्त संकटों को टालने का प्रयास किया जा सकता है और आर्थिक संवृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है।

आर्थिक संवृद्धि कालांतर में किसी अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के बाज़ार मूल्य में वृद्धि होती है। इसे परंपरागत रूप से सकल देशी उत्पाद अथवा जीडीपी में वृद्धि की प्रतिशत दर से मापा जाता है। इस संदर्भ में मानव जनसंख्या के साथ जीडीपी के अनुपात में, जिसे प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है, वृद्धि का महत्त्व होता है। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि को गहन वृद्धि (Intensive growth) के रूप में जाना जाता है। केवल जनसंख्या अथवा भू-भाग में वृद्धि के कारण हुई जीडीपी वृद्धि को व्यापक संवृद्धि कहा जाता है।

आर्थिक संवृद्धि की अभिप्रेरक शक्ति उत्पादकता में होने वाली आर्थिक वृद्धि है, जो निविष्टियों अर्थात् इन्पुट्स (पूँजी, श्रम, ऊर्जा, कच्ची सामग्रियों तथा कारोबारी सेवाओं) की तुलना में

आर्थिक उत्पाद (इकोनामिक आउटपुट्स) का आर्थिक अनुपात होता है। उत्पादकता में वृद्धि से वस्तुओं की लागत में कमी आती है, जिसका परिणाम आपूर्ति की मात्रा में सकारात्मक बदलाव के रूप में सामने आता है। जनसंख्या और रोजगारों के अनुपात, क्रय-शक्ति में बढ़ोतरी, उद्योग, विनिर्माण, सेवा और कृषि क्षेत्र में वृद्धि भी आर्थिक संवृद्धि के संकेतक होते हैं। ये सभी तत्व किसी भी अर्थव्यवस्था, वित्तीय प्रणाली और बैंकिंग प्रणाली की मजबूती के मूल आधार भी होते हैं और वित्तीय स्थिरता इस आर्थिक संवृद्धि, अर्थव्यवस्था, वित्तीय प्रणाली और बैंकिंग प्रणाली की मजबूती के लिए अत्यंत आवश्यक होती है।

यह आर्थिक संवृद्धि बनी रहे, धारणीय रहे, इसके लिए वित्तीय स्थिरता का निरंतर बने रहना भी उतना ही आवश्यक है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अध्ययन के अनुसार पिछले बीस वर्षों में वित्तीय अस्थिरता के कारण एक दर्जन से अधिक बैंकिंग संकट सामने आए हैं। वित्तीय अस्थिरता के उभरने के कारण पिछले दशकों के वैश्विक वित्तीय प्रणाली के परिचालन में काफी बाधाएँ आई हैं। एक आकलन के अनुसार, इस अवधि के दौरान व बैंकिंग संकटों के दौरान पीड़ित देशों ने अपने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का कम से कम दसवाँ भाग गंवाया है। बीते दिनों का वैश्विक आर्थिक संकट तथा 1997-98 का एशियाई वित्तीय संकट देशों की अर्थव्यवस्था तथा उनकी आर्थिक संवृद्धि वित्तीय स्थिरता के महत्त्व को रेखांकित करते हैं। इन वित्तीय संकटों से अनेक देशों की आर्थिक संवृद्धि वित्तीय अस्थिरता के दबाव के कारण अत्यंत तेजी से गिरावट और मंदी के दौर में प्रवेश कर गई। इस प्रकार, किसी भी प्रभावी वित्तीय प्रणाली, जो किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए अनिवार्य होती है, की मजबूती बनाए रखने में वित्तीय स्थिरता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऐसी स्थिति में किसी भी देश के लिए विकास के अंतिम उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण लक्ष्य वित्तीय स्थिरता बनाए रखना होता है। इस प्रकार, आर्थिक संदर्भ में वित्तीय स्थिरता का अर्थ आर्थिक संवृद्धि कहा जा सकता है क्योंकि वित्तीय प्रणाली और बैंकिंग प्रणाली की मजबूती और किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास का सीधा संबंध वित्तीय स्थिरता से होता है। दूसरे शब्दों में, आर्थिक संवृद्धि की मुख्य आधारशिला उस अर्थव्यवस्था विशेष की वित्तीय स्थिरता ही होती है।

○○○

लेनदेन का अनुवर्तन और संदेहास्पद लेनदेन रिपोर्ट

विगत कुछ वर्षों से धनशोधन की समस्या काफी विकराल होती जा रही है। धनशोधन के लिए बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को साधन बनाने की प्रवृत्ति में काफी इज़ाफा हुआ है। धनशोधन की समस्या न सिर्फ देश के लिए वरन् समाज के लिए भी अत्यंत गंभीर है। कई बैंकों पर यह इल्ज़ाम लगाया जाता रहा है कि वे अथवा उनके कर्मचारी या तो धनशोधन को स्वयं प्रोत्साहित करते हैं या फिर धनशोधन को रोकने के लिए उपयुक्त प्रभावी कदम नहीं उठाते। विगत कुछ वर्षों में देश-विदेश के कई बैंकों पर इस प्रकार के अभियोग लगे हैं और कुछेक पर तो नियामकों द्वारा जुर्माना भी लगाया गया है। ऐसी परिस्थिति में बैंक कर्मियों के लिए आवश्यक हो जाता है कि वे गंभीरतापूर्वक अपने ग्राहकों के लेनदेन का अनुवर्तन करें और यदि धनशोधन की आशंका हो तो उसकी रिपोर्टिंग करें।

धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 देश में 01 जुलाई 2005 से प्रभावी है। धनशोधन निवारण नियंत्रण उपाय के नोडल अभिकरण के रूप में कार्य करने के लिए भारत सरकार ने 2004 में वित्तीय आसूचना एकक की स्थापना की जिसे वैधानिक स्वीकृति 01 जुलाई 2005 से मिली। वित्तीय आसूचना एकक संदेहास्पद वित्तीय लेनदेन के संबंध में सूचना प्राप्त करने, उसका विश्लेषण करने और सूचना को अन्य अभिकरणों को प्रदान करने के लिए



विनय कुमार पाठक

मुख्य प्रबंधक
भारतीय स्टेट बैंक

उत्तरदायी है। यह राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय आसूचना, जाँच एवं प्रवर्तन अभिकरणों के साथ धनशोधन एवं संबद्ध अपराधों की रोकथाम के लिए किए गए उपायों के सशक्तीकरण एवं समन्वयन के लिए भी उत्तरदायी है। यह एक स्वतंत्र निकाय है जो वित्त मंत्री के अधीन आर्थिक आसूचना परिषद् को रिपोर्ट करता है।

धनशोधन निवारण अधिनियम की धारा 3 के अनुसार, “जो कोई भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आपराधिक गतिविधि से प्राप्त धन को स्वच्छ रीति से अर्जित धन के रूप में दर्शाने में संलिप्त है या जानबूझकर इसमें सहायता करता है उसे धनशोधन का दोषी माना जाएगा।”

एक बैंककर्मी को धनशोधन गतिविधि को रोकने में सक्षम होने के लिए अपने बैंक के धनशोधन निवारण से संबद्ध नीतियों एवं प्रविधियों से परिचित होना चाहिए। ग्राहक कई तरीके से धनशोधन गतिविधि को अंजाम दे सकता है। वह आपराधिक गतिविधियों से अर्जित रकम को बैंक में नकद या अन्य तरीके से जमा कर सकता है। वह अंतरण का जाल बिछाकर धन के स्रोत की पहचान को कठिन बना सकता है। वह छोटी-छोटी रकम में नकद जमाकर सकता है और शेष बढ़ जाने पर उसे अन्यत्र जमा कर सकता है। वह अनेक खातों में रकम जमा कर कोष को बाहर प्रेषित कर सकता है। प्रत्येक बैंक कर्मचारी का यह दायित्व है कि वह संदिग्ध लेनदेनों की रिपोर्टिंग करे। संदेहास्पद लेनदेन की रिपोर्टिंग का यह अर्थ कदापि नहीं है कि रिपोर्ट करने वाले कर्मचारी ने ग्राहक की गोपनीयता के अधिकार का हनन किया है। पुनः बैंक इस प्रकार की रिपोर्टिंग के लिए किसी प्रकार की कानूनी कार्यवाही के लिए जिम्मेदार नहीं होता। धनशोधन निवारण अधिनियम की धारा 14 के अनुसार, “धनशोधन निवारण अधिनियम के तहत प्रदान की गई सूचना के लिए बैंकिंग कंपनी एवं वित्तीय संस्था तथा उसके अधिकारी के ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती।” यह सही है कि जब कोई लेनदेन

धनशोधन के दृष्टिकोण से संदेहास्पद प्रतीत हो तो इसकी सूचना वित्तीय आसूचना एकक को दी जानी चाहिए। परंतु यह निर्धारित करना कि कौन सा लेनदेन संदेहास्पद है जरा कठिन है। इसके लिए कोई निश्चित नियम नहीं बनाया जा सकता कि कौन-सा लेनदेन संदेहास्पद है और कौन सा नहीं। रकम के आधार पर तो यह बिल्कुल ही निर्धारित नहीं किया जा सकता है। एक ओर बड़ी से बड़ी रकम वाली लेनदेन भी संदेहास्पद नहीं हो सकती, तो दूसरी ओर छोटी सी रकम वाली लेनदेन भी संदेहास्पद हो सकती है। यदि लेनदेन ग्राहक के व्यवसाय और उसके प्रोफाइल के अनुरूप हो तो बड़ी रकम के लेनदेन भी संदेहास्पद नहीं हैं, जबकि ग्राहक के व्यवसाय और प्रोफाइल के अनुरूप न होने पर छोटी रकम भी संदेहास्पद हो सकती है। इसी प्रकार लेनदेन की संख्या के आधार पर भी इसे निर्धारित कर पाना आसान नहीं है। किसी ग्राहक के मामले में प्रतिदिन हजारों की संख्या में लेनदेन होना संदेहास्पद नहीं हो सकता है यदि वह उसके व्यवसाय की प्रकृति के अनुसार हो तो; दूसरी ओर किसी ग्राहक के खातों में दस-बीस की संख्या में लेनदेन होना भी अस्वाभाविक हो सकता है यदि वह उसके व्यवसाय की प्रकृति और संदेहास्पद विगत लेनदेन के आंकड़ों से मेल न खाता हो। ध्यान देने की बात यह है कि क्या लेनदेन की रकम आपराधिक गतिविधि से प्राप्त की गई प्रतीत हो रही है? साथ ही, वैध स्रोत से प्राप्त रकम भी उस स्थिति में संदेहास्पद लेनदेन की श्रेणी में आती है जब उसका प्रयोग आतंकी गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए हो।

संदेहास्पद लेनदेन उस लेनदेन को कहेंगे जिसकी प्रकृति से यह संदेह हो कि यह आपराधिक गतिविधियों से प्राप्त रकम हो सकती है या फिर जिसमें असामान्य तरीके से लेनदेन को एक खाते से दूसरे खाते में, दूसरे से तीसरे खाते में अंतरित कर उसे अनावश्यक रूप से जटिल बना दिया जाए। इसी प्रकार, यदि लेनदेन बेतुका प्रतीत हो जैसे एक खाते से दूसरे खाते में और पुनः उस दूसरे खाते से पहले खाते में रकम अंतरित करते रहना। इस प्रकार के लेनदेन को संदेहास्पद माना जा सकता है। इसी प्रकार, यदि यह संदेह करने का तर्कसंगत आधार हो कि लेनदेन आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए किया जा रहा है तो इसे संदेहास्पद लेनदेन की श्रेणी में रखा जा सकता है।

लेनदेन के अनुवर्तन का तात्पर्य इस बात से है कि ग्राहक के खातों में होने वाले लेनदेन का विश्लेषण कर यह निर्णय

लिया जा सके कि धनशोधन अथवा आतंकवाद के वित्तपोषण की दृष्टि से यह संदेहास्पद है या नहीं। यदि ग्राहक के खातों को सूक्ष्मतापूर्वक विश्लेषित किया जाए तभी असामान्य गतिविधियों की पहचान संभव है। यदि सामान्य से हटकर लेनदेन हुए हों और वे तर्कसंगत न लगें तो धनशोधन की संभावना हो सकती है।

लेनदेन का अनुवर्तन खातों में होने वाले लेनदेन का विश्लेषण कर इस उद्देश्य से तैयार की गई विशेष रिपोर्ट के ज़रिए या फिर धनशोधन सॉफ्टवेयर के द्वारा किया जा सकता है। यदि कोई लेनदेन ग्राहक के प्रोफाइल से मेल न खाता हो या फिर खाते के पूर्ववर्ती लेनदेन के सापेक्ष में असामान्य हो, तो इसे बैंक के प्रिंसिपल ऑफिसर को प्रस्तुत करना चाहिए ताकि इसके द्वारा उसका उन्नत विश्लेषण कर वित्तीय आसूचना एकक-भारत को प्रस्तुत किया जा सके।

वैसे तो संदेहास्पद लेनदेन से संबद्ध लक्षणों से युक्त संपूर्ण सूची बनाना संभव नहीं है परंतु कुछ उदाहरण निम्नवत् हैं:-

- लेनदेन, जो ग्राहक के सामान्य कार्यकलाप से मेल न खाता हो। उदाहरण के लिए, एक साधारण हैसियत वाले कृषक के खाते में बड़ी रकम का नकद जमा किया जाना।
- ग्राहक के ज्ञात प्रोफाइल से लेनदेन का आकार और आवृत्ति मेल न खाता हो। उदाहरणार्थ, किसी वेतनभोगी के खाते में उसके वेतन की तुलना में कई गुना रकम का नकद या अन्य तरीके से रकम जमा होना; वेतनधारी के खाते में माह में एक बार वेतन या फिर कुछेक भत्तों का पुनः जमा होना स्वभाविक है, परंतु बार-बार रकम जमा होना संदेहास्पद हो सकता है।
- लेनदेन के जटिल जाल द्वारा स्रोत को छिपाने की कोशिश। उदाहरण के लिए, खाते से रकम को दूसरे खाते, दूसरे बैंक के खाते, अन्य वित्तीय संस्था के खाते में अंतरित कर पुनःपुनः इस प्रकार का अंतरण।
- अनेक खातों को रखना और इन खातों में लेनदेन अंतरित करते रहना। उदाहरण के लिए, यदि एक व्यक्ति अनेक खाते रखता है और सभी खाते में छोटी-छोटी रकम जमा करता है और फिर सभी खातों से रकम किसी अन्य खाता में अंतरित कर देता है।
- किसी नियम के द्वारा निर्धारित सीमा से लेनदेन की रकम को कम रखना। उदाहरण के लिए, आयकर विभाग द्वारा निर्धारित

रकम से ठीक कम रकम के ड्राफ्ट आदि बहुत संख्या में बनवाना ताकि पैन नंबर न देना पड़े। इसी प्रकार दस लाख रुपये से कम का नकदी लेनदेन, ताकि कैश ट्रेंज़ैक्शन रिपोर्ट से बचा जा सके।

- ऐसे लेनदेन जिनका कोई आर्थिक औचित्य न हो। यदि एक खाते से दूसरे खाते में रकम जमाकर पुनः उस खाते में नकद जमा किया जाए तो इसका कोई औचित्य नज़र नहीं आता। इसी प्रकार किसी खाते में नकद जमाकर तुरंत आहरण कर लिया जाए।
- किसी खाते के लेनदेनों की संख्या में अचानक वृद्धि। उदाहरण के लिए, यदि किसी खाते में छोटी रकम के लेनदेन होते हों पर अचानक से बड़ी रकम के लेनदेन होने लगे या फिर यदि किसी खाते में माह में दो चार लेनदेन होते हों और एकाएक सौ दो सौ लेनदेन होने लगे तो मामला संदेहास्पद हो सकता है।
- निष्क्रिय खातों में बड़ी रकम के लेनदेन। कई बार निष्क्रिय खातों के माध्यम से धनशोधन के कार्य को अंजाम दिया जा सकता है। अतः ऐसे खातों में बड़े लेनदेन होने पर इन पर नज़र रखनी चाहिए।

- नए खाते में बड़ी रकम के लेनदेन। इन पर नज़र रखना आवश्यक होता है। यदि इनमें कोई लेनदेन संदेहास्पद प्रतीत हो तो उसकी रिपोर्टिंग की जानी चाहिए।
- कॉरपोरेट खातों में बार-बार नकद जमा/निकासी संदेहास्पद हो सकता है क्योंकि आम तौर पर इन खातों में लेनदेन अंतरण के द्वारा होता है, रोकड़ में नहीं।
- किसी खाते में सिर्फ जमा होते रहना और दैनिक खर्चों के लिए भी रकम का न निकलना संदेहास्पद हो सकता है।
- व्यवसाय के अनुरूप न होने के बाद भी देश के विभिन्न भागों से नकद जमा होना और एटीएम से अन्य स्थान से तत्क्षण निकासी होना भी संदेहास्पद लेनदेन का उदाहरण हो सकता है।

इस प्रकार, लेनदेन का संदेहास्पद होना या न होना स्थिति विशेष पर निर्भर करता है परंतु संदेहास्पद पाए जाने पर इसकी रिपोर्टिंग बैंक के प्रिंसिपल ऑफिसर को की जानी चाहिए ताकि उसके द्वारा आगे वित्तीय आसूचना एकक को रिपोर्टिंग की जा सके।

○○○

योजनावार जीडीपी संवृद्धि

अवधि	पंचवर्षीय योजना	दर (प्रतिशत में)
1951-56	पहली	3.6
1956-61	दूसरी	4.2
1961-66	तीसरी	2.8
1969-74	चौथी	3.3
1974-79	पांचवीं	4.7
1980-85	छठी	5.7
1985-90	सातवीं	5.8
1992-97	आठवीं	6.5
1997-02	नौवीं	5.5
2002-07	दसवीं	7.8
2007-12	ग्यारहवीं	7.9
2012-17*	बारहवीं	8.0

* योजना आयोग द्वारा किया गया पूर्वानुमान

नोट : वर्ष 1966 से 1969 के दौरान वार्षिक योजनाएं लागू थीं। वर्ष 1979 से 1980 तथा 1990 से 1992 तक की अवधियों में कोई पंचवर्षीय योजना विद्यमान नहीं थी। 1951 से 1956 तक की अवधि से तात्पर्य है अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक की अवधि। यही अवधि चार्ट में बताई गई अन्य अवधियों पर भी लागू है।

बिज़नेस स्टैंडर्ड समाचार पत्र (अंग्रेज़ी) के 4 मई 2014 अंक में प्रकाशित समाचार लेख से साभार।

मूल स्रोत: योजना आयोग

वित्तीय शिक्षण – वर्तमान परिदृश्य

वित्तीय शिक्षण क्या है ?

आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने वित्तीय शिक्षण को इस प्रकार परिभाषित किया है - “एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा वित्तीय उपभोक्ता/निवेशकर्ता वित्तीय उत्पादों, अवधारणाओं एवं जोखिमों के बारे में अपनी समझ को समुन्नत करते हैं और जानकारी, निर्देश एवं/अथवा वस्तुनिष्ठ सुझाव के जरिए दक्षता एवं आत्मविश्वास का विकास करते हैं, जो उन्हें वित्तीय जोखिमों तथा अवसरों के बारे में अधिक जागरूक बनाते हैं, इनकी मदद से वे अपने विकल्पों का चयन समझ बूझकर करते हैं, उन्हें यह पता होता है कि मदद के लिए कहां जाना चाहिए और अपनी समृद्धि बढ़ाने हेतु सक्षम कदम कैसे उठाए जा सकते हैं।”

आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) की एक कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए 22 मार्च 2010 को भारतीय रिज़र्व बैंक के तत्कालीन गवर्नर डॉ. सुब्बाराव जी ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात कही कि यदि अमेरिका के लोग वित्तीय रूप से ज्यादा ‘साक्षर’ रहे होते तो शायद सब प्राइम संकट से बचा जा सकता था। भारत ने 2004-2008 की अवधि में वैश्विक संकट की वित्तीय बाधा आने से पूर्व ही औसत 9 प्रतिशत की संवृद्धि दर हासिल कर ली थी। इस विकास को संभव बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अर्थव्यवस्था में बढ़ी हुई बचत की थी जो



सर्वज्ञ शेखर गुप्ता

वरिष्ठ प्रबंधक

क्षेत्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण महाविद्यालय
केनरा बैंक

वैश्विक वित्तीय संकट प्रारंभ होने से पूर्व 2007-2008 में 36 प्रतिशत की ऊंचाई तक जा पहुँची थी। हमारे देश ने अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संकट का दृढ़तापूर्वक मुकाबला इसीलिए कर लिया क्योंकि हमारी ग्रामीण जनता इतनी वित्तीय शिक्षित तो थी कि बचत करनी चाहिए। हमारे पूर्वज बच्चों को बचत करने की शिक्षा जरूर देते थे। इनमें महिलाओं व बच्चों की मुख्य भूमिका होती थी।

वित्तीय समावेशन की सार्थकता के लिए हमें वित्तीय सेवाओं के दायरे को समाज के सभी हिस्सों और देश के सभी क्षेत्रों तक सार्थक रूप से पहुँचाना होगा। विशेषकर आर्थिक पिरामिड के सबसे निचले स्तर पर मौजूद लोगों तक पहुँचाना होगा। हमारे देश में 60 प्रतिशत से अधिक श्रमिक अपनी बचत का पैसा घरों में रखते हैं और भारी ब्याज दरों पर साहूकारों से कर्ज लेते हैं। वित्तीय समावेशन का तात्पर्य केवल वित्तीय जानकारियां प्रदान करना ही नहीं है वरन् उनकी आदत, स्वभाव को बदलने से भी है। जब खरीदने वाला तमाम उपलब्ध वित्तीय उत्पादों के बारे में जानेगा, हर उत्पाद की कमियों व खूबियों का आकलन कर पाएगा, जो चाहता है उसके लिए मोल-तोल कर पाएगा तभी उसे लगेगा कि वह सक्षम व योग्य हो गया है। तब वह इतना जान सकेगा कि किसकी क्या जवाबदेही है और शिकायतों का निदान कैसे संभव है? यह सब वित्तीय शिक्षण से ही संभव है।

वित्तीय शिक्षण का अर्थशास्त्र

रिज़र्व बैंक “वित्तीय समावेशन” व “वित्तीय शिक्षण” को दो स्तंभ मानता है। वित्तीय शिक्षण से मांग का पक्ष सक्रिय होता है तो वित्तीय समावेशन आपूर्ति के पक्ष में कार्य करता है। यही अर्थशास्त्र है। इस दिशा में भारतीय रिज़र्व बैंक ने 3 बिंदु निर्धारित किए हैं-

1. हर जिले में अग्रणी बैंक (Lead Bank) से कहा गया है कि वह रोड मैप बनाए कि कैसे 2000 से ज्यादा आबादी वाले

हर गांव तक बैंकिंग आउटलेट के जरिए वित्तीय सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित की जाए। आवश्यक नहीं कि यह आउटलेट कोई बैंक शाखा ही हो। बैंकों को यह लक्ष्य हासिल करने के लिए टेक्नोलॉजी विकसित करनी पड़ेगी, कम लागत वाला बिज़नेस तलाशना होगा।

2. सभी घरेलू सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के बैंक (वाणिज्यिक बैंक) अपने बोर्ड से ऐसी वित्तीय समावेशन योजना अनुमोदित कराएं जो आगामी वर्षों में लागू हों।

3. फील्ड स्टाफ के कामकाज के आकलन के लिए वित्तीय साक्षरता और वित्तीय समावेशन को मानदंड बनाएं।

भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों की गंभीरता को देखते हुए वाणिज्यिक बैंकों व वित्तीय संस्थाओं ने वित्तीय समावेशन अभियान की शुरुआत कर दी है और लोगों तक जुड़ने के लिए भी अभियान प्रारंभ कर दिए हैं। शिविर लगाकर लोगों को बैंकिंग कार्यप्रणाली की जानकारी दी जा रही है। घर-घर जाकर उन्हें समझाया जा रहा है व खाते खोलकर बैंकों से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। ऐसी योजनाएं बनाई गई हैं कि गरीब व कमजोर वर्ग के लोगों के खाते बहुत कम औपचारिकता और कम से कम रुपये, यहां तक कि जीरो बैलेंस पर खोले जाएं, उन्हें बिना किसी ज्यादा कागजी कार्रवाई के ऋण प्रदान किए जाएं। विज्ञापनों, बैनरों व पोस्टरों के माध्यम से लोगों को समझाया जा रहा है कि पैन कार्ड क्या है एवं इसके लाभ क्या हैं। नकली नोटों की पहचान कैसे की जाए, चेक क्या है, ड्राफ्ट क्या है, आरटीजीएस, एनईएफटी, एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जमा योजनाएं, ऋण योजनाएं, बीमा योजनाएं, निवेश योजनाएं, आदि-आदि सभी के बारे में उपभोक्ताओं को छोटी-बड़ी जानकारी प्रदान की जा रही है। जिस वर्ग के लोग हैं उनके समूहों से संपर्क करके कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं।

एक तथ्य और भी है - लोगों को वित्तीय शिक्षण प्रदान करने की शुरुआत तो हो चुकी है लेकिन लोगों का भी दायित्व है कि वे दूसरों को भी जानकारी प्रदान करें। विशेष रूप से अपने परिवार के अन्य सदस्यों को और उनमें भी खास तौर से बच्चों को। प्रायः माता-पिता को यह शिकायत रहती है कि उनका बच्चा उनसे आवश्यकता से अधिक धन की मांग करता रहता है। वह ऐसे खिलौने, कम्प्यूटर, वीडियोगेम, लैपटॉप या साइकिल, मोटर

साइकिल की मांग करता है जिसका खर्च वहन करना अपने बस की बात नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वह बच्चा वित्तीय रूप से शिक्षित नहीं है, उसे मालूम ही नहीं है कि आपका वेतन कितना है? आप किस मद में कितना खर्च करते हैं? आदि आदि। जैसे ही वह थोड़ा समझदार हो जाए, उसका बैंक में खाता खुलवाइए, एटीएम दिलवाइए, अपनी पे-स्लिप उसे पढ़वाइए, खर्चों वाली डायरी उसे दिखाइए। वह स्वयं समझ जाएगा और आपसे अनावश्यक मांग करना बंद कर देगा। इसीलिए सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक व अन्य वित्तीय संस्थाएं वित्तीय शिक्षण की शुरुआत विद्यालयों से कर रही हैं। अमेरिका में तो 3 ऐसे बैंक चल रहे हैं जिनका प्रबंधन छात्रों के ही पास है। इस प्रकार वे स्वयं तो वित्तीय शिक्षित हो ही रहे हैं, अन्य छात्रों को भी वित्तीय रूप से शिक्षित बना रहे हैं।

वित्तीय शिक्षण के लिए राष्ट्रीय रणनीति

भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय ने 16.07.2012 को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लागू की गई “वित्तीय शिक्षण” के लिए राष्ट्रीय रणनीति की जानकारी दी। 21वीं शताब्दी के पहले दशक में लोगों को वित्तीय रूप से शिक्षित करने की आवश्यकता को सभी ने स्वीकार किया। अधिकतर देश वित्तीय शिक्षा के लिए एकीकृत और समन्वित राष्ट्रीय रणनीति अपना रहे हैं। इस प्रकार राष्ट्रीय रणनीति का उद्देश्य वित्तीय दृष्टि से एक जागरूक और सशक्त भारत बनाना है। साथ ही, एक विशाल वित्तीय शिक्षा अभियान चलाना है जिससे आर्थिक खुशहाली के लिए लोगों को उपयुक्त वित्तीय सेवाओं के जरिए अपने धन का अधिक कारगर तरीके से प्रबंधन करने में मदद मिल सके। वित्तीय शिक्षण से शोषण करने वाली वित्तीय योजनाओं और साहूकारों द्वारा लिए जाने वाले अधिक ब्याज से भी लोगों को और समाज को बचाने में मदद मिलती है।

भारत में विशाल विविधता को देखते हुए हमें राष्ट्रीय रणनीति के अंतर्गत कई स्तरों पर काम करना होगा। राष्ट्रीय रणनीति का प्रारूप तैयार कर लिया गया है, जिसके उद्देश्य हैं-

1. वित्तीय सेवाओं, विभिन्न वित्तीय उत्पादों और उनकी विशेषताओं की जानकारी के लिए उपभोक्ताओं को जागरूक बनाना और शिक्षित करना।

2. जानकारी को व्यवहार में बदलने की वृत्तियों को विकसित करना।
3. वित्तीय सेवाओं के लाभार्थियों के रूप में उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों की जानकारी देना।

वित्तीय जगत में तेजी से हो रहे परिवर्तनों को देखते हुए रणनीतिक कार्य योजनाओं के जरिए राष्ट्रीय रणनीति को 5 वर्ष के अंदर लागू करने की व्यवस्था की गई है।

स्कूल पाठ्यक्रम में वित्तीय शिक्षा

सरकार का मानना है कि वित्तीय शिक्षा स्कूल से ही शुरू हो जानी चाहिए। लेकिन यह बात स्पष्ट रूप से समझनी होगी कि वित्तीय शिक्षा स्कूलों में पढ़ाए जाने के लिए अलग विषय नहीं होगा, इसे केवल स्कूल पाठ्यक्रम में उचित रूप से समावेशित करना होगा। उदाहरण के लिए स्कूलों में गणित के विषय में चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में समझाया जाता है कि एक व्यक्ति 'ए' दूसरे व्यक्ति 'बी' को कुछ वार्षिक ब्याज दर पर पैसा उधार देता है और उस पर चक्रवृद्धि ब्याज लगता है। इस अवसर का फायदा वित्तीय शिक्षा के लिए उठाया जा सकता है और लोगों को इस तरह समझाया जा सकता है कि एक कंपनी बैंक से पैसा उधार लेती है, या एक बैंक उपभोक्ता सामान्य निश्चित अवधि का जमा खाता खोलने के बजाय एक सामूहिक जमा खाता खोलता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड-सीबीएसई प्राथमिक स्तर से ऊपर वाली कक्षाओं के लिए स्कूल शिक्षा में समन्वित रूप से वित्तीय शिक्षा को शामिल करने के बारे में सिद्धांततः सहमत है और इस संबंध में विशेषज्ञों की एक समिति का भी गठन किया गया है।

वित्तीय शिक्षा के प्रचार में नियामकों की भूमिका

भारतीय रिज़र्व बैंक ने स्कूल और कॉलेज के छात्रों, महिलाओं, ग्रामीण और शहरी गरीबों, रक्षा सेनाओं के कर्मचारियों और वरिष्ठ नागरिकों सहित विभिन्न लक्षित समूहों को केंद्रीय बैंकों के बारे में और सामान्य बैंकिंग प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी देने के लिए 'प्रोजेक्ट फाइनेंशियल लिटरेसी' नाम से एक परियोजना शुरू की है। सेबी ने देश भर में अनुभवी और जानकार लोगों की एक सूची तैयार की है, जो विभिन्न

समूहों को बचतों, निवेश, वित्तीय आयोजन, बैंकिंग, बीमा, सेवानिवृत्ति के बाद धन के उपयोग की योजनाएं आदि जैसे विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी देने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन करते हैं। विभिन्न राज्यों में अब तक ऐसी 3,500 से अधिक कार्यशालाएं आयोजित की जा चुकी हैं, जिनसे लगभग 3 लाख लोग लाभ उठा चुके हैं।

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण पॉलिसी धारकों को अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में और विवादों को हल करने के तरीकों के बारे में रेडियो, टेलीविजन और समाचार पत्रों के माध्यम से अंग्रेजी, हिंदी तथा 11 अन्य भारतीय भाषाओं के जरिए सरल भाषा में संदेश और जानकारियां देता है।

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण आम जनता को सामाजिक सुरक्षा संबंधी संदेश देता है। इस प्राधिकरण ने पेंशन के बारे में आम तौर पर पूछे जाने वाले प्रश्नों की सूची को अपनी वेबसाइट पर डाला है तथा समाज के वंचित वर्गों को पेंशन सेवाओं का लाभ दिलाने के लिए यह विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के साथ सहयोग कर रहा है। इसी प्रकार वाणिज्यिक बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, कमीशन एजेंसियों और म्यूच्युअल फंडों ने भी वित्तीय शिक्षा के बारे में प्रयास किए हैं। इसके लिए उन्होंने सेमिनार आयोजित किए हैं और समाचार पत्रों में अभियान चलाए हैं तथा क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जैसी जानकारियां उपलब्ध कराई हैं।

संस्थागत प्रबंधों के अंतर्गत राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा संस्थान की स्थापना की गई है, जिसके सदस्यों में विभिन्न नियामकों के प्रतिनिधि हैं। इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों के लिए वित्तीय शिक्षा की सामग्री तैयार करना है। यह संस्थान खास तौर पर वित्तीय शिक्षा के लिए एक वेबसाइट भी तैयार करेगा।

वित्तीय साक्षरता और ऋण परामर्श केंद्र (एफएलसीसी)

4 फरवरी 2009 को भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय साक्षरता और ऋण परामर्श केंद्र (एफएलसीसी) गठित करने संबंधी मॉडल योजना के संबंध में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रभावी दिशा-निर्देश जारी किए थे।

इन दिशा-निर्देशों का जून 2012 में भारतीय रिज़र्व बैंक ने मूल्यांकन किया। 30 एफएलसीसी के राष्ट्रव्यापी नमूना सर्वेक्षण

के माध्यम से एफएलसीसी के कार्य का अध्ययन किया गया। अध्ययन के निष्कर्षों में वित्तीय साक्षरता प्रयासों को वांछित ढंग से बढ़ाने में मॉडल योजना की परिसीमाएं इंगित की गई हैं। उक्त अध्ययन के आधार पर कुछ नए संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए गए जो इस प्रकार हैं-

1. जहाँ विद्यमान एफएलसीसी वित्तीय साक्षरता पर नवीकृत फोकस के साथ कार्य करना जारी रखेंगे, वहीं अग्रणी बैंकों को सूचित किया गया है कि वे प्रत्येक अग्रणी जिला प्रबंधक (एलडीएम) कार्यालय में समयबद्ध तरीके से वित्तीय साक्षरता केंद्र (एफएलसी) खोलें। इससे देश भर के सभी जिलों में 630 से अधिक एफएलसी खोले जाएंगे। उक्त के अलावा, बैंक अन्य स्थानों पर भी आवश्यकता आधारित एफएलसी गठित करने पर विचार कर सकते हैं। साथ ही, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की सभी ग्रामीण शाखाओं द्वारा भी वित्तीय साक्षरता गतिविधियां चलाई जाएंगी।

2. वित्तीय साक्षरता केंद्र (एफएलसी) सरल संदेश जैसे बचत क्यों करें, अपने जीवन में आरंभ से ही बचत क्यों करें, क्यों बैंक में बचत करें, क्यों बैंकों से उधार लें, जहाँ तक संभव हो सके क्यों आय उत्पादन गतिविधियों के लिए उधार लें, क्यों समय पर चुकौती करें, क्यों स्वयं का बीमा करें, क्यों अपनी सेवानिवृत्ति के लिए बचत करें आदि के रूप में वित्तीय साक्षरता प्रदान करेंगे। एफएलसी तथा बैंकों की ग्रामीण शाखाएँ कम से कम एक माह में आर्थिक रूप से वंचित जनता पर ध्यान केंद्रित करते हुए बाहरी वित्तीय साक्षरता कैम्पों का भी आयोजन करेंगे। इस प्रयोजनार्थ, अनुभवी एनजीओ की सहायता ली जा सकती है। चूंकि एफएलसी का ध्यान वित्तीय साक्षरता के सरल संदेशों पर केंद्रित है, अतः दुर्विक्रय की कोई गुंजाइश नहीं होगी। तथापि, एलडीएम कार्यालय और बैंकों की ग्रामीण शाखाओं में इस प्रयोजनार्थ विशेष रूप से पहचान किए गए अधिकारी की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करने की होगी कि वित्तीय उत्पादों और सेवाओं का गलत विक्रय नहीं हो रहा है।

3. उक्त दिशा-निर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुगम बनाने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक मानक वित्तीय साक्षरता सामग्री/प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करने की प्रक्रिया में है जो देश भर में बुनियादी बैंकिंग की जानकारी और जागरूकता उपलब्ध कराने

हेतु बैंकों को वितरित किए जाएंगे। यदि आवश्यक हो तो, बैंक चार बुनियादी बैंकिंग उत्पादों अर्थात् (i) बचत व ओवरड्राफ्ट खाता, (ii) शुद्ध बचत उत्पाद, आदर्शतः एक आवर्ती जमा योजना, (iii) इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफर तथा अन्य प्रेषण हेतु उत्पाद तथा (iv) सामान्य-प्रयोजन क्रेडिट कार्ड (जीसीसी) या किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के रूप में उद्यमी क्रेडिट पर जानकारी प्रसारित करने हेतु कहानियाँ और सचित्र अभिवेदनों का प्रयोग करते हुए देशी भाषा में उक्त व्याख्यात्मक विषयों पर सामग्री भी तैयार कर सकते हैं।

4. एसएलबीसी/यूटीएलबीसी अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले बैंकों द्वारा किए गए वित्तीय साक्षरता प्रयासों की एसएलबीसी/यूटीएलबीसी बैठकों में कार्य-सूची की मद के रूप में समीक्षा करेंगे तथा एफएलसी के कार्य पर एक त्रैमासिक रिपोर्ट प्रत्येक तिमाही के अंत के बाद 20 दिनों के भीतर भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रस्तुत करेंगे।

उपसंहार

हमारे देश में साक्षरता व शिक्षा को अत्यधिक महत्त्व प्रदान किया जा रहा है। शिक्षा का सभी को अधिकार है। यह हमारी सरकार के मूलमंत्रों में से एक है। नियम, अधिनियम बनाकर भी बच्चों को शिक्षा प्रदान की जा रही है।

इसके अपेक्षित परिणाम भी प्राप्त हो रहे हैं। 1991 की जनगणना में भारत में 52.21 प्रतिशत लोग साक्षर थे। 2001 की जनगणना में यह प्रतिशत बढ़कर 64.84 और 2011 में 74.04 हो गया। राष्ट्रीय साक्षरता नीति उपयोगी सिद्ध हो रही है। परंतु लोगों को केवल साक्षर करना ही काफी नहीं है। उन्हें वित्तीय साक्षर भी बनाना है। यही वित्तीय समावेशन का मूल मंत्र है।

वित्तीय समावेशन व साक्षरता की शुरुआत व्यक्ति अर्थात् उपभोक्ता से ही होनी चाहिए और हो भी चुकी है। जो शिक्षित है, गरीबी रेखा से ऊपर है, शहरी है उन्हें भी वित्तीय साक्षरता की आवश्यकता है। समय परिवर्तनशील है। आशाओं एवं अपेक्षाओं के अनुरूप दिन-प्रतिदिन नई नीतियां बन रही हैं, नई तकनीकें आ रही हैं जिनकी जानकारी शिक्षित और अभिजात्य वर्ग को भी चाहिए। अंतर केवल इतना है कि यह वर्ग किसी न किसी प्रकार बैंकिंग व वित्तीय सेवाओं से जुड़ा हुआ है।

वित्तीय समावेशन की शुरुआत शहरों के उन 40 प्रतिशत व ग्रामीण क्षेत्रों के उन 60 प्रतिशत लोगों से करनी होगी जो अभी बैंकिंग व वित्तीय सेवाओं से विमुख हैं। वित्तीय समावेशन से तभी उनका आर्थिक विकास होगा जब साहूकारों के चंगुल से उन्हें मुक्ति मिलेगी, उनकी गरीबी दूर होगी एवं भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। संवृद्धि दर और बचत दर छलांग लगाकर ऊँचाई तक पहुँचेगी और सरकार की सूर्य की भांति प्रकाशित जन कल्याणकारी योजनाओं की किरणें हर घर के अंदर पहुंचकर आर्थिक अंधकार को विलुप्त कर देंगी।

‘सारी शिक्षाओं पर भारी वित्तीय शिक्षा हमारी
हर घर तक पहुंचेगी इससे वित्त-बैंक की जानकारी’

- स्वरचित

वित्तीय शिक्षा में भारतीय महिलाएं चीन और जापान से आगे हैं। थाई महिलाएं 73.9 अंकों के साथ सबसे आगे हैं, जबकि भारतीय महिलाएं 61.4 और चीनी महिलाएं 60.1 अंक लेकर 14 देशों की सूची में क्रमशः 11वें और 12वें स्थान पर हैं।

- मास्टरकार्ड फाइनेंशियल लिटरसी इंडेक्स-01 मई 2011

वित्तीय शिक्षा के क्षेत्र में 28 देशों की सूची में भारत का 23वां स्थान है।

- वीसा ग्लोबल फाइनेंशियल लिटरसी बैरोमीटर सर्वे- 18 जून 2012



सारणी- भारत में वित्तीय समावेशन योजना की प्रगति - ‘बैंक’

क्र.सं.	विवरण	मार्च 2010	मार्च 2011	मार्च 2012	जून 2012	प्रगति 2011-12
1	शाखाएं	85457	91145	99242	99771	8097
2	ग्रामीण शाखाएं	33433	34811	37471	37635	2660
3	2000 से ज्यादा जनसंख्या वाले गांव	37791	66447	112130	113173	45683
4	2000 से कम जनसंख्या वाले गांव	29903	49761	69623	74855	19862
5	ब्रिच-मोटर शाखाएं	33378	34811	37471	37635	2660
6	बी.सी. के माध्यम से	34174	80802	141136	147167	60334
7	अन्य माध्यमों से	142	595	3146	3226	2551
8	कुल बैंकिंग आउटलेट	67694	116208	181753	188028	65545
9	नो फ्रिल खाते (मिलियन)	73.45	104.76	138.50	147.94	33.74
10	इन खातों में धनराशि (बिलियन)	55.02	76.12	120.41	119.35	44.29
11	नो फ्रिल खाते-ओ.डी. (मिलियन)	0.18	0.61	2.71	2.97	2.10
12	इन खातों में धनराशि (बिलियन)	0.10	0.26	1.08	1.21	0.82
13	केसीसी (मिलियन)	24.31	27.11	30.23	30.76	3.12
14	इनमें धनराशि (बिलियन)	1240.07	1600.05	2068.39	2094.00	468.34
15	जीसीसी (मिलियन)	1.39	1.70	2.11	2.29	0.41
16	इनमें धनराशि (बिलियन)	35.11	35.07	41.84	43.21	6.77
17	बीसी के माध्यम से खाते (आईसीटी) (मिलियन)	13.26	31.65	57.08	62.77	25.44
18	इनमें लेन-देन (मिलियन)	26.52	84.16	141.09	45.96	141.09

स्रोत- 5 नवंबर 2012 को भारतीय रिज़र्व बैंक के भूतपूर्व उप गवर्नर डॉ. के.सी. चक्रवर्ती द्वारा क्वालालम्पुर में आयोजित एक कार्यशाला में दिए गए मुख्य भाषण से उद्धृत।

बीमा विपणन एवं बैंक

आधुनिक अर्थव्यवस्था में बीमा का महत्वपूर्ण स्थान है। यह जहां बचत की आदत को प्रोत्साहन देता है वहीं दूसरी ओर लोगों के जीवन एवं उनकी संपत्तियों को सुरक्षा प्रदान करने में भी सहायक है। किसी देश के मूलभूत ढांचे के विकास एवं विस्तार के लिए लंबी अवधि के निवेश की आवश्यकता होती है। बीमा कंपनियां इस प्रकार के दीर्घकालीन निवेश में प्रमुख हिस्सेदार के रूप में अपनी अहम् भूमिका का निर्वहन करती हैं। बीमा का नकदी प्रवाह सतत है जबकि दावों के निपटान आदि के लिए भुगतान विलंबित आधार पर किया जाता है। यही कारण है कि बीमा कंपनियों का दीर्घकालीन अवधि के ढांचागत परियोजनाओं में निवेश अन्य निवेशकों की तुलना में कहीं अधिक है।

आज विश्व में जबरदस्त प्रतिस्पर्धा का माहौल है। अतः किसी भी व्यवसाय के लिए बाजार में अपने को बचाए रखने एवं अपने सामान की बिक्री में विस्तार के लिए विपणन की योजना विशेष महत्वपूर्ण है। बीमा कंपनियों या अन्य वित्तीय सेवाओं के प्रदाता द्वारा ऐसे उत्पाद की बिक्री या सेवा प्रदान की जाती है, जिसका कोई मूर्त रूप नहीं है। ऐसे में इन उत्पादों



ए.के. गुप्त

संकाय सदस्य

क्षेत्रीय स्टाफ कालेज

पंजाब नेशनल बैंक, लखनऊ

की बिक्री मूर्त उत्पादों के सापेक्ष करना निश्चित रूप से बहुत कठिन कार्य है। बीमा उत्पाद भी अमूर्त वित्तीय उत्पादों में से एक हैं। बीमा उत्पादों के संबंध में आम जनता को बहुत कम जानकारी या आधी-अधूरी जानकारी ही उपलब्ध है। बीमा उत्पाद, भविष्य की आवश्यकताओं और वह भी जोखिम संबंधित उत्पाद, जिनकी आज कोई आवश्यकता नहीं है, के बारे में बात करते हैं। यह जोखिम भविष्य में घटित होगा भी कि नहीं, इसके बारे में भी अनिश्चितता है। लोग भविष्य की आवश्यकताओं के सापेक्ष वर्तमान की आवश्यकताओं को हमेशा अधिक महत्व प्रदान करते हैं। ऐसे में बीमा उत्पादों को बेचना, एक अहसास, एक भय को बेचने के समान है, जिसकी बिक्री एवं विपणन कितना कठिन हो सकता है, इसका अनुभव कोई भी कर सकता है।

बीमा विपणन – एक आकलन

भारत में बीमा बेचा जाता है, न कि खरीदा जाता है। भारत में बीमा उत्पाद 20-25 वर्षों पहले तक कुछ वर्ग विशेष तक ही, विशेषकर धनाढ्य वर्ग, संपन्न लोगों तक ही सीमित था। बीमा एजेंट की ऐसे बीमा उत्पादों को बेचने में ज़्यादा रुचि थी, जिसमें उन्हें अधिकतम कमीशन बीमा कंपनियों से प्राप्त हो या फिर बीमा कंपनियों द्वारा उनके लिए निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति हो सके। ऐसे में बीमा एजेंट या कंपनियां अपने हितों का ध्यान सर्वोपरि रखती हैं।

वास्तविक बीमा विपणन इससे बिल्कुल हटकर है। यह एक ऐसी विधि या प्रक्रिया है, जहां बीमा ग्राहक को बीमा उत्पाद के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराया जाए। उसकी बीमा आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाए। बीमा ग्राहक, उपलब्ध जानकारी एवं अपनी आवश्यकताओं के आधार पर बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय लेने में सक्षम हो जाए।

इस प्रक्रिया में निम्नांकित तथ्य महत्वपूर्ण हैं-

- क) ग्राहक की बीमा आवश्यकताओं की सही पहचान।
- ख) ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार बीमा उत्पादों के संबंध में पूर्ण जानकारी।
- ग) विभिन्न उत्पादों में, आवश्यकता के अनुसार, सही उत्पाद का चुनाव।
- घ) बीमा विक्रय के उपरांत सेवा।

ग्राहक की संतुष्टि का आधार तभी संभव हो सकता है जब उत्पादकों द्वारा ग्राहक की जरूरतों का आकलन भली प्रकार से किया जाए और उसके अनुरूप ही इसे बेचा जाए।

बीमा वितरण के तरीके

वर्तमान में बीमा वितरण के अनेक तरीके या माध्यम उपलब्ध हैं। इनका विवरण निम्न प्रकार है:

- 1) कॉरपोरेट एजेंट : यह अनुबंध आधारित (टाईअप) चैनल है। इसमें बीमा कंपनी अपने उत्पाद की बिक्री के लिए कॉरपोरेट संस्थाओं से अनुबंध करती है। ऐसी कॉरपोरेट संस्थाओं में बैंक या अन्य कंपनियां हो सकती हैं जो अपने ग्राहकों एवं अन्यो को बीमा के उत्पादों को बेच सकें। वर्ष 2011 तक भारत में ऐसे कॉरपोरेट एजेंटों की संख्या 2,165 थी।
- 2) बैंक एश्योरेंस : बैंक के माध्यम से बीमा उत्पादों का बेचा जाना ही बैंक एश्योरेंस है। चूंकि बैंक और बीमा कंपनियों के लक्षित ग्राहक एक ही तरीके के होते हैं, अतः बैंक और बीमा कंपनी दोनों की ऊर्जा को इसमें लगाने से एक बड़ी ऊर्जा से बिक्री के बहुत अच्छे परिणाम को उत्पन्न किया जा सकता है। विशेष बात यह है कि बैंकों के पास बहुत अच्छा शाखाओं का जाल एवं ढांचा (इन्फ्रास्ट्रक्चर) उपलब्ध है, वहीं एक अच्छी बीमा कंपनी के पास भी इसकी उपलब्धता है। दोनों एक-दूसरे के उत्पादों को बेचने में सहायक हो सकते हैं और अपनी लागत को घटाते हुए, लाभ और बिक्री में अच्छा विस्तार कर सकते हैं।

- 3) खुदरा दुकानें (रिटेल स्टोर) : इसमें, उदाहरण के लिए डाकघर, पेट्रोल पंप, मेडिकल स्टोर चेन से अनुबंध (टाईअप) करके बीमा उत्पादों की बिक्री इन दुकानों के माध्यम से किया जाना सम्मिलित है। इसे ही रिटेल एश्योरेंस कहा जाता है।
- 4) व्यक्तिगत वित्तीय सलाहकार : भारत में इनकी संख्या न के बराबर है। ये ऐसे लोग हैं जो स्वयं स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं एवं अपनी स्वतंत्र सलाह वित्तीय मामलों में प्रदान करते हैं और इस कार्य के लिए ग्राहक से शुल्क ग्रहण करते हैं।
- 5) डाइरेक्ट मेल-टेली मार्केटिंग : सूचना प्रौद्योगिकी की क्रांति के साथ इनका प्रयोग विपणन के लिए किया जाना आज सामान्य बात है। विदेशों में यह कार्य तो बहुत पहले से ही हो रहा था। अब भारत में भी इसकी शुरुआत हो चुकी है। मोबाइल और ई-मेल द्वारा भेजे जा रहे संदेशों से सीधे ग्राहकों तक पहुंच बनाई जाती है और अपने उत्पादों की जानकारी देकर उन्हें उत्पाद खरीद के लिए प्रेरित किया जाता है।
- 6) कैरियर एजेंट : ये बीमा कंपनियों के द्वारा दिए जाने वाले कमीशन पर आधारित बीमा व्यवसाय के पूर्णकालिक एजेंट हैं।
- 7) विशेष सलाहकार : ये बीमा कंपनियों के प्रशिक्षित सलाहकार हैं, जो कॉरपोरेट ग्राहकों एवं उच्च वित्तीय साधनों वाले ग्राहकों को बीमा पॉलिसी बेचते हैं। इन्हें बीमा कंपनियों से वेतन एवं बिक्री के आधार पर कमीशन दोनों ही मिलता है।
- 8) वेतन भोगी एजेंट : इन्हें बीमा कंपनी निर्धारित वेतन देती है। साथ ही, बिक्री के आधार पर इन्सेन्टिव भी प्रदान करती है। यह काफी हद तक कैरियर एजेंट की भांति है।

बीमा और विपणन

बीमा बेचने वाले के प्रति ग्राहक के विश्वास पर बिकता है। इस विश्वास की महत्वपूर्ण कड़ी है: ग्राहक और बीमा विक्रेता के आपसी संबंध। संबंधों की प्रगाढ़ता दूसरे के हितों

के सतत संरक्षण एवं संवर्धन से उत्पन्न होती है। बीमा व्यवसाय में यह उचित उत्पादों की जानकारी, उत्पाद के सही चुनाव में सहायता, बिक्री से पूर्व या इसके बाद उचित सलाह एवं बिक्री उपरांत सुचारु एवं सम्यक् सेवा पर आधारित है।

एक विक्रेता केवल विक्रेता ही नहीं होता। उसमें एक अच्छे सलाहकार के गुण निहित होने ही चाहिए। दोनों गुणों के सामंजस्य से वह सफल विक्रेता कहलाता है। इसी से वह अपने ग्राहकों के साथ दीर्घकालिक व मधुर संबंधों को स्थापित करते हुए विश्वास की अटूट दीवार का निर्माण करने में सफल हो पाता है। यही विश्वास पुनः क्रेता को उसी विक्रेता के पास आने व नए-नए उत्पादों का क्रय करने के लिए विवश करता है।

बीमा विक्रय के आंकड़ों पर हम अगर नज़र डालें, तो हमें पता चलेगा कि उपर्युक्त विपणन के अनेकों माध्यमों में से व्यक्तिगत एजेंटों के माध्यम से ही बीमा उत्पादों की बिक्री सबसे अधिक है। जो बीमा कंपनियां ऐसे व्यक्तिगत एजेंट बनाती हैं उनमें ज्यादातर एक या इससे कुछ अधिक वर्षों तक ही अपना काम एजेंट के रूप में कर पाते हैं और इसके बाद निर्धारित बीमा व्यवसाय न जुटा पाने के कारण उनकी एजेंसियां निरस्त हो जाती हैं। इसका मुख्य कारण इन एजेंटों का अपने हित को ध्यान में रखकर बीमा उत्पादों को बेचना एवं उनमें एक अच्छे विक्रेता एवं सच्चे सलाहकार के गुणों का अभाव है।

एक सलाहकार में अपने विषय संबंधी विशेषज्ञता होना आवश्यक है। विशेषज्ञता का आशय है कि अपने उत्पादों की संपूर्ण जानकारी के साथ अपने प्रतिस्पर्धी के उत्पादों, उनकी विशेषताओं और कमियों की पूर्ण जानकारी और उसके साथ ग्राहक की आवश्यकताओं, उसकी आय के साधनों, अपेक्षाओं की भी सम्यक् जानकारी। इसके लिए ज्ञान के साथ अनुभव की भी आवश्यकता है।

बीमा उत्पादों की बिक्री एवं बैंक

आज प्रतिस्पर्धा के कारण बैंक और बीमा कंपनियों के पास अपनी-अपनी लाभप्रदता को बचाने एवं बढ़ाने की बड़ी चुनौतियां हैं। बैंकों के घटते हुए मार्जिन ने उन्हें निधि आधारित, अपने ग्राहकों को दिए जाने वाले ऋणों से होने वाली पारंपरिक आय के अतिरिक्त आय के अन्य विकल्पों के बारे में सोचने

को विवश किया है। इसलिए आज बैंक अपनी आय के इस स्रोत के अतिरिक्त गैर-निधि आधारित व्यवसाय जैसे बीमा उत्पादों की बिक्री, पारस्परिक निधि (म्यूच्युअल फंड) आदि उत्पादों को बेचकर कमीशन आधारित अपनी आय को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी प्रकार बीमा कंपनियों के सम्मुख कमजोर नेटवर्क, इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं बढ़ती लागत की समस्या है। बीमा कंपनियां बैंक के ग्राहकों के विस्तृत आधार, उनके बने-बनाए नेटवर्क का लाभ उठाकर अपनी लागत में कमी एवं बिक्री में विस्तार का लाभ उठाना चाहती हैं, दूसरी ओर बैंक कमीशन से मिलने वाली आय, जिसमें किसी भी प्रकार से उनकी अपनी निधि की हानि को जोखिम नहीं है, से अपनी आय में विस्तार से लाभ बढ़ाने के उत्सुक हैं। दोनों के लिए एक सुअवसर है और दोनों की ही इसमें जीत की स्थिति है। बीमा कंपनियों के बैंकों के साथ जो विभिन्न टाईअप दिखाई पड़ रहे हैं या फिर बैंकों का बीमा व्यवसाय में स्वतः अपनी सहायक कंपनी के माध्यम से उतरना - इसी का परिणाम है।

लेकिन गौरतलब है कि बैंकों द्वारा बेची जाने वाली बीमा पॉलिसियों में से अधिकांश पॉलिसियों से उनके बीमा ग्राहक खुश नहीं हैं। इसके कारण और उपायों को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है।

क) बैंक स्टाफ अपने मूल बैंकिंग व्यवसाय में अपने अनुभवों के आधार पर पारंगत हैं लेकिन उन्हें बीमा व्यवसाय और इसके उत्पाद का पूर्ण एवं समुचित ज्ञान नहीं है। ऐसे में अपनी आय को बढ़ाने एवं लक्ष्यों की आपूर्ति के लिए वे अपने बैंकिंग ग्राहकों से अपने संबंधों का प्रयोग कर उन्हें बीमा पॉलिसियां या उत्पाद बेच रहे हैं। इससे बैंक के लक्ष्यों की पूर्ति तो हो सकती है परंतु ग्राहकों की आवश्यकताओं की पूर्ति, उनकी वास्तविक आवश्यकताओं की अनदेखी की जा रही है। इस गड़बड़ बिक्री से ग्राहकों के मन में अपने बैंक के प्रति अभी तक संजोए हुए दृढ़ विश्वास में कमी आ सकती है और बैंक को अपने मूल व्यवसाय से होने वाले लाभों और व्यवसाय पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता।

ख) बैंकों को इस समस्या पर गंभीरतापूर्वक विचार करना एवं ध्यान देना होगा। ग्राहकों की पूर्ण संतुष्टि के लिए उन्हें अपने स्टाफ में से ऐसे स्टाफ को चिह्नित करना होगा जिनकी

अभिरुचि ऐसे उत्पादों की बिक्री एवं विपणन में हो। उन्हें विशेष रूप से प्रशिक्षित करना होगा। विशेषज्ञ बनाना होगा और अंत में एक बढ़िया सलाहकार के रूप में जब वह इस क्षेत्र में कार्य करेंगे, तो न केवल बैंकों के प्रति उनके ग्राहकों का विश्वास और भी अधिक मजबूत होगा बल्कि उनकी छवि ब्रैंड के रूप में स्थापित होगी।

ग) किसी भी नए कारोबार में प्रवेश करते ही उसकी ज्यादा समीक्षा एवं देखरेख की आवश्यकता होती है। बैंकों को बीमा व्यवसाय के लिए इस पहलू पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

अंत में ...

भारत में एक ऐसा समय था, जब बीमा एक बहुत छोटे वर्ग के लिए उपलब्ध उत्पाद माना जाता था। अधिकांशतः इस वर्ग के लोग भी बीमा पॉलिसियां आयकर की छूट के प्रावधान का लाभ उठाने के लिए ही खरीदते थे। संभवतः बहुत कम मामलों में इसे भविष्य की जोखिम सुरक्षा का पर्याय माना जाता था।

अब लोगों की आम जानकारी में बढ़ोतरी के साथ इस स्थिति में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। आज लोग यह अनुभव कर रहे हैं कि जीवन और संपत्ति के हर मामले में जोखिम निहित है और इसलिए इसकी सुरक्षा एक मूलभूत आवश्यकता है। बढ़ते हुए व्यवसाय, व्यवसाय करने के तरीके, उलझी हुई

प्रक्रियाओं एवं नए आविष्कारों और उनसे उत्पन्न हुए उत्पादों से जहां एक ओर हमारी जिंदगी में सरलता एवं सुविधा उत्पन्न हुई है, वहीं इससे उत्पन्न होने वाले खतरे या जोखिम भी उतने ही भयावह हैं। ऐसे खतरे पलभर में हमारा सब बना-बनाया खेल बिगाड़ सकने में भी सक्षम हैं। अतः बीमा यानि जोखिम से सुरक्षा का एक तरीका भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसका सीधा मतलब यह है कि जोखिम से सुरक्षा सभी की आवश्यकता है, फिर वह गरीब हो या अमीर।

भारत में एक बहुत बड़े तबके तक बीमा की पहुंच ही नहीं है, जबकि उसकी आवश्यकता है। यह एक ऐसी छुपी आवश्यकता है, जिसके बारे में व्यक्ति को पता ही नहीं है। बीमा व्यवसाय के लिए एक बहुत विस्तृत बाजार अछूता है जिसके उचित रूप से दोहन से बैंक, बीमा कंपनियां एवं वास्तविक जनता के सदस्य सभी को फायदा है। ऐसे में बैंकों, बीमा कंपनियों के लाभ एवं व्यवसाय विस्तार का बहुत बड़ा अवसर स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है, जिसका लाभ दोनों संस्थाएं यदि मिलकर उठाएं तो निश्चित रूप से छलांग लगाने की भांति हो सकता है। लेकिन इस आपाधापी में, गलत तरीकों से बिक्री से निश्चित रूप से उन्हें सावधान भी रहना होगा। अन्यथा इसके गंभीर नतीजे शायद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर न हो जाएं।

○○○

भारतीय रिज़र्व बैंक की नीतिगत दरें *

बैंक दर	:	9.0%
रेपो दर	:	8.0%
रिवर्स रेपो दर	:	7.0%

आरक्षित अनुपात *

आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर)	:	4.0%
सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर)	:	23.0%

* 30 अप्रैल 2014 की स्थिति

पीपीआई : नया भुगतान माध्यम

कम नकदी लेन-देन वाला समाज (कैश-लेस सोसाइटी) बनाने की दिशा में नए वैकल्पिक भुगतान माध्यम महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के विधायन ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विधिवत् प्राधिकृत होने के बाद गैर-बैंकिंग कंपनियों को औपचारिक रूप से भुगतान प्रणाली में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान की। अप्रैल 2009 में इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए और 21 गैर-बैंकिंग प्रतिष्ठानों को पीपीआई जारी करने के लिए प्राधिकृत किया गया। वर्तमान में यह संख्या 25 है।

क्या होते हैं पीपीआई ?

प्रीपेड भुगतान लिखत अथवा पीपीआई (प्रीपेड पेमेंट इन्स्ट्रूमेंट) ऐसे भुगतान माध्यम हैं जो उनमें निहित मूल्य के द्वारा वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने की सुविधा प्रदान करते हैं। इन्हें सामान्य भाषा में प्रीपेड कार्ड भी कहा जाता है। इस प्रकार के प्रीपेड कार्ड में निहित मूल्य कार्ड धारक द्वारा इसके लिए भुगतान की गई राशि को दर्शाता है। यह भुगतान बैंक अकाउंट को डेबिट करके अथवा क्रेडिट कार्ड के द्वारा किया जा सकता है।



अभिनव श्रीवास्तव

प्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक
चेन्नै

पीपीआई स्मार्ट कार्ड, मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड, इंटरनेट वैलट, मोबाइल वैलट अथवा कागज कूपन के रूप में जारी किया जा सकता है। लोकप्रिय सोडेक्सो कूपन एक प्रकार का पीपीआई है।

पीपीआई के प्रकार

हमारे देश में जारी किए जा सकने वाले पीपीआई तीन प्रकार के हैं :

1. बंद प्रणाली भुगतान माध्यम (Closed System Payment Instruments)

इस प्रकार के पीपीआई किसी व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा उससे वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए जारी किए जा सकते हैं। ये नकद आहरण की सुविधा प्रदान नहीं करते। चूंकि ये किसी अन्य व्यक्ति, संस्था अथवा संगठन द्वारा नहीं स्वीकार किए जा सकते, अतः इन्हें भुगतान प्रणाली नहीं माना जाता।

2. आंशिक बंद प्रणाली भुगतान माध्यम (Semi-Closed System Payment Instruments)

ये वे पीपीआई हैं जो पूर्व चिह्नित वाणिज्यिक केंद्रों/संस्थाओं के समूह पर स्वीकार किए जाते हैं और जिनका पीपीआई के जारीकर्ता के साथ इन्हें स्वीकार करने का करार होता है। ये भी नकद आहरण की सुविधा प्रदान नहीं करते।

3. खुली प्रणाली भुगतान माध्यम (Open System Payment Instruments)

ये ऐसे पीपीआई हैं जिन्हें किसी भी बिक्री केंद्र (पीओएस) टर्मिनल पर स्वीकार किया जा सकता है और ये नकद आहरण

की सुविधा भी प्रदान करते हैं। भारत में ऐसे पीपीआई केवल बैंक जारी कर सकते हैं।

सभी पीपीआई न्यूनतम 6 महीने की वैधता के साथ जारी किए जाते हैं। किसी भी पीपीआई का अधिकतम मूल्य ₹ 50,000 से अधिक नहीं हो सकता।

कार्ड धारकों की सुरक्षा और ग्राहक सेवा

सभी पीपीआई जारीकर्ताओं को सभी नियम एवं शर्तें साधारण और स्थानीय भाषा में ग्राहकों को बतानी होंगी जिनमें सभी प्रकार के शुल्क, सीमावधि और ग्राहक सेवा के टेलीफोन नंबर एवं वेबसाइट यूआरएल शामिल होंगे। सभी जारीकर्ताओं को शिकायत निवारण के लिए एक प्रभावी व्यवस्था बनानी होगी और सभी जारी किए गए पीपीआई द्वारा होने वाले लेन-देन के आंकड़े भी रखने होंगे। ये आंकड़े उन्हें रिज़र्व बैंक द्वारा परीक्षण के लिए मांगे जाने पर प्रस्तुत करने होंगे।

सभी गैर-बैंकिंग जारीकर्ताओं को किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में एक एस्क्रो अकाउंट खोलना होगा जिसमें कार्ड धारकों द्वारा दी गई कुल धनराशि जमा रहेगी। इसका उपयोग केवल इन कार्डों के प्रयोग किए जाने पर वाणिज्यिक संस्थाओं को भुगतान करने के लिए ही किया जाएगा।

पीपीआई के उपयोग और लाभ

पीपीआई नकद के विकल्प के रूप में भुगतान के एक माध्यम की सुविधा प्रदान करते हैं। इन्हें इंटरनेट द्वारा खरीदी गई वस्तुओं अथवा सेवाओं के भुगतान के लिए भी प्रयुक्त किया जा सकता है। इनके द्वारा वाणिज्यिक केंद्रों पर मोबाइल अथवा कार्ड के द्वारा भुगतान किया जा सकता है। साथ ही, पीपीआई घरेलू निधि अंतरण (डोमेस्टिक मनी ट्रान्सफर) की भी सुविधा प्रदान करते हैं। किसी एक पीपीआई (जिसे केवाईसी मानकों के साथ जारी किया गया हो) से किसी बैंक अकाउंट को ₹ 5,000 तक का अंतरण किया जा सकता है। इसकी मासिक सीमा ₹ 25,000 है।

पीपीआई की एक विशेषता यह है कि इनके खोने अथवा गलत उपयोग से होने वाली हानि इनमें उपलब्ध राशि तक सीमित हो जाती है जो कि अधिकतम ₹ 50,000 है। जबकि डेबिट कार्ड में जोखिम अकाउंट में उपलब्ध राशि तक होता है और क्रेडिट कार्ड में उसकी क्रेडिट सीमा तक। इसके अतिरिक्त ₹ 5,000 तक के मूल्य के आंशिक बंद पीपीआई संस्थाओं/कंपनियों को उनके कर्मचारियों अथवा अन्य लाभार्थियों को देने के लिए जारी किए जा सकते हैं।

पीपीआई का भविष्य

भारत में पीपीआई भुगतान प्रणाली में धीरे-धीरे अपनी जगह बना रहा है। इन्हें सामान्य जन के बीच लोकप्रिय बनाना भविष्य की एक चुनौती है। वर्तमान में कुल जारी किए गए पीपीआई का एक बड़ा भाग कागजी कूपन (पेपर वाउचर) के रूप में है जिसका एक प्रमुख प्रकार मील कूपन है। कई प्राइवेट संस्थाओं के साथ-साथ आईआरसीटीसी भी कुछ पीपीआई के द्वारा टिकट बुक करने की सुविधा देता है। कुछ टेलीकॉम कंपनियों ने भी मोबाइल वैलट के रूप में पीपीआई जारी किए हैं (जैसे कि एयरटेल और रिलायंस)। भविष्य में मोबाइल वैलट (एम-वैलट), इंटरनेट वैलट (ई-वैलट) और घरेलू धन अंतरण के साधन के रूप में पीपीआई के और लोकप्रिय होने की आशा है। को-ब्रैंडेड पीपीआई भी भविष्य में अपनाए जाने की उम्मीद है। इन्हें जारीकर्ता किसी संस्था जैसे स्कूल आदि के साथ संयुक्त रूप से जारी कर सकता है। ये छात्र-छात्राओं के लिए फीस जमा करने का सरल साधन बन सकते हैं और इन्हें एक पहचान-पत्र का रूप भी दिया जा सकता है। इनके द्वारा अभिभावक प्रीपेड कार्ड में उतनी ही राशि रख सकते हैं जितनी कि फीस के लिए आवश्यक है। इस प्रकार के विकल्प नवोन्मेष भुगतान माध्यमों की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे।

○○○

एटीएम एवं एटीएम उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा- चुनौती एवं सुझाव

ऑटोमेटेड टेलर मशीन (एटीएम) संतुष्टिपूर्ण ग्राहक सुविधा की दृष्टि से आज की एक आवश्यकता बन गई है। एटीएम के फैलते जाल से आज ग्राहक इस बात से चिंता मुक्त रहता है कि कभी कहीं पैसों की जरूरत होने पर वह एटीएम से पैसे निकाल सकेगा एवं उसके काम रुकेंगे नहीं और एटीएम से उसे तुरंत पैसा मिल जाएगा। अक्टूबर 2013 के अंत तक देश में लगभग 01 लाख 37 हजार एटीएम कार्यरत थे, जबकि भविष्य में अभी लगभग 04 लाख और एटीएम की आवश्यकता होगी।

एक तरफ देश में एटीएम की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, वहीं एटीएम एवं एटीएम उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा की समस्या भी सामने आ रही है। असामाजिक तत्वों की निगाह में एटीएम “पैसा उगलने वाली मशीन है”, इसलिए कहीं पर एटीएम मशीन में तोड़फोड़ की घटनाएं हुई हैं तो कहीं एटीएम कार्ड के दुरुपयोग से धोखाधड़ी की घटनाएं सामने आई हैं। इसके अलावा कई बार एटीएम परिसर में असामाजिक तत्वों द्वारा उपयोगकर्ताओं पर हमले जैसी घटनाएं भी हुई हैं, जो चिंतनीय हैं।

जब हम एटीएम से राशि निकालने जाते हैं, तब वहां लाइन में कई ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी निगाह हमारे पिन नंबर एवं



संतोष श्रीवास्तव

यूनियन बैंक

स्टाफ प्रशिक्षण केंद्र, भोपाल

निकाली जाने वाली राशि पर रहती है जिससे वह साइबर क्राइम अथवा अन्य मौकों की तलाश कर रकम लूट सके।

एटीएम की सुरक्षा के साथ-साथ उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा एक चुनौती है। तथापि, एटीएम की लोकप्रियता बनाए रखने के लिए जरूरी है कि एटीएम की सुरक्षा के साथ-साथ उपयोगकर्ताओं को भी सुरक्षा मिले। यद्यपि एटीएम एवं उपयोगकर्ताओं के लिए भी सुरक्षा हेतु मापदंड निर्धारित किए गए हैं, कतिपय चूक होने से अप्रिय घटनाएं होने का डर बना रहता है।

एटीएम, एटीएम परिसर एवं उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए निर्धारित मापदंड के अनुसार निम्न बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए :

- 24 घंटे सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाएं।
- सीसीटीवी कैमरे कारगर हालत में लगाए जाएं।
- अग्नि चेतावनी घंटी लगाई जाए।
- समय-समय पर शहर के पुलिस विभाग द्वारा बैंकों के शाखा प्रबंधक/बैंक प्रमुखों की बैठक बुलाकर एटीएम की सुरक्षा के बारे में बैठकें आयोजित की जाएं।
- एटीएम मैनेजमेंट कंपनी “प्रिज़्म पेमेंट्स” के अनुसार बैंक के साथ जो अनुबंध समझौता किया जाता है, उनकी समय-समय पर समीक्षा की जाए।
- संवेदनशील स्थानों पर एटीएम लगाते समय सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाए।
- “ब्राउन लेबल एटीएम मॉडल” के तहत संबंधित बैंक एटीएम के लिए स्थान तलाशते हैं। परंतु “व्हाइट लेबल मॉडल” के तहत एटीएम मैनेजमेंट कंपनियां एटीएम लगाने के स्थान का निर्धारण कर सकती हैं।

“ब्राउन लेबल” एटीएम बैंक विशेष के होते हैं जबकि “व्हाइट लेबल” के लिए प्रायोजक बैंक आवश्यक होते हैं तथा इन्हें ध्यान में रखकर ही एटीएम की सुरक्षा पर ध्यान दिया जाए। एटीएम उपयोगकर्ताओं की भी यह जिम्मेदारी है कि वे एटीएम का उपयोग करते समय बैंक द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें एवं पूर्ण सावधानी बरतें। इस संबंध में निम्न बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए :

- एटीएम में एटीएम कार्ड का उपयोग करते समय अनजाने व्यक्ति की मदद नहीं लेनी चाहिए।
- बार-बार प्रयास करने के बाद भी यदि एटीएम से पैसे नहीं निकल रहे हों तो संबंधित बैंक से संपर्क करना चाहिए।
- अपने आस-पास संदेहास्पद लोगों के होने की आशंका होने पर एटीएम का उपयोग नहीं करना चाहिए। कुछ समय बाद अथवा किसी अन्य एटीएम का उपयोग करना चाहिए।
- जहां तक संभव हो सके, देर रात एटीएम में जाने को टालना चाहिए।
- जो एटीएम सुनसान जगह पर हो वहां जाने से बचना चाहिए।
- एटीएम का उपयोग करते समय पूरा ध्यान अपने ट्रांजेक्शन पर रखना चाहिए और मोबाइल पर बात नहीं करनी चाहिए।
- एटीएम से पैसे निकालकर उन्हें सुरक्षित रखकर ही एटीएम से बाहर निकलना चाहिए। एटीएम परिसर से बाहर निकलकर पैसे नहीं गिनने चाहिए।

बैंक एक तरफ पेपरलेस बैंकिंग एवं ग्राहकों के शाखा में आए बिना कार्य पूर्ण करने के प्रयास कर रहे हैं वहीं अगर असामाजिक तत्वों की हरकतों से ग्राहकों के मन में एटीएम के उपयोग के प्रति डर बैठ जाएगा तो यह बैंक के हित में नहीं होगा।

बैंक एटीएम की सुरक्षा हेतु पर्याप्त प्रयास तो करते हैं परंतु “पीडीएस एसोसिएट्स” के अनुसार एटीएम परिसर में

हुई वारदात और मुआवजे के लिए बैंक को उत्तरदायी ठहराना उपयुक्त नहीं है। जहां तक सुरक्षा की जिम्मेदारी का सवाल है, एटीएम परिसर में सुरक्षा गार्ड एवं सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए। इसका ग्राहकों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है एवं एटीएम परिचालन करते समय वे अपने आपको सुरक्षित महसूस करते हैं।

व्यावहारिक दृष्टिकोण से एटीएम का उपयोग करते समय उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी बैंक की नहीं है परंतु “ग्राहक सुरक्षा अधिनियम” के अंतर्गत पीड़ित व्यक्ति बैंक से मुआवजा मांग सकता है। इस अधिनियम के तहत एटीएम परिसर में सुरक्षा गार्ड तैनात नहीं होना एवं सीसीटीवी कैमरा चालू स्थिति में नहीं होना सुरक्षा हेतु बरती जाने वाली सावधानियों में कमी दर्शाता है, जिसके लिए एक पीड़ित ग्राहक बैंक के विरुद्ध मुकदमा दायर कर सकता है। अतः बैंक को एटीएम स्थापना एवं उसके परिचालन में पर्याप्त सावधानी बरतनी चाहिए।

एटीएम एवं एटीएम उपयोगकर्ताओं के संबंध में कानूनी प्रावधान निम्नानुसार हैं :

- बैंक अथवा एटीएम कंपनी एटीएम उपयोगकर्ता की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी नहीं है।
- बैंक एटीएम मशीन एवं परिसर की सुरक्षा हेतु उत्तरदायी माने जाते हैं।
- भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशानुसार एटीएम परिसर में उपस्थित सुरक्षाकर्मी एटीएम उपयोगकर्ता की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार नहीं हैं।

परंतु व्यावहारिक तौर पर यह माना जाता है कि एटीएम परिसर में सुरक्षाकर्मी के होने से उपयोगकर्ता मानसिक रूप से अपने आपको सुरक्षित महसूस करता है तथा असामाजिक तत्वों के मन में डर रहता है।

सामान्यतः एटीएम कारोबार, एटीएम मैनेजमेंट कंपनियों के पास रहता है। इसलिए एटीएम स्थापना के समय एटीएम में सीसीटीवी कैमरा लगाना एटीएम को सुरक्षा देने के समतुल्य ही होता है और इससे धोखाधड़ी पर नियंत्रण रखने में सहायता मिलती है। एटीएम मैनेजमेंट कंपनियां उपयोगकर्ताओं के सीधे संवाद में नहीं रहती हैं क्योंकि उनकी जवाबदेही बैंक के प्रति होती है, न कि उपयोगकर्ताओं के प्रति। इसीलिए एटीएम में

एटीएम मैनेजमेंट कंपनी का पता लिखा हुआ नहीं होता है, इसी कारण एटीएम में किसी प्रकार की शिकायत होने पर ग्राहकों को संबंधित बैंक से संपर्क स्थापित करने हेतु कहा जाता है।

आम तौर पर एटीएम में कार्ड फंसने या रकम नहीं आने की शिकायत एटीएम मैनेजमेंट कंपनी को संबंधित बैंक के माध्यम से की जाती है। जबकि “व्हाइट लेबल एटीएम” के मामले में ग्राहकों के साथ हुई किसी वारदात के लिए एटीएम मैनेजमेंट कंपनी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है क्योंकि इसके लिए जिम्मेदार प्रायोजक बैंक होते हैं।

विदेशों में एटीएम ज्यादातर दीवारों या शॉपिंग मॉल में लगाए जाते हैं जबकि भारत में बंद परिसर या बैंक की शाखा में एटीएम लगे होते हैं जो कि ज्यादा सुरक्षित होते हैं।

एटीएम की सुरक्षा एक चुनौती है क्योंकि 24 घंटे प्रत्येक एटीएम पर सुरक्षा काफी महंगी होती है परंतु एटीएम एवं एटीएम उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह बैंकिंग के विश्वास से जुड़ा हुआ मुद्दा है और बैंकिंग में नई तकनीक एवं सुविधाओं के क्रम में यह महत्त्वपूर्ण कड़ी है। एटीएम पर सुरक्षा संबंधी समस्या से निपटने के लिए भारतीय बैंक संघ साझा उपायों पर विचार कर रहा है। इसी के साथ निम्न सुझाव भी उपयोगी सिद्ध होंगे :

- एटीएम परिसर में गैर-बैंकिंग उत्पादों के विज्ञापन लगाने की अनुमति दी जाए। चूंकि एटीएम परिसर में 24 घंटे उपयोगकर्ता आते हैं इसलिए एटीएम विज्ञापन के अच्छे स्थान हो सकते हैं।
- जहां ट्री एटीएम (जहां कई बैंकों के एटीएम एक ही स्थान पर हों) हैं वहां एक ही सुरक्षा गार्ड रखा जाए एवं उसके खर्च को ट्री एटीएम बैंक शेयर कर सकते हैं।
- बहुत ज्यादा सुनसान वाली जगह एवं जहां एटीएम हिट्स ज्यादा नहीं हों वहां रात को एटीएम बंद रखे जा सकते हैं।
- एटीएम को जीपीएस से जोड़ा जाए और उस क्षेत्र के पुलिस थाने एवं कंट्रोल रूम से जोड़ा जाए जहां किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होने पर तुरंत सुरक्षा उपलब्ध करवाई जा सकती है।

- एटीएम के दरवाजे एटीएम कार्ड के माध्यम से खुलने संबंधी व्यवस्था दुरुस्त रखी जाए ताकि जब एक उपयोगकर्ता एटीएम का उपयोग कर रहा हो तब दूसरा उसमें प्रवेश न कर सके।
- एटीएम के बाहर हूटर एवं एटीएम मशीन के पास दो जगह इमरजेंसी बटन लगे। यदि एटीएम परिसर में कोई दुर्घटना होती है तो उपयोगकर्ता उस बटन को दबाकर सायरन बजा सके और उसे सुरक्षा प्रदान की जा सके।
- एटीएम लगाने के लिए सुरक्षित स्थान का चयन करते समय यह ध्यान रखा जाए कि एटीएम परिसर पुलिस थाने, सार्वजनिक मार्केट, कॉलोनी, मॉल आदि स्थानों के करीब हों।
- भविष्य में एटीएम को इस तरह से बनाया जाए कि उससे पैसे निकालने के अलावा यदि कोई व्यक्ति तोड़फोड़ अथवा छेड़छाड़ करे तब अपने-आप सायरन बजने लगे जिससे कि लोगों का ध्यान उस तरफ जाए और अप्रिय घटना से बचा जा सके।
- एटीएम का उपयोग करने पर शुल्क लगाना आरंभ किया जाए जिससे कि एटीएम सुरक्षा के खर्च संबंधित बैंक वहन कर सकें।

इस तरह से हम पाते हैं कि एटीएम एक जनोपयोगी सुविधा है एवं इनकी बढ़ती लोकप्रियता से बैंक उत्साहित हैं। एटीएम से एक तरफ जहां शाखाओं में ग्राहकों की भीड़ कम हो रही है, वहीं ग्राहक भी शाखाओं में आने और लंबी लाइन में खड़े रहने से बच रहे हैं। इस दृष्टि से एटीएम एवं एटीएम उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

संभवतः भविष्य में भारतीय बैंक संघ, भारत सरकार एवं भारतीय रिज़र्व बैंक इस मुद्दे पर विचार-विमर्श करते हुए और सुरक्षात्मक दिशा-निर्देश जारी करेंगे जिससे एटीएम निर्विघ्न एवं सुरक्षात्मक तरीके से कार्य कर सकें और उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

○○○



धूमता आईना

आईडीएफसी और बंधन को मिले बैंकिंग लाइसेंस

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी (आईडीएफसी) व कोलकाता की सूक्ष्म वित्त कंपनी बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज़ को सैद्धांतिक तौर पर बैंकिंग लाइसेंस की मंजूरी दे दी। यह सैद्धांतिक मंजूरी 18 महीने के लिए वैध होगी। इस दौरान आवेदकों को रिज़र्व बैंक द्वारा तय दिशा-निर्देशों तथा शर्तों को पूरा करना होगा।

उल्लेखनीय है कि रिज़र्व बैंक को नए बैंकिंग लाइसेंस के लिए भारतीय डाक, रिलायंस कैपिटल, टाटा कैपिटल और एलएंडटी फाइनेंस सहित कुल 27 आवेदन मिले थे, जिनमें से दो ने अपना आवेदन वापस ले लिया था।

भारतीय डाक के आवेदन के बारे में रिज़र्व बैंक ने उच्चस्तरीय जांच समिति की इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है कि इस बारे में आगे का कदम सरकार के साथ विचार-विमर्श के बाद उठाया जाएगा। साथ ही, केंद्रीय बैंक ने अन्य आवेदकों को सलाह दी है कि जब नियमित आधार



के. सी. मालपानी

प्रबंधक

भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

पर लाइसेंस प्रदान करने के लिए दिशा-निर्देश आ जाएंगे तो वे नए सिरे से आवेदन कर सकते हैं।

नकली नोटों की पहचान में बैंकों की भूमिका अहम् : आरबीआई

रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सलाह दी है कि वह जाली नोटों के मामले में प्रणाली को कारगर बनाएं और काउंटर पर प्राप्त नोटों को मशीनों पर उचित रूप से प्रमाणित करने के बाद ही परिचालन में लाएं। देश में नकली नोटों की पहचान कर उन्हें परिचालन से अलग करने में बैंकों की बड़ी भूमिका है।

रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के अंतर्गत इस बारे में सभी अनुसूचित बैंकों को निर्देश जारी कर कहा है कि वे 100 रुपये और इससे अधिक मूल्यवर्ग के बैंक नोटों की मशीन पर प्रामाणिकता तथा उपयुक्तता की पूरी जांच के बाद ही उन्हें काउंटरो और एटीएम के जरिए पुनः जारी किया जाना सुनिश्चित करें। बैंकों से आम आदमी के हितों की रक्षा करते हुए जाली नोटों की सूचना देने तथा उनकी पहचान प्रक्रिया को तर्कसंगत बनाने को कहा गया है। बैंकों से कहा गया है कि वे अपनी प्रणाली को इस ढंग से कारगर बनाएं ताकि जाली बैंक नोटों का जोखिम वे स्वयं उठाएं, न कि यह जोखिम आम आदमी उठाए जिनके पास अनजाने में नकली नोट आ जाते हैं।

बैंकों से कहा गया है कि एकल लेनदेन में यदि चार जाली नोटों का पता लगता है तो ऐसे मामलों की पूरी रिपोर्ट हर महीने पुलिस अधिकारियों को भेजनी होती है। लेकिन यदि किसी एक लेनदेन में पांच से अधिक जाली नोटों का पता चलता है तो ऐसे मामले में क्षेत्र के नोडल पुलिस स्टेशन अथवा पुलिस अधिकारियों के पास एफआईआर दर्ज कराई जानी चाहिए।

बैंक में खाता खोलने हेतु केवाईसी नियमों को सरल बनाया गया

बैंक खाता खोलते समय ग्राहकों को पते का सबूत (पीओए) देने में आ रही कठिनाइयों को देखते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने केवाईसी नियमों को सरल बनाया है। रिज़र्व बैंक के इस निर्णय से खासकर प्रवासी श्रमिकों और ऐसे कर्मचारियों को मदद मिलेगी जिनका तबादला होता रहता है। नए नियमों के अनुसार अब ग्राहकों को बैंक खाता खोलते समय या समय-समय पर अपडेट करने के लिए पते का एक ही दस्तावेज़ी सबूत (या तो वर्तमान या स्थायी) देना होगा। यदि ग्राहक द्वारा दिए जाने वाले पते का सबूत स्थानीय पता या वह पता नहीं है जहां वह अभी निवास कर रहा है तो बैंक ऐसे स्थानीय पते (जिस पर बैंक द्वारा ग्राहक के साथ समस्त पत्राचार किया जा सके) के लिए ग्राहक से घोषणा लेकर खाता खोल सकेंगे। बैंक इस पते का सत्यापन ग्राहक को भेजे गए पत्र, चेक बुक, एटीएम कार्ड के मिलने की पावती; टेलीफोन पर बातचीत, मुआयना आदि करके कर सकेंगे। नए नियमों के अनुसार ऐसे पते में परिवर्तन होने की दशा में ग्राहकों द्वारा इसकी सूचना दो सप्ताह के भीतर बैंक को दिए जाने की अपेक्षा भी की गई है।

आर. गांधी बने रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर

श्री आर. गांधी को भारतीय रिज़र्व बैंक का उप गवर्नर बनाया गया है। भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार श्री गांधी को तीन वर्ष की अवधि के लिए उप गवर्नर नियुक्त किया गया है। श्री गांधी उप गवर्नर के पद पर पदोन्नत होने से पहले रिज़र्व बैंक के कार्यपालक निदेशक थे।

वर्ष 1980 में भारतीय रिज़र्व बैंक में नियुक्त होने के बाद श्री गांधी ने जिन क्षेत्रों में विशेषज्ञता और अनुभव प्राप्त किया उनमें भुगतान प्रणाली और सूचना प्रौद्योगिकी, वित्तीय बाजार (मुद्रा, प्रतिभूति, फोरेक्स और पूंजी बाजार) परिचालन और विनियमन, मुद्रा परिचालन और प्रबंध, कार्मिक और मानव संसाधन प्रबंध, औद्योगिक ऋण तथा अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग शामिल हैं। इसके अलावा वे विभिन्न समितियों, कार्य समूहों और कार्य दलों से संबद्ध भी रहे हैं।

वर्ष 1956 में जन्मे श्री गांधी ने अण्णामलै विश्वविद्यालय, तमिलनाडु से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की है। उन्होंने

प्रबंध सूचना प्रणाली में दि अमेरिकन यूनिवर्सिटी, वाशिंगटन डीसी, यूएसए और पूंजी बाजार में सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू यॉर्क, यूएसए से स्नातकोत्तर स्तरीय प्रमाण-पत्र भी प्राप्त किए हैं। उन्होंने गणितीय अर्थशास्त्र, इकॉनोमेट्रिक्स, विकास बैंकिंग और अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र पर दि अमेरिकन यूनिवर्सिटी और जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी, वाशिंगटन डीसी, यूएसए से विशेष पाठ्यक्रम भी किए हैं। उनकी तकनीकी शिक्षा में आईबीएम एजुकेशन, सिडनी, आस्ट्रेलिया से सिस्टम प्रोग्रामिंग में प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम और ओआरएसीएलई, एसेंबली लैंग्वेज, नेटवर्किंग आदि शामिल हैं। उन्होंने गांधीवादी विचारधारा पर मद्रुरै विश्वविद्यालय, तमिलनाडु, भारत से प्रमाण-पत्र प्राप्त किया है।

अरविंद मायाराम को नया वित्त सचिव बनाया गया

वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के सचिव अरविंद मायाराम को नया वित्त सचिव बनाया गया है। मायाराम 1978 बैच के राजस्थान कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी हैं और वे 2012 से आर्थिक मामलों के सचिव हैं। वह इस विभाग का काम देखते रहेंगे।

सुमित बोस के 31 मार्च को सेवानिवृत्त होने के बाद से वित्त सचिव का पद खाली था। वित्त सचिव मंत्रालय का वरिष्ठतम आईएएस अधिकारी होता है जो मंत्रालय में विभिन्न विभागों के कामकाज में समन्वय रखता है।

जुलाई के बाद खुलने वाले सभी एटीएम होंगे बोलने वाले

भारतीय रिज़र्व बैंक ने विकलांग लोगों तक बैंकिंग सेवाओं की पहुंच बढ़ाए जाने के उद्देश्य से बैंकों से कहा है कि 1 जुलाई 2014 के बाद से लगाए जाने वाले सभी ऑटोमेटेड टेलर मशीन (एटीएम) ब्रेल लिपि के कीपैड के साथ-साथ बोलने वाले होने चाहिए। रिज़र्व बैंक द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि 'बैंक 1 जुलाई 2014 से जो भी एटीएम लगाएं, उसमें ब्रेल कीपैड हो और वे बोलने वाले हों।' इसके अलावा बैंकों को सभी मौजूदा एटीएम को ब्रेल कीपैड के साथ बोलने वाले एटीएम में तब्दील करने के लिए रोडमैप तैयार करने और इसकी समय-समय पर समीक्षा करने हेतु भी कहा गया है।

बैंकों से यह भी कहा गया है कि सभी मौजूदा और भविष्य में लगाने वाले एटीएम में रैंप की सुविधा भी हो ताकि व्हील चेरर

या विकलांग व्यक्ति वहां तक आसानी से पहुंच सकें। साथ ही एटीएम की ऊंचाई इतनी हो जिससे व्हील चेयर पर बैठा व्यक्ति आसानी से उसका उपयोग कर सके। ऐसे लोग जिन्हें कम दिखाई देता है उनकी सुविधा के लिए बैंक शाखाओं में 'मैग्नीफाइंग ग्लासेस' उपलब्ध कराने हेतु भी कहा गया है।

जुलाई से निजी भविष्य निधि ट्रस्ट पीएफ खातों के लिए भी ऑनलाइन ट्रांसफर सुविधा

निजी भविष्य ट्रस्टों के अधीन आने वाले संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए पीएफ खातों की ऑनलाइन ट्रांसफर सुविधा इस साल जुलाई से शुरू हो जाएगी। देश में 3000 से अधिक निजी भविष्य निधि (पीएफ) ट्रस्ट हैं जो अपने कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति कोष खातों का प्रबंधन स्वयं करते हैं। हालांकि, इन ट्रस्टों का नियमन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के हाथ में है।

ईपीएफओ चाहता है कि गैर-छूट प्राप्त पीएफ खाते से छूट प्राप्त निजी पीएफ ट्रस्ट में अथवा निजी ट्रस्ट से गैर-छूट प्राप्त ईपीएफओ खाते में ऑनलाइन अंतरण की सुविधा का काम इस साल जून तक पूरा हो जाए।

संगठित क्षेत्र की ऐसी कंपनियां जिनके भविष्य निधि खाते ईपीएफओ के तहत रखे जाते हैं वे गैर-छूटप्राप्त कंपनियों की श्रेणी में आती हैं, जबकि जिन कंपनियों के कर्मचारियों के पीएफ खाते उनके अपने निजी ट्रस्ट व्यवस्थित करते हैं वे छूटप्राप्त श्रेणी में आते हैं।

उल्लेखनीय है कि ईपीएफओ द्वारा संचालित उसके पीएफ खातों के ऑनलाइन स्थानांतरण की सुविधा पहले ही उपलब्ध करा दी गई है। ईपीएफओ ने इससे पहले 2 अक्टूबर 2013 को भविष्य निधि दावों के ऑनलाइन निपटान के लिए (ओटीसीपी) पोर्टल शुरू किया था। अब इसके जरिए पीएफ खातों के हस्तांतरण की सुविधा भी शुरू कर दी गई है।

आईसीआईसीआई प्रू एक लाख करोड़ के क्लब में शामिल

हाल ही में समाप्त वित्त वर्ष के अंत में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूच्युअल फंड अपने आस्ति आधार में लगभग 22 फीसदी की मजबूत वृद्धि के साथ 1 लाख करोड़ रुपये के क्लब में शामिल हो गया, जबकि एचडीएफसी म्यूच्युअल फंड 1.13 लाख करोड़ रुपये की औसत प्रबंधनाधीन आस्तियों (एयूएम) के

साथ अब भी पहले नंबर पर बना हुआ है। आईसीआईसीआई प्रू का औसत एयूएम 2013-14 की अंतिम तिमाही में 1.07 लाख करोड़ रुपये हो गया जो एक साल पहले लगभग 87,000 करोड़ रुपये था।

वित्त वर्ष 2013-14 की अंतिम तिमाही में औसत एयूएम के आधार पर सबसे अधिक आस्ति आधार वाली कंपनियों में एचडीएफसी म्यूच्युअल फंड तथा आईसीआईसीआई प्रू के बाद रिलायंस म्यूच्युअल फंड, बिड़ला सनलाइफ, यूटीआई म्यूच्युअल फंड है। एसोसिएशन ऑफ म्यूच्युअल फंड्स इन इंडिया (एएमएफआई) के ताजा आंकड़ों के अनुसार म्यूच्युअल फंड इंडस्ट्री का कुल आस्ति आधार बढ़कर वित्त वर्ष 2013-14 के अंत तक लगभग 8.6 लाख करोड़ रुपये हो गया।

दिसंबर अंत तक भारत का विदेशी ऋण 426 अरब डॉलर

देश का विदेशी ऋण मार्च 2013 के अंत की तुलना में 21.1 अरब डॉलर से बढ़कर दिसंबर 2013 के अंत तक 426 अरब डॉलर पर पहुंच गया। इसमें सरकार का 76.4 अरब डॉलर का ऋण भी शामिल है जो कुल ऋण का 17.9 प्रतिशत है। इस अवधि में विदेशी ऋण में इजाफे की वजह दीर्घावधि ऋण विशेष रूप से एनआरआई जमाएं हैं। दिसंबर के अंत तक दीर्घावधि ऋण 333.3 अरब डॉलर था जो कि मार्च के अंत की तुलना में 8.1 प्रतिशत बढ़ा है जबकि इस दौरान लघु अवधि का कर्ज 4.1 प्रतिशत घटकर 92.7 अरब डॉलर पर आ गया।

360 डिग्री फीडबैक क्या है ?

360 डिग्री फीडबैक या मल्टीसोर्स फीडबैक किसी मूल्यांकित (appraisee) के कार्यनिष्पादन मूल्यांकन (appraisal) का एक ऐसा तरीका है, जिसमें उसके काम पर नज़र रखने वालों के साथ-साथ उसके काम से प्रभावित होने वालों का फीडबैक भी लिया जाता है।

● 360 डिग्री एसेसमेंट में कौन-कौन शामिल होते हैं ?

आम तौर पर 360 डिग्री फीडबैक में मूल्यांकित के इमीडिएट मैनेजर, रिव्यूअर, सब-ऑर्डिनेट, बराबर के कम से कम दो साथी कर्मचारी और उसका खुद का मूल्यांकन शामिल होता है। मौजूदा ट्रेड में क्लाइंट और वेंडर जैसे बाहरी व्यक्तियों के फीडबैक को भी शामिल किया जाता है।

● **अप्रेजल के लिए इस साधन के इस्तेमाल का क्या मकसद है ?**

इसका इस्तेमाल किसी प्रोफेशनल के कार्यनिष्पादन मूल्यांकन और उसकी क्षमता का पता लगाने में किया जाता है जिससे संस्था को उसके लिए दीर्घावधि कैरियर प्लान बनाने में मदद मिल सके। यह कंपनी को किसी कर्मचारी की क्षमता की समग्र तस्वीर दिखाता है जो उसके पूरी क्षमता से परफॉर्मेंस देने के लिए जरूरी है। यह कर्मचारियों का कैरियर ग्राफ तैयार करने और उसकी क्षमता के विकास हेतु भावी लक्ष्य निर्धारित करने में मददगार होता है। इस फीडबैक के नतीजे का इस्तेमाल कभी-कभार पैकेज तथा पदोन्नति के मामले में मूल्यांकन के लिए किया जाता है।

● **इस साधन का इस्तेमाल कौन सी संस्थाएं करती हैं ?**

कर्मचारियों के विकास पर फोकस वाली ज्यादातर संस्थाएं स्टाफ के परफॉर्मेंस और उसकी क्षमता के मूल्यांकन और फीडबैक के आधार पर उनके कैरियर की राह तैयार करने में मदद देने के लिए 360 डिग्री टूल का इस्तेमाल करती हैं।

आम तौर पर इस साधन का इस्तेमाल मध्यम और वरिष्ठ स्तर पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए किया जाता है।

अब बच्चे खुद कर सकेंगे बैंक खातों का परिचालन

रिज़र्व बैंक के नए दिशा-निर्देशों के अनुसार 10 साल से अधिक उम्र के नाबालिग बैंक में अपना खाता खुलवा सकते हैं, खाते का खुद परिचालन कर सकते हैं और एटीएम के साथ-साथ चेकबुक जैसी सुविधाओं का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। रिज़र्व बैंक के अनुसार इसका उद्देश्य वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना और इस तरह के खातों को खोलने एवं परिचालन में एकरूपता लाना है।

अब तक नाबालिगों को सावधि, आवर्ती तथा बचत जमा खाते खुलवाने की इजाजत थी, लेकिन इसके लिए अभिभावक के तौर पर मां के साथ की ज़रूरत होती थी। इन दिशा-निर्देशों में संशोधन करते हुए रिज़र्व बैंक ने कहा है कि सभी नाबालिग अब बचत, मियादी या आवर्ती जमा खाता अपने प्राकृतिक अभिभावक या कानूनी तौर पर नियुक्त अभिभावक के ज़रिये खोल सकेंगे तथा ऐसे नाबालिगों, जो कि 10 साल के हो चुके हैं, को स्वतंत्र रूप से बचत खाता खोलने और उसका संचालन करने की अनुमति होगी।

बैंक अपनी जोखिम प्रबंधन प्रणाली के मद्देनजर ऐसे खातों में नाबालिग द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले लेन-देनों की राशि तथा उम्र आदि का निर्धारण खुद कर सकेंगे। बैंकों को नाबालिग द्वारा ऐसे बैंक खाते खोलने के लिए दस्तावेजों की न्यूनतम सीमा तय करने की भी छूट दी गई है। बैंकों को यह सावधानी बरतनी होगी कि नाबालिगों के खातों से बहुत अधिक राशि न निकाली जा सके। बैंकों को नाबालिगों को अतिरिक्त बैंकिंग सुविधाएं मसलन इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम-डेबिट कार्ड, चेक बुक सुविधा उपलब्ध कराने की आज़ादी होगी।

निष्क्रिय बैंक खातों पर अर्थदंड नहीं

रिज़र्व बैंक ने उपभोक्ता संरक्षण पहल के तहत बैंकों से कहा है कि वे अपरिचालित (निष्क्रिय) बैंक खातों में न्यूनतम राशि नहीं रहने पर ग्राहकों पर अर्थदंड नहीं लगाएं। इसके पूर्व केंद्रीय बैंक ने 2012 में बैंकों को निर्देश दिया था कि वे निष्क्रिय पड़े बुनियादी बचत बैंक जमा खातों को चालू करने के लिए ग्राहकों से कोई शुल्क नहीं लें। चालू वित्त वर्ष की पहली त्रैमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में रिज़र्व बैंक ने कहा था कि बैंकों को ग्राहकों की मुश्किलों अथवा असावधानी का अनुचित लाभ नहीं उठाना चाहिए।

ऋण के समय-पूर्व भुगतान पर नहीं लगेगा अर्थदंड

ग्राहकों को राहत प्रदान करते हुए रिज़र्व बैंक ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है, “बैंक वयक्तिक उधारकर्ताओं को मंजूर सभी अस्थिर (फ्लोटिंग) दर वाले मियादी ऋणों के समय-पूर्व भुगतान पर कोई अर्थदंड न लगाएं।” यह व्यवस्था तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है।

रिज़र्व बैंक ने 1 अप्रैल 2014 को जारी पहली त्रैमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में बैंकों को अपने अस्थिर दर वाले मियादी ऋणों के समय-पूर्व भुगतान की सुविधा बिना किसी अर्थदंड के प्रदान करने पर विचार करने को कहा था। यह भी उल्लेखनीय है कि दो साल पहले रिज़र्व बैंक ने फ्लोटिंग दर पर आवास ऋण के समय-पूर्व भुगतान पर जुर्माना वसूलने से बैंकों को रोक दिया था।



लेखकों से

इस पत्रिका का उद्देश्य बैंकिंग और उससे संबंधित विषयों पर हिंदी में मौलिक सामग्री उपलब्ध कराना है। बैंकिंग विषयों पर हिंदी में मूल रूप से लिखने वाले सभी लेखकों से सहयोग मिले बिना इस उद्देश्य की पूर्ति कैसे होगी? हमें इसमें आपका सक्रिय सहयोग चाहिए। बैंकिंग विषयों पर हिंदी में मूल रूप से लिखे स्तरीय लेखों की हमें प्रतीक्षा रहती है। साथ ही, अर्थशास्त्र, वित्त, मुद्रा बाजार, पूंजी बाजार, वाणिज्य, विधि, मानव संसाधन विकास, कार्यपालक स्वास्थ्य, मनोविज्ञान, परा बैंकिंग, कंप्यूटर, सूचना प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों से जुड़े विशेषज्ञ इन विषयों पर व्यावहारिक या शोधपूर्ण मौलिक लेख भी हमें प्रकाशनार्थ भेज सकते हैं। प्रकाशित लेखों और पुस्तक समीक्षाओं पर मानदेय देने की व्यवस्था है। कृपया प्रकाशनार्थ सामग्री भेजते समय यह देख लें कि :

- सामग्री बैंकिंग और उससे संबंधित विषयों पर ही है।
- उसमें दी गई जानकारी उपयोगी और अद्यतन है एवं अधिकतम 8 टंकित पृष्ठों में है।
- लेख यदि संभव हो तो आकृति/यूनिकोड फॉन्ट में rajbhashaco@rbi.org.in और/अथवा savitrisingh@rbi.org.in नामक ई-मेल आईडी पर भेजने की व्यवस्था की जाए।
- वह कागज़ के एक ओर स्पष्ट अक्षरों में लिखित अथवा टंकित है।
- यथासंभव सरल और प्रचलित हिंदी शब्दावली का प्रयोग किया गया है और अप्रचलित एवं तकनीकी शब्दों के अर्थ कोष्ठक में अंग्रेजी में दिए गए हैं।
- यह प्रमाणित करें कि लेख मौलिक है, प्रकाशन के लिए अन्यत्र नहीं भेजा गया है और 'बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन' में प्रकाशनार्थ प्रेषित है।
- लेख में शामिल आंकड़ों, तथ्यों आदि के संबंध में स्रोत का स्पष्ट उल्लेख करें।
- प्रकाशन के संबंध में यह सुनिश्चित करें कि जब तक लेख संबंधी अस्वीकृति की सूचना प्राप्त नहीं होती, संबंधित लेख किसी अन्य पत्र-पत्रिका में प्रकाशनार्थ न भेजा जाए।

प्रकाशकों से

जो प्रकाशक अपनी पुस्तक की समीक्षा करवाना चाहते हैं वे कृपया अपनी पुस्तक की दो प्रतियां भिजवाने की व्यवस्था करें।

पाठकों से

इस पत्रिका को आप निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपना अनुरोध लिखित रूप में 'कार्यकारी संपादक, बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन' को भेजना होगा। आपका फार्म मिलते ही आपका नाम डाक सूची में शामिल कर लिया जाएगा और तदनंतर आपको पत्रिका अगले दो वर्ष तक मिलती रहेगी। दो वर्ष समाप्त होने के पूर्व आप अपनी सदस्यता को नवीकृत कर लिया करें ताकि पत्रिका निरंतर मिलती रहे। आपसे अनुरोध है कि अपने सहयोगियों को भी यह जानकारी प्रदान करें तथा अपनी मांग से हमें तत्काल अवगत कराएं ताकि हम तदनुसार प्रतियों का मुद्रण कर सकें। पुराने पाठक कृपया पत्राचार करते समय अपनी सदस्यता संख्या का उल्लेख अवश्य करें।


- पाठकों की प्रतिक्रियाओं का हमें सदैव इंतजार रहता है •

बैंकिंग शब्दावली

वित्तीय क्षेत्र में हिंदी के प्रचार-प्रसार तथा शब्दावली में एकरूपता सुनिश्चित किए जाने के क्रम में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रकाशित बैंकिंग शब्दावली एक ऐसा शब्दकोश है जिसमें बैंकिंग एवं वित्तीय क्षेत्र से जुड़े महत्त्वपूर्ण अंग्रेजी शब्दों की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए उनके लिए उपयुक्त हिंदी शब्दों का चयन किया गया है। 288 पृष्ठ वाले इस कोश का मूल्य 80.00 रुपये (डाक व्यय अतिरिक्त) है। इसे प्राप्त करने हेतु निम्न पते पर संपर्क किया जा सकता है :

निदेशक, रिपोर्ट और ज्ञान प्रसार प्रभाग (बिक्री अनुभाग)

आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग
भारतीय रिज़र्व बैंक
अमर भवन, फोर्ट, मुंबई - 400 001




भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रकाशित नवीनतम हिन्दी पुस्तक

‘सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम - विविध आयाम’

मूल्य : 300/- रुपये
पुस्तक मिलने का पता

मै. आधार प्रकाशन प्रा. लि.
एस.सी.एफ. 267, सेक्टर 16
पंचकूला (हरियाणा)



इस अंक के प्रकाशन में राजभाषा विभाग, केंद्रीय कार्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक के सहायक प्रबंधक (राजभाषा) श्री एच पंढरीनाथ, डॉ. अनिल चन्द्र और डॉ. मनीषा का सहयोग प्राप्त हुआ।

वाणिज्यिक बैंकों के कार्यालयों का राज्यवार वितरण-2013 (31 मार्च की स्थिति)

